राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क ३] द्वितीय विधान सभा के तृतीय सत्र का ३२वां दिवस [संख्या १८

गुरुवार, १३ मार्च, १९५८

विधान सभा की बैठक म० पू० ११–१५ बजे विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई।

[श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन]

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

भूस्वामियों के जब्त किये गये हथियार

५२५. **श्री लक्ष्मीचन्द** (सांचोर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सत्य है कि जिला जालोर में कुछ भूस्वामियों की बन्दूकें व लाइसेन्स भूस्वामी आन्दोलन में भाग लेने के कारण जब्त किये गये हैं ?

(२) यदि नहीं, तो १९५५–५६, १९५६–५७ व १९५७–५८ में किस किस की बन्दूकें जब्त की गई और इसके क्या कारण हैं ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : ...त २ व्यक्तियों के हथियार पुलिस द्वारा ...ये गये, लेकिन भूस्वामियों की वजह से ...।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

श्री तनसिंह : नम्बर (२) में कारण पूछा गया है।

श्री दामोदरलाल व्यास : कारण बताया नहीं जा सकता।

श्री तनसिंह : क्या पब्लिक इन्ट्रेस्ट की वजह से कारण नहीं बताया जा सकता ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां।

श्री तनसिंह : क्या इन्हीं का कारण नहीं बताया जा सकता या सभी का नहीं बताया जा सकता ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आपने जिनके बारे में प्रश्न पूछा उनके बारे में बता रहा हूं।

श्री लक्ष्मीचन्द : दो व्यक्ति कौन कौन है जिनसे हथियार लिये गये ?

श्री दामोदरलाल व्यास : श्री मालूम सिंह और देवीसिंह।

यातायात विभाग की मंत्रियों के नाम बकाया रकम

५२६. **श्री तनसिंह** (बाड़मेर) : क्या मंत्री यातायात विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :

यातायात विभाग का किन किन मंत्रियों के नाम कब से कितना कितना बकाया है ?

Page No.2

(श्री तनसिंह)

उप यातायात मंत्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : मोटर गैराज विभाग के १०,७६२ रू. ५ आ. ६ पा. बकाया हैं। किन किन में बकाया है, इसकी सूची संलग्न है।

श्री तनसिंह : सूची संलग्न आपके पास होगी मेरे पास तो नहीं है।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : पढ़ कर सुना देता हूं :

List of outstanding amount of Garage Department against the Ministers :

(a) EX-MINISTERS OF MATSYA UNION.

1.	Shri Sobharam	Ex-Chief Minister.	25-8-0
2.	" Gopilal Yadav	Revenue Minister.	730-2-6
3.	" Mangal Singh	Commerce Minister	555-9-3
4.	" Chiranji Lal	Development "	150-0-0
5.	" Bhola Nath.	P. W. D. "	38-8-0
6.	" Jugal Kishore	Education "	576-1-3
7.	" Adityendra	Rehabilitation "	208-3-0
			2284-10-0

(b) EX-MINISTERS OF FORMER RAJASTHAN.

1.	Shri Manik Lal Verma	536-11-6
2.	Shri Abhinna Hari	295-0-9
3.	" Brij Sunder Sharma.	254-11-3
		1086-7-6

(c) EX-MINISTERS OF RAJASTHAN:

1.	Shri Jai Narain Vyas,	Ex-Chief Minister	861-2-6
2.	" Tika Ram Paliwal		865-1-0
3.	" Nar Sinha Kachhwaha		50-4-0
4.	" Ram Karan Joshi.		620-1-0
5.	" Kumbha Ram		3148-8-6
6.	Shrimati Kamla Beniwal.		822-0-0
7.	Shri Mathura Dass Mathur.		728-13-0
8.	" Brij Mohanlal.		17-0-0
9.	" Shah Alimuddin.		246-6-0
			7359-4-0

(d) PRESENT MINISTERS OF RAJASTHAN:

1.	Shri Damodar Lal Vyas,	Revenue Minister.	12-2-0
2.	" Ram Kishore Vyas.	Home "	19-14-[illegible]
			32-0-[illegible]
		Grand Total	10,762-5-[illegible]

श्री तनसिंह : मत्स्य युनियन के वक्त के मिनिस्टर्स के अंदर बकाया पड़ी है तो क्या सरकार ने उनसे वसूली करने की कार्यवाही चालू की है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : वसूली की कार्यवाही हो रही है ।

श्री तनसिंह : क्या पी. डी. आर. की तहत हो रही है वसूली की कार्यवाही ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : उनके ऑब्जेक्सन्स चल रहे हैं, लेकिन पी. डी. आर. की तहत नहीं ।

श्री चन्दनमल वेद : श्री दामोदरलाल जी से वसूली के बारे में क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : आपने सुन लिया है, जमा हो जायेंगे ।

श्री चन्दनमल वेद : क्यों नहीं उनके जेब से निकाल लिये जाते ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या ५२७ .

पंचायतों के हिसाब का निरीक्षण

५२७. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान में कितनी पंचायतें हैं ? क्या उनके एकाउन्ट्स का ऑडिट होता है ? अगर हाँ, तो किसके द्वारा ?

(ख) क्या नियमों के अनुसार ग्राम पंचायतें और तहसील पंचायतें मासिक हिसाब की सूची अपने अपने क्षेत्र में बोर्ड पर लगाती हैं ?

(ग) अगर हां, तो ग्राम व तहसील पंचायतों (डिस्ट्रिक्ट टोंक) ने कब कब लगाया ।

(घ) तहसील पंचायत उनियारा व ग्राम पंचायत बनेठा, अलीगढ, चौरू व तहसील पंचायत दूणी व ग्राम पंचायत दूणी, नाशीरदा वगैरह ने कितनी दफा हिसाब की सूची बोर्ड पर लगाई है ?

(ङ) अगर नहीं, तो सरकार ने उनके विरुद्ध क्या एक्शन लिया ?

उप स्वायत्त शासन मंत्री (श्री दौलतराम सारण) : राजस्थान में कुल ३४६५ ग्राम पंचायतें व २०८ तहसील पंचायतें हैं । उनके अकाउन्ट्स का ऑडिट लोकल फंड ऑडिट विभाग द्वारा होता है ।

(ख) जी नहीं । ऐसा कोई नियम नहीं है ?

(ग) प्रश्न ही उपस्थित नही होता ।

(घ) प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता ।

(ङ) प्रश्न ही उपस्थित नही होता ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : लोकल फंड ऑडिट द्वारा पंचायतों के हिसाब की जांच होती है तो कल आपने क्यों कहा था कि पंचायतों की जांच के लिए ३ रु० रोज खर्च करके आदमी भेजा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत शासन मंत्री) : कल पचायतों के ऑडिट की बात नहीं थी । उनको हिसाब समझाने के लिये आदमी भेजने की बात थी ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : इन पंचायतों का हिसाब ऑडिट होकर उसकी रिपोर्ट पब्लिश होती है या बोर्ड पर लगाई जाती है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आपका सवाल यह था कि ग्राम पंचायतों और तहसील पंचायतों के मासिक हिसाब की सूची अपने अपने क्षेत्र के बोर्ड पर लगाई जाती हैं या नहीं, इसका उत्तर मैंने दिया कि ऐसा नियम नहीं है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : वह चीफ पंचायत ऑफिसर के पास आती है या इन्सपेक्टर ऑफिस के पास आती है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : पंचायत में भी जाती है और यहां भी आती है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या पब्लिक चाहे तो पंचायत के हिसाबात को देख सकती है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : पब्लिक को तो सारे अख्तियारात हैं।

प्रश्न संख्या ५२८

श्री अध्यक्ष : श्री प्रभुलाल पुरोहित।

(अनुपस्थित)

श्री श्रीभानसिंह।

पहाड़ी क्षेत्र में चराई की दरें

१२६. **श्री श्रीभानसिंह** (बयाना) : Will the Minister for Forests be pleased to state:—

(1) Is the Government aware that high grazing rates are charged in hilly areas of Bayana and Baseri Tehsils ?

(2) If so, is the Government contemplating to allow free grazing in the area where there is Scarcity of fodder ?

उप वन मन्त्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई):

(1) The rates do not appear to be high.

(2) No, Sir.

प्रश्न संख्या ५३०

श्री अध्यक्ष : श्री प्रभुलाल पुरोहित।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ५३१

श्री पी. के. चौधरी।

(अनुपस्थित)

सड़क निर्माण

५३२. **श्री ज्ञानचन्द मोदी** (नीम का थाना): क्या निर्माण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) नीम का थाना से पाटन तक की सड़क का ठेका किसको कितने रुपये में दिया गया था ?

(ख) सड़क कितनी बन चुकी है तथा कब तक पूरी हो जानी चाहिये थी ?

(ग) निश्चित समय तक पूरी क्यों नहीं हुई ?

(घ) कब तक सड़क पूरी होने की संभावना है ?

उप निर्माण मन्त्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (क) मेसर्स जगदीशप्रसाद शादीलाल और श्री अमरचन्द को १,६५,६२३ रु० में।

(ख) ४ मील।

(ग) २. १. ५७ तक।

Page No.5

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

(घ) रेखण (एलाइनमेंट) परिवर्तन तथा ठेकेदार द्वारा कार्य बन्द कर देने के कारण।

(ङ) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में।

श्री ज्ञानचन्द मोदी : चार साल से काम चल रहा है, काम कब तक पूरा हो जायगा ?

श्री पूनमचंद बिश्नोई : वैसे तो मैं कहूं द्वितीय पचवर्षीय योजना में, लेकिन कोशिश की जायगी कि १९५८-५९ में पूरा कर दिया जाये।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहरसिंह।

सरपंच, हमीरवास, त० राजगढ़ (चूरू)

५३३. श्री मोहरसिंह (चूरू) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या राजगढ़ तहसील की हमीरवास बड़ा पंचायत के सरपंच के विरुद्ध फाटक की रकम के गबन की शिकायतों की जांच की गई थी ?

(२) यदि हां, तो उसका क्या नतीजा रहा ?

उप स्वायत्त शासन मन्त्री (१) (श्री दौलतराम) : जी हां।

(२) शिकायत तथ्यहीन पाई गई।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री।

जिला बोर्ड, जयपुर द्वारा अग्नि पीड़ितों को दी गई सहायता

५३४. श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री (आमेर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सत्य है कि ग्राम खोखरवाला, तहसील बस्सी, जिला जयपुर के कुछ कोली (शिड्यूल्ड कास्ट्स) लोगों के घर व छप्पर इस वर्ष आग में जल गये थे ?

(२) यदि हां, तो जिला बोर्ड, जयपुर, द्वारा उन्हें कितनी सहायता दी गई ?

(३) आग किस तारीख को लगी थी और यह सहायता उन अग्नि पीड़ित लोगों को कितने अर्से पश्चात् दी गई ?

उप स्वायत्त शासन मंत्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (१) जी हां।

(२) २३५ रुपये स्वीकृत हुए।

(३) आग तारीख २६. ५. ५७ को लगी थी, सहायता १७. १. ५७ को दी गई ?

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : अग्नि पीड़ितों को इतनी देर से सहायता देने की क्या वजह है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : एज़ ए स्पेशल केस सेंक्शन हुई है। देर जरूर हुई है, यह मैं मानता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री तनसिंह।

बंदियों को दी जाने वाली भोजन-सामग्री

५३५. श्री तनसिंह (बाड़मेर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) "बी" और "ए" श्रेणी के बंदियों को क्या भोजन सामग्री दी जाती है ?

क्या सरकार के समक्ष बंदियों की भोजन सामग्री के परिमाण का प्रश्न विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब से ?

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री, गृह मंत्री की अनुपस्थिति में) : (१) बी. और ए. श्रेणी के अपरिश्रमी बन्दियों को जेल मेन्युअल के अनुसार भोजन दिया जाता है जो जेल मेन्युअल के पेज २५०, २५१ पर अंकित है ।

(२) जी नहीं ।

श्री तनसिंह : क्या यह सही है कि जेल मेन्युअल के अनुसार जो भोजन सामग्री दी जाती है वह प्रति दिन एक आदमी को पांच छटांक मिलती है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जेल मेन्युअल में देख लीजिये ।

श्री तनसिंह : देखा हुआ है और मेरा खाया हुआ है वह आटा ।

(हंसी)

इसीलिए पूछ रहा हूं कि क्या यह सही है कि प्रतिदिन एक आदमी को पांच छटांक मिलता है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : ऐसा है कि लेबरिंग कन्विक्ट को साढ़े पांच छटांक मिलता है और नोन लेबरिंग कन्विक्ट को पांच छटांक मिलता है ।

श्री तनसिंह : यह बड़ी अजीब बात है कि नोन लेबरिंग को पांच छटांक मिलता है और लेबरिंग को कम मिलता है...

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं साढ़े पांच छटांक कह रहा हूं

श्री तनसिंह : लेबरिंग या नोन लेबरिंग कन्विक्ट ?

श्री दामोदरलाल व्यास : लेबरिंग कन्विक्ट ।

श्री तनसिंह : जो ए. बी. और सी. श्रेणियां हैं, उनमें लेबरिंग कन्विक्ट हैं, उनको कितना दिया जाता है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : ए. और बी. श्रेणी के लिए मैंने बता दिया है और वह सब जेल मेन्युअल में दर्ज है, आप उसमें मुलाहिजा फर्मा लीजिये ।

श्री तनसिंह : मैं कहता हूं ए., बी. श्रेणी को साढ़े पांच छटाक देते हैं, यह मैं जानता हूं लेकिन सी श्रेणी के बंदी को नो छटांक मिलता है; तो ए. और बी. श्रेणी को पांच, साढ़े पांच छटांक मिलता है, उसके लिए क्या आप सोचते हैं कि ढाई छटांक एक टाइम के लिए मिलता है, उससे क्या उनका पूरा पड़ता है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आपने सी. श्रेणी के लिए नहीं पूछा है, ए., बी. के लिए मैंने अर्ज कर दिया ।

श्री तनसिंह : क्या सरकार ने ए., बी. बंदी के लिए जांच कराई कि उनको जो आटा मिलता है वह पर्याप्त नहीं है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आटे के साथ और भी कुछ मिलता है ।

श्री तनसिंह : जी नहीं, आटे के साथ और सामान नहीं मिलता है, सब्जी मिलती है, सब्जी से पेट नहीं भरता ?

श्री श्रीभानसिंह : कन्विक्ट्स को जो डाइट दी जाती है, उसमें पूरी केलोरिक वेल्यु कितनी है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह अलग से प्रश्न है, वैसे उनमें जितनी होनी चाहिए उतनी है ।

Page No.7

श्री श्रीभानसिंह : उसमें केलोरिक वेल्यु कितनी है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : I have already stated that this is a different question. I want notice for that. I can only say that care is taken...

श्री अध्यक्ष : He can only say that the Government have no intention of changing it.

श्री मुरलीधर व्यास : आटे के साथ नमक मिलता है या नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : नमक भी मिलता है, दाल भी मिलती है, घी भी मिलता है।

श्री अध्यक्ष : श्री सूरजमल।

भेड़ व बुनाई कताई समिति, ग्राम तेना (शेरगढ़)

५३६. **श्री सूरजमल** (फलौदी) : क्या मन्त्री, सहकारिता विभाग निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या शेरगढ़ तहसील के ग्राम तेना में विभागीय इन्सपेक्टर ने वहां भेड़ व बुनाई कताई की सोसाइटी बनवाने के लिए कार्यवाही की ?

(२) यदि हां, तो उपरोक्त सोसाइटी के कुल कितने मेम्बर बनाये गये ?

(३) क्या उपरोक्त सोसाइटी के मेम्बरों से कोई धन राशि भी जमा कराई गई ? यदि हां, तो कितना ?

(४) उपरोक्त सोसाइटी के मेम्बरों को कुल कितनी धनराशि दी गई ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उप सहकारी मन्त्री (श्री दौलतराम) : (१) इन्सपेक्टर ने समिति बनाने का प्रयत्न किया मगर समिति बनाने में वहां के सम्बन्धित व्यक्तियों के असहयोग के कारण असफलता मिली।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता।

(४) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री तनसिंह : पैसा जमा करवाया नहीं, यह बताइये। "प्रश्न नहीं उठता" तो ठीक है ?

श्री दौलतराम : जिसके लिए पूछा गया है, उन्होंने नहीं करवाया; अन्य दो तीनों उन्होंने करवाया था।

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

नगरपालिका, बीकानेर

५३७. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर): क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

क्या ऑडिटर ने अब तक की सभी ऑडिट रिपोर्टों में बीकानेर म्युनिसिपल बोर्ड के एग्ज़ेक्युटिव ऑफिसर पर आरोप लगाये हैं और अधिक लिये हुए रुपयों को वापिस करने की मांग की है।

उप स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : १९५३–५४, १९५४–५५ व १९५५–५६ की ऑडिट रिपोर्ट में इस प्रकार के आरोप लगाये हैं। जी हां, ऐसी मांग की है।

श्री मुरलीधर व्यास : वे किस प्रकार के आरोप लगाये गये ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : एक यह है कि स्पेशल पे नहीं ले सकते, दूसरा प्रिविलेज़ लीव के वक्त उन्होने स्पेशल पे ली और तीसरे कन्वेयेन्स अलॉउन्स वगैरह के बारे में है।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या इस प्रकार के आरोप हैं जिसमें कलेक्टर ने कहा है कि यह व्यक्ति योग्य नहीं है, इसलिए उसको अलग कर देना चाहिए।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : ऑडिट रिपोर्ट में योग्य या अयोग्य का सवाल नहीं आयेगा, तनख्वाह वगैरह के बारे में आयेगा।

श्री मुरलीधर व्यास : इस सम्बन्ध में कब तक कार्यवाही की जायगी ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : स्पेशल पे में तो ऐसा है कि रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से रेगुलराइज़ कर दिया है और दूसरे के लिए वसूली के लिए कार्यवाही की जा रही है।

श्री श्रीभानसिंह : वसूली कब तक पूरी हो जायगी ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : निश्चित तारीख नहीं दे सकता लेकिन जल्दी करने की कोशिश करेंगे।

श्री श्रीभानसिंह : जब कितनी ही रिपोर्ट्स में इसका जिक्र आया है, तो आरोप ठीक ही है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री) : सबसे पहला ऑब्जेक्शन था वह स्पेशल पे के बारे में था, उसके बारे में उनको एन्टाइटल्ड माना है और इसके बारे में कह दिया है। दूसरे जब वे छुट्टी पर गये थे तब उन्होंने तनख्वाह ले ली, तनख्वाह–अलाउन्स की बात है। उसके बारे में म्युनिसिपेलिटी को लिख दिया है, क्योंकि रूल्स के मुताबिक म्युनिसिपैलिटी को लिखना होता है। जब म्युनिसिपेलिटी का जवाब आ जायेगा उसके बाद कार्यवाही की जायगी।

श्री मुरलीधर व्यास : ऑडिट रिपोर्ट में १९५१ से १९५६ तक लगातार ऑब्जेक्शन्स हुए हैं और उसके साथ ही साथ कई प्रकार के घोटाले की बातें कही गई हैं। उस सम्बन्ध में सरकार ने क्या क़दम उठाया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : किसी घोटाले की बात नहीं कही गई है। उसमें तीन बातें बताई गई हैं। उसमें जो मेजर आइटम था उसके बारे में मैंने अर्ज कर दिया है कि म्युनिसिपैलिटी को लिखा है।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या पब्लिक मनी के दुरुपयोग की बात नहीं है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : दुरुपयोग और सदुपयोग की बात नहीं है। इसमें इस ऑब्जेक्शन की बात नहीं है, this is the Question of opinion. स्पेशल पे को रेगुलराइज़ कर दिया है और दूसरे के बारे में म्युनिसिपेलिटी हमको रिपोर्ट दे।

श्री मुरलीधर व्यास : इसमें लगातार ६ वर्ष तक की रिपोर्ट में दुरुपयोग की बात है, इस पर क़दम क्यों नहीं उठाया गया है ? इसकी जांच जरूरी है कि पब्लिक मनी का दुरुपयोग हुआ है या नहीं ? इसका उल्लेख ऑडिट रिपोर्ट में है ?

श्री अध्यक्ष : तीन खास पोइन्ट्स रिपोर्ट में लिखे गये हैं, उसके अलावा कोई आरोप पब्लिक मनी के दुरुपयोग का नहीं है।

Page No.9

श्री तनसिंह : जब छः बार रिपोर्ट में यह चीज आई है तो क्या कारण है कि इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : इसमें छः साल की बात नहीं हैं, तीन साल की बात रिपोर्ट में आयी है और १९५५ में रेगुलराइज़ हो गया है।

श्री अध्यक्ष : श्री तनसिंह।

चलते-फिरते चिकित्सालय

५३८. **श्री तनसिंह** (बाड़मेर) : क्या मन्त्री, चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

१. राजस्थान में कितने चलते फिरते अस्पताल हैं और उन पर वार्षिक क्या खर्चा हुआ ?

२. ये अस्पताल गत ३ वर्षों में किस किस जिले में कितनी कितनी बार फिरे हैं ?

उप स्वास्थ्य मन्त्री (श्री भीखाभाई) : राजस्थान में ६ चलते फिरते अस्पताल हैं जिनके नाम निम्नलिखित हैं :

(१) मोबाइल डिस्पेन्सरी, सिरोही।

(२) मोबाइल डिस्पेन्सरी, अजमेर।

(३) मोबाइल डिस्पेन्सरी, ब्यावर।

(४) मोबाइल डिस्पेन्सरी, केकड़ी।

(५) मोबाइल डिस्पेन्सरी, पीसागन।

(६) मोबाइल डिस्पेन्सरी, मसूदा।

उपरोक्त नम्बर १ डिस्पेन्सरी में १९५५-५६ तथा १९५६-५७ में क्रमशः ६,०९७ रु० व ४,७३० रु० खर्च हुए। नम्बर २ से ५ तक दी गई डिस्पेन्सरियों का बजट अलग नहीं है। इनका खर्चा साधारण बजट में से होता है जिसका अलग ब्योरा नहीं है। शेष नम्बर ६ डिस्पेन्सरी का खर्चा इस विभाग द्वारा नहीं किया जाता है।

२. सिरोही मोबाइल डिस्पेन्सरी के लिये गाड़ी मई, १९५५ में प्राप्त हुई थी। यह आम तौर पर सिरोही जिले के ग्रामों में जो दूर हैं दवाइयों आदि वितरण के लिये जाती है अथवा किसी गांव में बीमारी के फैलने की सूचना प्राप्त होने पर वहां सहायता हेतु जाती है। केकड़ी पीसागन व मसूदा की डिस्पेन्सरियां करीब करीब अपने ब्लॉक के हर गांव में महीने में दो बार चक्कर लगाती हैं। अजमेर व ब्यावर की डिस्पेन्सरियां अपनी तहसील में स्थित दूर गांवों में जो अस्पताल व डिस्पेन्सरी से ५-६ मील की दूरी पर हों सहायतार्थ जाती रहती हैं। कुछ बड़े बड़े प्रमुख गांवों को चुनकर उनमें भी सप्ताह में २,३ बार हो आती हैं।

श्री श्रीभानसिंह : What are the reasons for concentrating these mobile dispensaries at Ajmer ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : यह तो पहले से ही है, मर्जर से पहले से चला आ रहा है; before merger.

श्री श्रीभानसिंह : अब इनका रेशनलाइज़ डिस्ट्रिब्युशन होगा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अजमेर का पार्ट है।

श्री तनसिंह : ये जो जिस जिस जगह मोबाइल डिस्पेंसरीज़ रखी गई हैं तो क्या इनके वहां रखने में कोई वैज्ञानिक आधार था ?

Page No.10

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जैसा कि बताया गया इनमें से पांच तो अजमेर की हैं जो वहां पर मर्जर से पहले से चली आ रही हैं, एक सिरोही में है जो स्टेट के जमाने की है।

श्री तनसिंह : स्टेट के जमाने का वैज्ञानिक आधार तो स्टेट जाने पर चला गया। आपके जमाने का वैज्ञानिक आधार बताइये कि जालोर की मोबाइल डिस्पेन्सरी है उसका वैज्ञानिक आधार क्या है?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : हमने उनको कायम नहीं किया।

श्री तनसिंह : किसी अल्ला-ताला ने कायम की हैं?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि हमारी कायम की हुई नहीं है, सिरोही की हैं; वे स्टेट के जमाने की हैं।

श्री तनसिंह : जालौर की हैं।

श्री अध्यक्ष : जालौर में है क्या मोबाइल डिस्पेन्सरी?

श्री तनसिंह : है साहब।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जो जवाब दिया गया है उसमें सिरोही, अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, पिंसांगन और मसूदा हैं; जालौर का नाम नहीं है। जालौर में मलेरिया का युनिट है।

श्री अध्यक्ष : श्री धर्मपाल।

हरिजनों को सार्वजनिक जलाशयों से पानी न भरने देने सम्बन्धी मामले

५३६. श्री धर्मपाल पंवार (नोहर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) इस वर्ष तहसील नोहर के किन किन गांवों में हरिजनों को सरकारी कुएं, तालाब आदि से पानी न भरने संबन्धी मामले पुलिस में दर्ज किये गये?

(२) क्या गांव बरवाली, तहसील नोहर में हरिजनों को पानी न भरने देने की कोई घटना घटी है तथा कुछ लोगों ने हरिजनों पर इस मामले को लेकर जुर्माना किया और मुकदमे चलाये जा रहे हैं?

(३) क्या सरकार इस प्रकार के मामलों की जांच किसी अतिरिक्त उच्च अधिकारी से करवाने का विचार रखती है?

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री, गृह मंत्री की अनुपस्थिति में) : (१) ऐसा कोई केस ५७ में या १० फरवरी, १९५८ तक दर्ज नहीं हुआ।

(२) ऐसी घटना अवश्य घटी है पर सरकार के पास जुर्माना किये जाने और मुकदमा चलाये जाने की सूचना नहीं है।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

श्री मुरलीधर व्यास : घटना घटी है, इसका किस प्रकार से पता चला?

श्री दामोदरलाल व्यास : एस. पी. गंगानगर के पास इस प्रकार की दर्ख्वास्त आई थी, उन्होंने वह दर्ख्वास्त एस. एच. ओ. नोहर के पास भेजी, उसने इन्क्वायरी की, पर इससे पहले ही पार्टीज़ ने आपस में राजीनामा कर लिया और किसी प्रकार का केस चलाने से इन्कार किया।

श्री धर्मपाल : क्या बरवाली गांव वालों ने नोहर थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने अभी अभी बताया कि एस. पी. गंगानगर के पास दर्खास्त आई, उन्होंने नोहर एस. एच. ओ. के पास भेज दी, पर हरिजनों में और दूसरी पार्टी में राजीनामा हो गया।

श्री चन्दनमल वेद : क्या यह सही है कि हरिजनों को राजीनामा करने के लिये कम्पेल किया गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी नहीं।

श्री श्रीभानसिंह : क्या हरिजनों को कुए तालाब आदि से पानी भरने दिया जाता है ?

श्री दमोदरलाल व्यास : उनको पानी भरने में कोई रुकावट नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

जल बोर्ड

५५०. **श्री शिवचरणदास (मांडल)** : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या सरकार को विदित है कि तहसील रायपुर के गलवा गांव में जल बोर्ड द्वारा प्रदत्त ६००) रु० छोगा सुत मोती ने अपने निजी कुयें के लिए खर्च कर दिये हैं ?

(२) यदि हां, तो क्या यह सही है कि कलेक्टर ने तहसीलदार को मौके पर पहुंचकर जांच करने के आदेश दिये हैं ?

(३) यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम निकला ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) श्री छोगा को ५६०) रुपया इस काम के लिए जल बोर्ड से दिये गये थे। श्री छोगा ने, ३४६॥) और ६१०) रु० के हिसाब दिये हैं।

(२) जांच के आदेश दिये गये थे।

(३) रकम वाकई निजी कुए पर लगाई गई है परन्तु उस गांव में यह एक ही कुआ है और ग्रामवासी पीने का पानी इसी कुए से लेते हैं।

श्री शिवचरणदास : जांच के आदेश आपने दिये हैं, फिर यह सूचना कहां से आई कि गांव वाले पीने का पानी इसी कुए से लेते हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जल बोर्ड का है, गांव वाले उससे पानी पीते हैं।

श्री लक्ष्मीचन्द : जांच के आदेश कब हुए ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : तारीख मेरे पास इस समय नहीं है।

श्री शिवचरणदास : क्या यह सही है कि नया कुआं खुदवाने के लिए यह रकम प्राप्त की गई थी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : नहीं, मरम्मत के लिए।

श्री शिवचरणदास : क्या इस कुए के दूसरे हिस्सेदारों ने उजरदारी नहीं की कि इस पर यह रकम नहीं लगाई जावे।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कोई सार्वजनिक कुआ हो और उसको छोड़ दिया हो तो दूसरी बात है। जहां गांव के लोग पानी पीते हैं वहीं पर पैसा लगाया गया है और फिर कहा गया कि जांच हो रही है।

Page No.12

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

एक माननीय सदस्य : यह कुआ जिस पर रकम लगाई गई सार्वजनिक है कि नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उत्तर दे दिया गया है।

श्री शिवचरणदास : क्या यह सही है कि वह निजी कुआ है और उसके दूसरे हिस्सेदार हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सारी पब्लिक पानी भरती है तो पब्लिक वेल हो गया . . .

श्री शिवचरणदास : यह तो आपके समझने का फर्क है, पब्लिक के काम में नहीं आता है वह कुआ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह जानकारी आप दे रहे हैं।

श्री शिवचरणदास : आपको जानकारी कई मामलों में गंगानगर के ऊंडी तालाब के मामले में दी है, इसका तो कम से कम स्पष्ट उत्तर दे दें।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आपने बताये है, इसकी और जानकारी करूंगा, अब तक की हमारे पास जानकारी यह है। आप बता रहे हैं तो इसकी और जांच की जायगी।

श्री शिवचरणदास : यह जांच होकर कितने अर्से में उत्तर मिलेगा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जांच के लिए कह दिया है, जल्दी ही नतीजा मिल जायगा।

श्री शिवचरणदास : तो इसके लिए मुझे आपके बंगले के द्वार खटखटाने पड़ेंगे या यहीं यह नतीजा मिल जायगा।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : नहीं, द्वार खटखटाने की आवश्यकता नहीं, न मैं इसे पसंद करता हूं, जांच के लिए कहा गया है तो नतीजा जल्दी ही आ जायगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री शिवचरणदास : सुना नहीं, क्या फरमाया ?

महिला डाक्टर

श्री मोहब्बतसिंह (सिरोही) : Will the Medical & Health Minister be pleased to state:—

(a) What is the total number of lady doctors required in Rajasthan ?

(b) How many are available at present and how the Government proposes to meet the deficciency?

(c) What is the number of such dispensaries which are without lady doctors ?

उप चिकित्सा मन्त्री (श्री भीखा भाई) : (ए) १३३।

(बी) ५०, जनसेवा आयोग को लेडी डाक्टरों की कमी पूरी करने हेतु समय समय पर लिखा जाता है जो उनके लिये विज्ञापन जारी करता है। आयोग द्वारा लेडी डॉक्टरों की उपलब्धि होने पर यह कमी पूरी हो सकेगी।

(सी) २०।

श्री चन्दनमल वेद : क्या सरकार कुछ ऐसी महिला डॉक्टर्स को जिनके नाम प्रश्नकर्त्ता की ओर से बताये जायं, अपोइन्ट करने को तैयार है ?

(हंसी)

Page No.13

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अगर कोई नाम पेश किये जायेंगे तो विचार किया जायगा ।

श्री अध्यक्ष : Not only he but you also. Next.

बस सर्विस

५४२. श्री गोवर्धनसिंह (बयाना) : क्या यातायात मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) भरतपुर जिले में किन किन सड़कों पर किन-किन मालिकों की बस व लोरीज़ चल रही हैं तथा उनमें दलित जाति के मालिकों की कितनी हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(ख) क्या सरकार भविष्य में दलित जाति के उम्मीदवारों को प्राथमिकता देने का विचार करेगी ?

उप यातायात मंत्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (क) लिस्ट ए संलग्न है जिसमें रूटों के नाम व परमिट प्राप्त-कर्त्ताओं के नाम हैं; जाति सम्बन्धी उल्लेख प्रार्थनापत्रों में न होने के कारण यह नहीं बताया जा सकता कि इनमें से दलित जातियों के लोग कितने हैं ।

(ख) जब तक सेन्ट्रल मोटर विहीकल्स एक्ट में उचित संशोधन न किया जावे ऐसा करना संभव नहीं है ।

श्री तनसिंह : क्या उपमंत्री महोदय को समझा दिया जायगा कि संलग्न है और सदन की मेज पर रख दिया है, इनमें अन्तर है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मैं अन्तर समझता हूँ और पढ़ कर सुनाने को तैयार हूँ, अगर उनके पास नहीं पहुंची है...

श्री गोवर्धनसिंह : नहीं पहुंची है ।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : बयाना, भुसावर, मंडावर : जोगेश्चन्द्र पुरी, देवी प्रसाद, बाबूलाल, प्रीतम कुमार, श्री महेन्द्रकुमार, किशोरी लाल, पूरणमल ...

श्री अध्यक्ष : बहुत लम्बी लिस्ट है क्या ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : ज्यादा लम्बी है साहब, मैं सुना दूं ?

(शेष नामों के लिये कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों को बस चलाने की सुविधा देने के लिये उन्हें परमिट दिये जाते हैं कि नहीं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जब तक सेंट्रल मोटर विहीकल्स एक्ट में संशोधन नहीं हो जाय तब तक उन्हीं को दिया जाय यह नहीं हो सकता । इसके क्लॉज़ ४७ के माफिक परमिट दिये जाते हैं, उसमें शिड्यूल्ड कास्ट्स को प्रिफरेन्स दिये जाने का प्रोविजन नहीं है ।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : राजस्थान में मोटर विहीकल्स एक्ट है उसमें ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : सेंट्रल का एडॉप्टेड है ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

जेल अधिकारी सीकर

५४३. श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : क्या गृह मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि श्री भैरोंसिंह, एम. एल. ए. एवं श्री मदनलाल सोनी,

Page No.14

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

वकील, सीकर ने सीकर सब जेल के जेलर के विरुद्ध अत्याचार आदि की शिकायतें आई जी. प्रिज़न्स एवं कलेक्टर, सीकर के पास की हैं ?

(२) यदि हां, तो ऐसी शिकायतें कब कब की गईं तथा उनके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री, गृह मंत्री की अनुपस्थिति में) : (१) केवल एक ऐसी शिकायत श्री भैरोंसिंह द्वारा आई. जी. प्रिज़न्स को की गई तथा उसकी प्रतिलिपि जिलाधीश सीकर के पास भेजी गई । श्री मदनलाल सोनी द्वारा कोई शिकायत नहीं भेजी गई ।

(२) इस शिकायत की जांच सब डिवीज़नल मजिस्ट्रेट सीकर ने की । जिलाधीश सीकर द्वारा सारी परिस्थिति श्री भैरोंसिंह जी को समझा दी गई हैं ।

श्री भैरोंसिह : मुझे बिलकुल नहीं समझाई गई ।

(हंसी)

प्रश्न संख्या ५४४

श्री अध्यक्ष : श्री जयचन्द्र मोहिल ।

(अनुपस्थित)

श्री धर्मपाल पंवार ।

जल बोर्ड

५४५. श्री धर्मपाल पंवार (नोहर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) बीकानेर डिविजन में जल बोर्ड द्वारा चलाये गये नये कुए, डिग्गियां, तालाब आदि के कार्य कहां कहां अधूरे पड़े हैं ?

(२) उक्त कुए आदि पर कितनी रकम सरकारी और कितनी जनता द्वारा खर्च की जा चुकी है ?

(३) क्या सरकार जल बोर्ड द्वारा चलाये गये जो काम अधूरे पड़े है उनको पूरा करवाने का विचार रखती है ?

(४) यदि हां, तो कब तक ?

उपस्वायत शासन मंत्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (१) बीकानेर डिवीजन के दो जिले बीकानेर, चूरू के अधूरे कामों की सूची संलग्न है । गंगानगर जिले के अधूरे कार्यों की सूची तैयार की जा रही है ।

(२) गंगानगर में ८ लाख, चूरू में ६ लाख, बीकानेर में ४,६०,६०५ । इसका आधा पब्लिक Contribution.

(३) जी हां ।

(४) कोई निश्चित अवधि नहीं दी जा सकती ।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

विद्युत् व्यवस्था

५४६. श्री रामधन (दौसा) : क्या विद्युत् मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या सरकार को विदित है कि जयपुर से जमवा रामगढ़ होती हुई जो कस्बा दौसा को इलेक्ट्रिक लाइन गई है उसके बीच में बहुत से ग्राम पड़ते हैं जिनको यदि कनेक्शन दे दिया जावे तो कृषि उद्योग को बढ़ावा मिल

(श्री रामधन)

सकता है। यदि हां, तो कब तक इन ग्रामों को बिजली दी जावेगी ?

उप विद्युत मंत्री (श्री भीखाभाई) : जी हां। विद्युत लाइन पर जो जो ग्राम पड़ते हैं उनको सन् १६५६ के अन्त तक विद्युत् उपलब्ध हो सकेगी।

नगरपालिका भरतपुर

५४७. श्री गोवरधनसिंह केन (बयाना) : क्या स्वायत शासन मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) भरतपुर नगरपालिका में गत दो वर्षों में कितनी नियुक्तियां किन किन पदों पर हुई तथा इनमें दलित जाति के कितने उम्मीद-वार किन किन पदों पर लिए गए तथा उनके क्या नाम हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उप स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री पूनमचन्द विश्नोई) : गत दो वर्षों में कुल ४४ नियुक्तियां निम्न पदों पर की गई :

१. ओवरसियर।

२०. तृतीय श्रेणी में।

२३. चतुर्थ श्रेणी में।

इनमें से दलित वर्ग के लोगों की नियुक्तियां इस प्रकार की गई :

१. श्री हीरालाल (चपरासी)

२. श्री लछमन (चपरासी)

३. श्री प्रभुलाल (चपरासी)

४. श्री गुलाब (स्टोर कीपर)

प्रसूति गृह चित्तौड़

५४८. श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर): क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि चित्तौड़ में जच्चा गृह का भवन बन कर तैयार हो गया है ?

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार की ओर से नर्स एवं दाइयों की व्यवस्था की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उप स्वास्थ्य मन्त्री (श्री भीखाभाई) :

(क) जी हां।

(ख) जिस दिन से यह केन्द्र चालू है उसी दिन से उसमें एक मिड्वाइफ कार्य कर रही है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : क्या वहां पर कोई दाई पहुंच गई है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वहां पर एक मिड् वाइफ काम कर रही है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

जुए सम्बन्धी मामले

५४६. श्री मूलचंद डागा (पाली) : क्या गृह मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

१ अप्रेल, १६५७ से ३१ दिसम्बर, १६५७ तक श्री उम्मेद मिल, पाली के मजदूरों के जुआ खेलने के कितने केस पकड़े गये।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री, गृह मन्त्री की अनुपस्थिति में) : एक भी नहीं है।

Page No.16

श्री मूलचंद डागा : क्या सरकार को यह मालूम है कि मजदूरों में जुए का काफी प्रचार है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी नहीं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

नगरपालिका की स्थापना

५५०. श्री बेनाराम गहलोत (खारची) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) पाली जिले के ग्राम सादड़ी की कुल जन-संख्या कितनी है ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त ग्राम में ग्राम पंचायत कार्य कर रही है ?

(३) क्या सरकार उक्त ग्राम में म्युनिसिपैलिटी की स्थापना करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक ?

उप स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री दौलतराम सारण) : (१) सन् १६५१ की जन-गणना के अनुसार जन संख्या ११,१५२ है।

(२) जी हां।

(३) यह सरकार के विचाराधीन है।

श्री बेनाराम गहलोत : यह कब तक सरकार के विचारधीन रहेगा ?

श्री दौलतराम सारण : यह थोड़े दिन और रहेगा।

ट्रेक्टरों का रजिस्ट्रेशन

५५१. श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर); क्या कृषि व यातायात मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) बीकानेर, चूरू एवं गंगानगर जिलों में अब तक कितने ट्रेक्टरों का रजिस्ट्रेशन हुआ है ?

(२) रजिस्टर्ड ट्रेक्टरों में से कितने ट्रेक्टरों के लिए परमिट लिए गये हैं तथा कितने बिना परमिट ही चलते हैं ? अब तक कितने ट्रेक्टरों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सरेन्डर करवाये गये हैं ?

उप मन्त्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : विवरण इस प्रकार है :

बीकानेर	१४
चूरू	४
गंगानगर	१४२६
कुल	१४५७

(२) उपरोक्त संख्या में से केवल ३१२ के लिए पब्लिक और प्राइवेट केरियर परमिट प्राप्त किये गए हैं। ६३ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सरेन्डर करवाये गए हैं।

प्रश्न संख्या ५५२

श्री अध्यक्ष : श्री शिवनाथसिंह।

(अनुपस्थित)

राजस्थान को प्रदत्त लोहे और फौलाद की मात्रा

५५३. श्री तेजाराम गहलोत (खारची) : Will the Supply Minister be pleased to state:--

1. Is it a fact that there is great scarcity of iron and steel in Rajasthan and only a limited quota is allotted for the purpose of distribution ?

2. Is it a fact that the Gove-

(श्री. तेजाराम)

rnment of India through Iron and Steel Controller have been issuing directives to the State Government for the proper use and distribution of this allotment ?

3. Has the Iron and Steel Controller asked the State Government not to appoint new registered stockists unless it is very essential ?

उप उद्योग मन्त्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : 1. Yes,

2. No,

3. New Registered Stockists are appointed by the Iron & Steel Controller, Govt of India, Calcutta.

श्री तेजाराम गहलोत : Whether the Iron & Steel Controller, Government of India, appoints the new registered stockists directly or on the recommendations of the Government of Rajasthan ?

श्री रिखबचंद धारीवाल : on the recommendations of the Government of Rajasthan

श्री तेजाराम गहलोत : On what grounds the Rajasthan Government recommends the applications of new registered stockists ?

श्री रिखबचंद धारीवाल : If any need is felt and if the Collector makes a report the case is examined and then of course it is recommended.

श्री तेजाराम गहलोत : Has the Government made proper enquiries for the appointment of registered stockists for Jodhpur City ?

श्री रिखबचंद धारीवाल : Yes,

पुलिस ऑफिसर भीम

५५४. श्री फतहसिंह (भीम) : क्या गृहमंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

क्या सरकार को यह विदित है कि भीम पुलिस स्टेशन के एस. एच. ओ., श्रीनारायणसिंह ने माह जनवरी, सन् १९५८ में एक पुलिस कॉन्स्टेबल को बुरी तरह डन्डों से पीटा जिसका डॉक्टरी सर्टिफिकेट उसने भीम के सफाखाने से प्राप्त किया ? यदि हां, तो सम्बन्धित एस. एच. ओ. के विरुद्ध अब तक क्या कानूनी कार्यवाही की गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री, गृहमन्त्री की अनुपस्थिति में) : इस आशय की एक रिपोर्ट कि नारायणसिंह एस. एच. ओ. द्वारा कॉन्सटेबिल को पीटा गया, लेकिन सरकार के ध्यान में यह नहीं आया कि उसने मेडिकल ऑफिसर से कोई सर्टिफिकेट हासिल किया ? मामले की जांच की जा रही है। एस. एच. ओ. के खिलाफ जांच समाप्त होने पर क्या कार्यवाही करना है; विचार किया जायगा।

श्री फतहसिंह : यह मारपीट थानेदार और सिपाही में किस तारीख को हुई ?

श्री दामोदरलाल व्यास : २९-१-५८ को नन्दसिंह कॉन्सटेबल ने शिकायत की।

श्री फतहसिंह : मैं यह पूछना चाहता

Page No.18

(श्री फतहसिंह)

हूँ कि उसका क्या हुआ और किस तारीख को यह मारपीट हुई ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं कह रहा हूं कि इसकी जांच की जा रही है। क्या हुआ, यह तो जांच समाप्त होने के बाद ही कहा जा सकता है।

श्री फतहसिंह : यह मारपीट किस तारीख को हुई ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने कहा कि यह तारीख मेरे पास नहीं है। शिकायत हुई वह तारीख मेरे पास है।

श्री फतहसिंह : जांच किससे करवाई जा रही है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : सर्किल इन्सपेक्टर इसकी जांच कर रहे हैं।

श्री दयाकृष्ण विजय : उनका स्थानान्तरण कर दिया गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जब तक जांच न हो जाए और प्राइमाफेसी केस न बन जाए, नहीं किया जाए।

श्री जयसिंह रानावत : क्या वे वहीं हैं जो रिश्वत के मामले में काबिले बर्खास्त थे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह मालूम नहीं।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि एस. पी. के पास जाने के काफी समय बाद कोई कार्यवाही नहीं हुई ?

श्री दामोदरलाल व्यास : उसने एक तार दिया था। जो तार दिया था उसमें उसने कोई पता नहीं दिया था। इसलिये सर्किल इन्सपेक्टर के पास भेजा गया और सी. आई. ने उस व्यक्ति की तलाश की कि कौन व्यक्ति है और कहां पर वह किस थाने में कॉन्स्टेबिल है। फिर काफी तलाश करने पर पूरा डिटेल का पता लगा।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि रिपोर्ट जो पेश की है उसमें थानेदार का नाम भी मौजूद है जिसने उसकी पिटाई की थी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मेरे पास जो सूचना है उसके अनुसार मैंने आपको सूचना दी है।

श्री भैरोंसिंह : उस रिपोर्ट में थानेदार का नाम है या नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : रिपोर्ट मेरे पास नहीं है।

श्री फतहसिंह : तार में क्या लिखा गया था ?

श्री दामोदरलाल व्यास : तार मेरे पास नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : फिर आपने यह कैसे कहा कि तार में नाम नहीं है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : डिटेल्स में पता नहीं।

श्री भैरोंसिंह : आपने उसके थाने का और उसके नाम का अन्दाज कैसे लगाया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मेरे पास रिपोर्ट आई है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

जंगलों के ठेके

५५५. श्री हरिशंकर सिद्धांतशास्त्री (आमेर) : क्या वन-मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) अप्रेल, १६५२ से दिसम्बर १६५७ तक जिला जयपुर और जिला सवाई माधोपुर में से कितने व कौन कौन से जंगल काटने हेतु ठेकेदारों को ठेका दिया गया ?

(ख) ठेका किस–किस व्यक्ति को व कितने कितने रुपये में दिया गया ?

(ग) तथा पुराने और बड़े बड़े हरे वृक्षों को काटने का भी ठेका दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

उप वन मंत्री (श्री पूनमचन्द विश्नोई) : (क) (ख) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ग) यह साधारण Silvicultural ढंग के अनुसार किया जाता है।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री हरिशंकर सिद्धांतशास्त्री : अध्यक्ष महोदय, सूची सदन की मेज पर रख दी गई, वह मेरे पास अभी नहीं आई है। जब मुझे सूची पूरी देंगे, मैं उसको देख कर प्रश्न करूंगा।

श्री अध्यक्ष : अब आप सूची इनके पास भेज दें।

(श्री हरिशंकर सिद्धांतशास्त्री के प्रश्न करने के लिये खड़े होने पर)

श्री पूनमचन्द विश्नोई : जब आप सप्लीमेंट्री कर रहे हैं तो फिर आप कैसे कहते हैं कि सूची आपके पास नहीं पहुँची ?

(आगे और देखिये)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।

५५६. श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) : Will the Minister for Stationery and Printing Department be pleased to state :

1. Is it a fact that the Director, Printing and Stationery appointed Shri Ladu Singh. a junior most Assistant Mono Operator as General Foreman at Government Central Press, Jaipur, on 24-1-58 ?

2. How many persons are senior to him and why they were not appointed ?

3. Whether the orders of his appointment as General Foreman have been kept in abeyance ? If so, why ?

मंत्री, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) यह सही है कि डाइरेक्टर ने लादूसिंह मोनो ओपरेटर को जनरल फोरमेन के पद पर अस्थायी रूप से सिर्फ तीन माह के लिये आज्ञा संख्या १०४३ दिनांक २०. १. ५८ से नियुक्त किया; चूंकि जनरल फोरमेन की पोस्ट सिर्फ सीनियारटी से न भरी जाकर काबलियत को ध्यान में रखकर सिलेक्शन से भरी जाती है। अब तक प्रेस स्टाफ में प्रमोशन आदि के रूल्स नहीं बने हैं। श्री लादूसिंह जूनियर किसी से नहीं है, बल्कि वह प्रेस की २१ साल की सर्विस कर चुका है जो मोनो विभाग में किसी की नहीं है लेकिन बीच में उसकी सर्विस ४ माह के लिए ब्रेक

Page No.20

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

हो गई जिसके कन्डोनेशन का सवाल विचाराधीन है। सीनियर होने का सवाल नहीं उठता, प्रेस में अन्य कोई व्यक्ति इस पोस्ट के योग्य नहीं समझा गया।

(२) डाइरेक्टर के नोटिस में यह बात लाये जाने पर कि सारे राजस्थान में के सीनियर लोगों में से सिलेक्शन करने के बाद नियुक्ति की जाती है डाइरेक्टर ने पहली आज्ञा को एबेयेन्स (abeyance) में रख दिया।

श्री तेजाराम गहलोत : मेरा प्रश्न यह है कि उससे कितने दूसरे लोग प्रेस में सीनियर हैं, यह बताया जाए।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह जो हैं पांच आदमी हैं। यह सर्विस के हिसाब से सबसे सीनियर पड़ता है। उसकी ब्रेक का सवाल है।

श्री तेजाराम : मैं यह पूछना चाहता हूं कि उनसे कितने आदमी सीनियोरिटी के हिसाब से सीनियर थे।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने कहा कि कोई भी नहीं है।

प्रश्न संख्या ५५७

श्री अध्यक्ष : श्री पृथ्वीराज।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ५५८

श्री अध्यक्ष : श्री प्रभुलाल पुरोहित।

(अनुपस्थित)

श्री मूलचन्द डागा।

प्रिवेन्शन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, १९५४ के अन्तर्गत ली जाने वाली लाइसेन्स रिन्युअल फी

५५९. श्री मूलचंद डागा (पाली) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या प्रिवेन्शन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, १९५४ के रूल्स के अन्तर्गत लाइसेन्स की रिन्युअल फी सरकार द्वारा सभी नगरपालिकाओं के क्षेत्रों में मुकर्रर की गई है ? यदि हां, तो कितनी कितनी ? कृपा कर सूची दीजियेगा ?

(ख) क्या सभी नगरपालिकाओं के क्षेत्रों में रिन्युअल फी भिन्न भिन्न है ? यदि हां, तो क्यों ?

(ग) जयपुर में आज तक इसके अन्तर्गत कितने लाइसेन्सेज़ दिये जा चुके हैं ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) प्रिवेन्शन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, १९५४ के अन्तर्गत राजस्थान सरकार द्वारा निर्मित नियमों के नियम ६ के अनुसार १२) रु० लाइसेन्स फीस सभी नगरपालिकाओं के क्षेत्रों में मुकर्रर की गई है। यह अलग अलग निर्धारित नहीं है।

(ख) जिन जिन नगरपालिकाओं ने इस एक्ट को लागू किया है उनमें लाइसेन्स फीस समान रूप से ही ली जाती है।

(ग) अभी तक कोई लाइसेन्स नहीं दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री श्योपतसिंह।

प्रश्न संख्या ५६०

श्री अध्यक्ष : श्री श्योपतसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री बेनाराम गहलोत ।

सहकारी समिति

५६१. श्री बेनाराम गहलोत (खारची) : क्या मन्त्री, सहकारी विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :

१. पाली जिले में कुल कितनी सहकारी समितियां हैं तथा वे क्या क्या कार्य करती हैं ?

२. सेन्ट्रल कोऑपरेटिव बैंक, पाली ने आज तक किन किन इन्डस्ट्रियल तथा उत्पादक समितियों को कितना कितना ऋण दिया है ?

उप सहकारी मन्त्री (श्री दौलतराम सारण) : (क) यह सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(२) ब्यौरा निम्न प्रकार है :

(१)	पैसा उत्पादक सहकारी समिति	३,०००)
(२)	कन्डाला चर्म उत्पादक कोऑपरेटिव सोसाइटी	३,०००)
(३)	भन्डारा चर्म उत्पादक कोऑपरेटिव सोसाइटी	२,०००)
(४)	लुनियापुर चर्म व हड्डी उत्पादक सहकारी समिति	६,८००)
(५)	आबू रोड वस्तु उत्पादक सहकारी समिति लि०	६००)
	योग	१५,४००

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

नेत्र चिकित्सालय नवलगढ़

५६२. श्री श्रीराम बासोतिया (नवलगढ़) क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सेठ आनन्दराम जयपुरिया नेत्र चिकित्सालय, नवलगढ़ के नेत्र चिकित्सक डा० भगवतस्वरूप गुप्ता के खिलाफ ग्लाक्सो कं० से चिकित्सालय के नाम से कम्पनी से दवाइयें मंगवाकर नवलगढ़ के एक दवा एजेन्ट के मार्फत व आगरा के एक स्टोर की मार्फत दवायें बाजार में बिक्री करने व होस्पिटल के नाम से अतिरिक्त मिलने वाला कमीशन हजम करने की शिकायत आयी है ?

(ख) क्या इस विषय में उक्त डॉक्टर के खिलाफ सरकार द्वारा कोई जांच कराई गई है ?

(ग) क्या यह सत्य है कि इसी प्रकार अन्य दवा विक्रेता कम्पनियों से भी इस प्रकार दवाइयें हॉस्पिटल के नाम से मंगाकर उक्त डाक्टर ने भ्रष्टाचार किया है ?

(घ) क्या यह भी सत्य है कि उपरोक्त व्यक्ति ही नवलगढ़ में सरकारी डॉक्टर का कार्य करता है ?

(ङ) उपरोक्त बातें सही पाई जाने पर सरकार क्या उक्त व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने का इरादा रखती है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) जी हाँ ।

(ख) जी हां, जांच अभी जारी है ।

(ग) जांच से ऐसा प्रतीत होता है कि कई कम्पनियों से दवाइयां आई हैं परन्तु अस्प-

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

ताल के कागजात आदि से यह प्रतीत नहीं होता है कि अस्पताल की ओर से इसके लिए इन्डेन्ट भेजे गये हों। चुंगी विभाग से जानकारी प्राप्त करने पर यह सिद्ध नहीं होता कि दवाइयां किसको प्राप्त हुई है।

(घ) हां, यह सत्य है क्योंकि इस अस्पताल ने सरकार से मान्यता प्राप्त की हुई है। मैडीको लीगल कार्य करने का अधिकार इस अस्पताल के मुख्य चिकित्सक को सरकार द्वारा दिया हुआ है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

श्री श्रीराम बांसोतिया : सरकार के पास ग्लाक्सो कम्पनी से शिकायतें किस तारीख को आयी थीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वह तारीख तो मेरे पास नहीं है। लेकिन मैं अर्ज करदूं कि यह गवर्नमेन्ट का मनी नहीं है और न ही यह गवर्नमेन्ट का अस्पताल है। यह तो प्राइवेट अस्पताल है और दवाइयां पर्चेज़ वे ही करते हैं। डाक्टर को यह कह रखा है कि मेडिकल एडवाइस दे। पर्चेज़ेज़ के बारे में जांच की एवं जानकारी प्राप्त की गई लेकिन यह तहकीक पता नहीं लगा कि उनके इन्डेन्ट से किसने मंगाई।

श्री श्रीराम बासोतिया : क्या सरकार को यह जानकारी है कि वह सरकारी डॉक्टर है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने बताया कि उस डॉक्टर को हम तनख्वाह नहीं देते हैं। मेडीकल एडवाइस के लिए उसको रिकोग्नाइज़ कर रखा है।

श्री श्रीराम बासोतिया : क्या डॉक्टर के खिलाफ, गवर्नमेन्ट के पास शिकायतें भी आयी हैं कि ये मुलज़िमान से मिल कर पुलिस केसेज़ को खराब करते हैं। ऐसी सर्टिफाइड कॉपीज़ कोर्ट से लेकर गवर्नमेन्ट के पास भेजी भी गई हैं, फिर भी ड्युटी इस डॉक्टर को दे रखी है, इसमें क्या रहस्य है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह तो दवाइयों के बारे में प्रश्न किया गया है। ऐसी कोई सरकार के पास शिकायतें नहीं हैं कि इसने पुलिस केसेज़ में गड़बडी की हो। होगी तो जांच करेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री शिवनाथसिंह।

श्री भीमसेन : इसका उत्तर दे दिया जाय, यह पब्लिक इम्पोर्टेन्स का है।

सड़क निर्माण

५६३. श्री भीमसेन (श्री शिवनाथसिंह की अनुपस्थिति में) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) प्रथम पंचवर्षीय योजना में राजस्थान के किस-किस जिले में कितनी-कितनी मील लम्बी सड़कें बनाने का प्रावधान था व उनमें से कितनी बन चुकी थीं ?

(२) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस किस जिले में कितनी कितनी मील लम्बी सड़कें बनाने की योजना है ?

(३) सन् १९४७ से १९५६ तक किस-किस जिले में कितनी-कितनी मील पक्की सड़कें बनाई गई हैं ?

उप मंत्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (१) (२) सूची संलग्न है।

(हंसी)

Page No.23

कई माननीय सदस्य : संलग्न होने से क्या फायदा !

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मैं पढ़ दूंगा।

(२) सन् १९४७ में न राजस्थान बना था और न उसके जिले। अतः यह प्रश्न ही नहीं उठता, परन्तु यह बता देना आवश्यक है कि एकीकरण के पहले जिन सड़कों पर काम चल रहा था वह पंचवर्षीय योजना में ले लिया गया।

जयपुर. २३७।

श्री अध्यक्ष : No, you need not repeat this. Those who are interested in this. will look into it. Next.

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

लघु सिंचाई योजना

५६४. **श्री भैंरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) प्रथम पंचवर्षीय योजना में लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत कितना धन निर्धारित किया हुआ था ?

(ख) इस धन राशि में से कितना धन खर्च हुआ और किस-किस वर्ष में किस-किस जिले में कितने कितने धन का व्ययगमन (लैप्स) हुआ और क्यों ?

(ग) जो धन खर्च हुआ उसमें किस किस जिले में कितना कितना खर्च हुआ ? कृपया जिलेवार ब्यौरा दें ?

उप सिंचाई मंत्री (श्री भीखाभाई) : (क) प्रथम पंचवर्षीय योजना में लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत १७५ लाख रुपये की धन राशि निर्धारित की गई है।

(ख) इस मद में धन राशि के लैप्स होने का सवाल नहीं उठता है क्योंकि पंचवर्षीय योजना में जो सीमा निर्धारित की गई है वह साबित रहती है।

(ग) जिलेवार खर्च की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है; परन्तु इसका आधार जिले का क्षेत्र या जन संख्या नहीं है अपितु किस प्रकार के लघु सिंचाई के स्रोत (sources) अमुक जिले में स्थित हैं।

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिये)

श्री भैंरोंसिंह : जिलेवार जो खर्चा हुआ है उसकी सूची किस आधार पर बनाई हुई है ?

श्री भीखाभाई : जहां जहां एक्चुअल खर्चा होता है उसकी सूची है। मान लीजिये कि एक जगह एक साइड है, दो साइड है और एक भी किसी में नहीं है। पहले उसके एस्टीमेट्स बन कर आते हैं, जब टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव एप्रूवल होगी तब जाकर काम शुरू होगा। चूंकि आपने मांगी है इसीलिए सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

श्री भैंरोंसिंह : सूची में जो खर्चा दिखाया गई है उसमें वास्तव में कुछ लैप्स भी हुआ है क्या ?

श्री भीखाभाई : लैप्स होने का सवाल ही नहीं है। मान लीजिये कि एक स्कीम में रुपया मन्जूर हुआ लेकिन उस स्कीम में जो खर्चा करना चाहते थे वह यदि कोई टेक्निकल डिफिकल्टी आ गई हो और वह न कर पाये हों; उसमें लैप्स होने का सवाल नहीं उठता क्योंकि दूसरे में खर्चा कर दिया जाता है।

श्री भैंरोंसिंह : किस जिले में सबसे ज्यादा खर्चा हुआ और किस जिले में सबसे कम खर्चा हुआ ?

Page No.24

श्री भीखाभाई : सूची आपके सामने है।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरे पास सूची नहीं आई है।

श्री भीखाभाई : सदन की मेज पर है, आप ले लेते।

श्री भैरोंसिंह : मिली ही नहीं है, मेरे पास आई नहीं।

श्री अध्यक्ष : It may be available in the Notice Office.

श्री पूनमचन्द विश्नोई (उप मंत्री) : The Hon. Members should take care to read it before, if they are particular about a particular question and then should ask questions safely.

श्री भानसिंह : But the Hon. Members do not get the 'Suchi'.

श्री अध्यक्ष : Order please!

श्री भैरोंसिंह : वह सूची आपके पास है तो उसमें से देख कर बता दीजिए कि सबसे ज्यादा किस जिले में खर्चा हुआ और सबसे कम किस जिले में?

(उत्तर प्राप्त न होने पर)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब तो दिलाया जाय।

श्री अध्यक्ष : It is a long list.

श्री भैरोंसिंह : मैं एक यही प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री भीखाभाई : इसमें इयरवाइज़ ब्रेक अप किया हुआ है। ५३-५४, ५४-५५, ५५-५६, ५६-५७

(हंसी)

श्री भैरोंसिंह : मैं पंचवर्षीय योजना का चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : चार साल का स्टेटमेन्ट दिया है। बजट एक्सपेन्डीचर लेप्स......

श्री भैरोंसिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि पंचवर्षीय योजना काल में किस जिले में ज्यादा खर्चा किया गया और किस जिले में कम?

श्री अध्यक्ष : That needs calculation, that is what he says.

श्री भैरोंसिंह : बता दें तो फिर सप्लीमेन्टरी क्वेश्चन्स अराइज़ होते हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री तनसिंह।

पशु चिकित्सालय

श्री तनसिंह (बाड़मेर) क्या मंत्री, कृषि विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) बाड़मेर जिले में पशु चिकित्सालय कहां कहां पर हैं?

(२) क्या अन्य किन्हीं स्थानों पर ऐसे चिकित्सालय खोलने का सरकार विचार कर रही है?

(३) कितने और कौन-कौन से ऐसे जिले हैं जिनमें बाड़मेर, से कम पशु चिकित्सालय हैं?

उप कृषि मंत्री (श्री दौलतराम सारण) : (१) बाड़मेर जिले में बाड़मेर, सियाना, बालोतरा, शिव तथा चौहटन स्थानों में पशु चिकित्सालय हैं।

(२) वहां अन्य कहीं पशु-चिकित्सालय खोलने की अभी आवश्यकता नहीं समझी जाती।

(३) इस सम्बन्ध में चार अन्य जिले और भी हैं जहां बाड़मेर से भी कम पशु चिकित्सालय हैं उनके नाम सिरोही, बांसवाड़ा डूंगरपुर और जैसलमेर हैं।

श्री तनसिंह : आवश्यकता आपको अनुभव नहीं हो रही है या वहां की जनता को।

प्रश्न संख्या ५६६

श्री अध्यक्ष : श्री श्योपतसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री ज्ञानचन्द मोदी।

सड़क निर्माण

५६७. श्री ज्ञानचद मोदी (नीम का थाना) : क्या निर्माण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) प्रथम पंचवर्षीय योजना में सीकर जिले में कितनी तथा कौन कौन सी सड़कों की योजना थी ?

(ख) उनमें कितनी सड़कें बन चुकीं, कितनों का काम चल रहा है तथा कितनी अभी शुरू ही नहीं हुई ?

(ग) जो सड़कें अभी शुरू नहीं हुई हैं क्या उन सड़कों का काम चालू करने का विचार है ?

(घ) यदि हां, तो कब तक तथा नहीं तो क्यों ?

उप मंत्री (श्री पूनमचद बिश्नोई) : सूची संलग्न है।

कई माननीय सदस्य : यह कहां पर संलग्न है।

श्री पूनमचंद बिश्नोई : मैं पढ़कर सुना दूंगा।

(ख) तीन बाकी पर काम चालू है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट ७ देखिये)

श्री भैरोंसिंह : कहां पर संलग्न है, बता दें।

(हंसी)

श्री तनसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह जो संलग्न सूची है वह प्रोसीडिंग्ज में कैसे आयेगी जब तक कि उसको पढ़कर न सुनाया जाय।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : हम तो सूची पढ़कर सुनाने को हमेशा तैयार रहते हैं फिर शिकायत आपको नहीं होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : कभी कभी आप ऐसा नहीं करते हैं इसलिये मौका मिल जाता है।

श्री मुक्तिलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, एक कॉपी हमेशा माननीय सदस्य को जिन्होंने प्रश्न पूछा है उनको भेज दी जाय तो बहुत अच्छा है। ऐसा होता है कि कह तो दिया

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

जाता है कि सूची सदन की मेज पर रख दी है किन्तु वास्तव में वह रखी नहीं जाती। यदि एक कॉपी दे दी जाय तो बहुत अच्छा हो।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आयन्दा हुक्म की तामील की जायगी।

हत्यायें, जिला पाली

५६८. श्री तेजाराम गहलोत (सोजत): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) पाली जिले में जनवरी १६५५ से सितम्बर १६५७ तक कितने मर्डर केसेज़ हुए ?

(ख) पुलिस ने कितने मर्डर केसेज़ में कातिलों का पता लगा कर चालान किया ?

(ग) क्या यह सही है कि गांव खोखरा, तहसील सोजत में उपरोक्त अर्से के दर्मियान हुए एक राजपूत औरत के कत्ल के मामले की इन्वेस्टिगेशन को पुलिस अधिकारी ने खराब किया व कातिल को नहीं पकड़ा ?

(घ) क्या जिन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स ने इन्वेस्टिगेशन जान–बूझकर बिगाड़ा या सही इन्वेस्टिगेशन करने में नाकामयाब रहे उनके विरुद्ध कोई एक्शन लिया गया ? अगर हां, तो किन किन के खिलाफ क्या क्या एक्शन लिया गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री, गृहमंत्री की अनुपस्थिति में) : (१) ५७.

(२) ४७ प्रकरणों का पता लगा लिया गया, उनमें से ४१ का चालान किया गया।

(३) जी नहीं। पुलिस ने ठीक तरह से अनुसन्धान किया, फिर भी पूरी तरह से पता नहीं चला।

(४) प्रश्न तीन के उत्तर को देखते हुए अनुसन्धान-कर्त्ताओं के खिलाफ कोई कार्यवाही करने का प्रश्न पैदा नहीं होता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि छः केसेज़ का जो चालान नहीं किया गया उसका फाइनल दे दिया गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैने निवेदन किया कि ४७ का तो पता लगा लिया, उसमें से ४१ का चालान कर दिया गया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं तो यह पूछ रहा हूं कि छः का चालान नहीं किया गया क्या उनका फाइनल दे दिया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : उनके खिलाफ एवीडेन्सेज़ नहीं मिले।

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : जैसा कि आपने कहा कि ५९ केसेज़ हुए उनमें में ४७ का पता लगा लिया और उनमें से ४१ का चालान पेश कर दिया गया हैं, छः का चालान नहीं हुआ तो क्या इन छः केसेज़ का फाइनल दे दिया गया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मेरे ख्याल से फाइनल रिपोर्ट नहीं दी है।

श्री तेजाराम गहलोत : माननीय मंत्री महोदय ने मेरे प्रश्न के (ग) भाग का जवाब दिया, जी नहीं, तो क्या माननीय मन्त्री महोदय किसी दूसरे पुलिस अधिकारी से इन्वेस्टीगेशन कराने के लिए तैयार हैं कि पुलिस अधिकारी के नेगलीजेन्स के कारण ही यह मामला अनडिटेक्टिव रहा है।

श्री दामोदरलाल व्यास : आप किस मुकदमे के लिए फर्मा रहे हैं।

श्री तेजाराम गहलोत : प्रश्न के भाग ग के बारे में खोखरा गांव के बारे में कह रहा हूं।

श्री दामोदरलाल व्यास : इसके लिए मैंने अर्ज किया, इन्वेस्टीगेशन पूरी तौर से किया गया लेकिन कोई एवीडेन्स नहीं मिली इसलिए चालान नहीं किया।

श्री तेजाराम गहलोत : क्या यह सही है कि वहां के पुलिस ऑफिसर की इन्वेस्टीगेशन में लापरवाही करने से यह केस फेल हुआ ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह तो आपका ख्याल है इन्वेस्टीगेशन बाजब्ता और ठीक किया गया। बावजूद तमाम कोशिशों के मुलजिम के खिलाफ कोई शहादत पेश नहीं हो सकी।

श्री मूलचन्द डागा : शहादतें अगर अब भी पेश की जायं तो क्या आप लेने के लिए तैयार हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : शहादतें दे सकते हैं हर वक्त, लेने के लिए तैयार हैं।

श्री श्रीभानसिंह : इनवेस्टीगेशन में कितने विटनेसेज़ को एग्ज़ीबिट किया गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इस मेटर की डिटेल्स मेरे पास नहीं है।

श्री श्रीभानसिंह : मरडर केसेज़ होते हैं और उनमें भी एवीडेन्स नहीं मिलती है और जब डिटेल्स हम मांगते हैं तो माननीय मन्त्री महोदय कहते हैं कि सारी डिटेल्स मेरे पास नहीं है। क्या हमारी जिम्मेवारी है कि हम डिटेल्स सप्लाई करें।

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, यह नामुमकिन है कि सारे मामलों के डिटेल्स हम साथ में लावें। एक-एक इन्वेस्टीगेशन में सैकड़ों गवाहों के बयान होते हैं, किस किस के बयान हम लावें it is not possible कि किसी पर्टीकुलर आदमी के बयानात या उसके बारे में डिटेल्स आप चाहते हैं तो वह बताये जा सकते हैं, nor it is relevant to the question.

श्री तेजाराम गहलोत : इस इन्वेस्टीगेशन को कितने पुलिस अधिकारियों ने किया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इसकी जांच सर्किल इन्सपेक्टर, सब इन्सपेक्टर व शायद Dy एस. पी. वगैरह ने की है।

श्री तेजाराम गहलोत : क्या पहले इन्वेस्टीगेशन में यह मरडर का मोटिव साबित होता है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जब यह मामला दर्ज किया उसके लिए एवीडेन्सेज़ पेश नहीं हुई, दो तरह के मोटिव्ज़ साबित होते हैं !

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट :

भरतपुर के किले और नहर की चार दीवारी की मरम्मत

५६६. श्री गोवर्धनसिंह (बयाना) : क्या निर्माण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सच है कि भरतपुर शहर की नहर की चार दीवारी बिल्कुल टूट चुकी है ? यदि हां, तो क्या उसे ठीक करवाने का

(श्री गोवर्धनसिंह)

सरकार निकट भविष्य में कोई विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(२) भरतपुर के किले की दीवारें जो मरम्मत चाहती हैं क्या सरकार उनकी मरम्मत करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(३) जिला भरतपुर की कुल कितनी सड़कें हैं और उनके क्या क्या नाम हैं ? कितनी मरम्मत के योग्य हैं, कितनी नई सड़कें निर्माण होने की संभावना है ?

उप निर्माण मंत्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (१) यह सच नहीं है ।

(२) यथा संभव आवश्यक मरम्मत करा दी जाती है ।

(३) ६५ सड़कें हैं । थोड़ी बहुत मरम्मत की आवश्यकता रहती ही है । १२ सूची संलग्न हैं । भविष्य में ज्यों ज्यों धन-राशि उपलब्ध होगी यह काम लिया जायगा ।

(कृपया परिशिष्ट ८ देखिये)

अध्यक्ष महोदय, नाम पढ़ कर सुना दूं ।

श्री गोवर्धन सिंह : सूची मुझे मिली नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : आज किसी को मिली नहीं है, बाद में मिल जायगी ।

नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या ५५५

(पूर्व क्रम से)

जंगलों के ठेके

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : अध्यक्ष महोदय, अब तक मुझे इस प्रश्न की जो सूची है वह नहीं मिली और दूसरी बात यह है कि यह प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है, हजारों वृक्ष काटे जा रहे हैं जो बहुत पुराने-पुराने हैं और नये जो पौधे लगाये जा रहे हैं इसमें हजारों रुपया बरबाद हो रहा है । आज वन मंत्री महोदय भी उपस्थित नहीं हैं और सूची भी मुझे नहीं मिली है इसलिए इसको नेक्स्ट टर्न के लिए पोस्टपोन कर दिया जाय ।

उप मंत्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : विशेष परिस्थितियों के कारण वन मंत्री उपस्थित नहीं हैं और यह महकमा भी मेरा नहीं है । ऐसी सूची नहीं मिलने की जो गलती रह गई है वह आयन्दा नहीं रहेगी, ऐसा मैं माननीय सदस्य महोदय से निवेदन कर दूंगा ।

श्री मदनसिंह (दांता) : जब आपका यह महकमा है नहीं तो आपने खड़े होकर जवाब देने की तकलीफ ही क्यों की ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : उनके बिहाफ पर जवाब दिया है ।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री : इसी लिए मेरा निवेदन है कि वन मंत्री भी नहीं हैं, इसलिए इस प्रश्न को दूसरी टर्न पर रख दिया जाय ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या मंत्रियों में भी युनिटी नहीं है ।

श्री दामोदरलाल व्यास : आपके मुकाबिले में तो युनिटी है ।

१२. ७ म० प०

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

श्री अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पहले मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि निम्न लिखित सदस्यों ने विधान सभा की

(श्री अध्यक्ष)

बैठकों से उस समय के लिये जो कि उनके नाम के आगे निर्देशित है, अनुपस्थित रहने की आज्ञा के लिए प्रार्थना की है :

श्री मोडूलाल : १२–३–५८ से १३–३–५८ तक

श्री नारायणसिंह मसूदा : १०–३–५८ से १५–३–५८ तक

श्री रावतराम : १३–३–५८ से ५–४–५८ तक

क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

१२·८ म० प०

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री अध्यक्ष : बजट पर वाद-विवाद प्रारम्भ हो उससे पहले मैं माननीय सदस्यों को निवेदन कर दूं कि बजट पर वाद-विवाद का समय आज और कल का रखा गया है उसमें कल सरकार की तरफ से जवाब भी दिया जायगा, अतः जो भी माननीय सदस्य बोलें वे समय का ध्यान रखते हुए ही बोलें।

एक माननीय सदस्य : समय निर्धारित ही कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : यदि आवश्यकता हुई तो यह भी करना पड़ेगा, लेकिन मैं आशा करता हूं कि बिना समय के निर्धारित किये ही माननीय सदस्य समय का ध्यान रखते हुए ही बोलेंगे।

(विराम)

श्री पुरुषोत्तमलाल अपना भाषण जारी रखें।

श्री पुरुषोत्तमलाल (किशनगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय . . . .

श्री मुक्तिलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, कभी कभी ऐसे मौके मिलते हैं बोलने के लिये, यदि समय की कमी है तो शनिवार को और बैठा जाय और सरकार की तरफ से उस दिन जवाब हो जाय।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़ !

श्री पुरुषोत्तमलाल (जारी) : अध्यक्ष महोदय, मैं कल कह रहा था कि जो पाठ्य-पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है, वह ठीक है लेकिन इसमें जो किताबों के वितरण की व्यवस्था की गई है वह अजीब ढंग से हुई है। मैं यह मानने के लिये तैयार नहीं कि जिन चीजों का हम राष्ट्रीयकरण करने जा रहे हैं, उनमें काम करने वाले पूरा इन्तजाम नहीं करते यह हमारे लिये बहुत ही खेद की बात है। जब पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण किया गया तो उसमें यह नहीं देखा गया कि क्या हम पुस्तकें समय पर बालकों को दे सकेंगे या नहीं ? आज हाल यह है कि मार्च के महीने तक पाठ्य-पुस्तकें बालकों को प्राप्त नहीं हो सकीं। इसके लिये कहा यह जाता है कि हमारे पास कागजों की व्यवस्था नहीं थी, प्रेस की पूरी व्यवस्था नहीं थी इसलिये इसमें देरी हुई। परन्तु अध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्था तो सरकार के हाथ में थी कि राष्ट्रीयकरण की हुई पुस्तकों को इस साल से लागू न करके अगली साल से लागू कर सकते थे। इस सम्बन्ध में तो सरकार सोच सकती थी। इसमें जो गलती हुई इसके लिये लोग आलोचना करते हैं।

इसके साथ-साथ मैंने यह भी निवेदन किया था कि जिन उद्योग-धन्धों का राष्ट्रीय-

(श्री पुरुषोत्तमलाल)

करण किया जाता है तो उन उद्योग-धन्धों में लगे हुए आदमियों को कोई न कोई काम दिया जाता है । लेकिन जब पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण हुआ इसमें जो काम करने वाले बुक-सेलर्स, प्रेस वाले व अन्य काम करने वाले, उनको कोई काम देने की कार्यवाही नहीं की गई और पाठ्य-पुस्तकों के राष्ट्रीयकरण से इनके छपाई पर जो खर्च हुआ है उसमें हमें बहुत ज्यादा खर्च उठाना पड़ा है । हालांकि सरकार ने इस बात को नहीं माना है । इन कार्यों के लिये विभागीय कर्मचारी जो बाहर जाते हैं वे स्टेट के खर्चे से जाते हैं, वह खर्चा इसमें शामिल नहीं किया गया है, भत्ता अलॉउन्स आदि वे अपने डिपार्टमेंट से लेते हैं, वे अलॉउन्स, भत्ते इसमें नहीं जोड़े जाते । इससे हमें पूरा पता नहीं हो सकता कि पाठ्य पुस्तकों के छपने में कितना खर्च हुआ । इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि हम अगर रॉयल्टी सिस्टम जारी कर दें, जैसा यू. पी. में है तो इससे काफी फायदा होगा, विभागीय अधिकारियों का समय बचेगा और दूसरे खर्चे भी कम होंगे और उन लोगों को भी काम मिलेगा जो इससे प्रभावित हुए हैं ।

इसके बाद मैं शिक्षा के बारे में निवेदन करूंगा । जो एक हजार प्राइमरी स्कूल खोलने की बात कही गई है मैं उसका स्वागत करता हूं । पर साथ ही यह सोचना जरूरी है कि हम सभी साज-सामान उनको प्रोवाइड करते हैं या नहीं ? अभी हम देखते हैं कि एक-एक शिक्षक वाली स्कूलें दो-दो तीन-तीन महीने तक बन्द पड़ी रहती हैं । वहां कोई रिलीविंग मास्टर नहीं पहुंचता इससे वहां के विद्यार्थियों का समय बरबाद होता है और शिक्षा पाने वालों को नुकसान उठाना पड़ता है तो ऐसी स्थिति में हम जो भी स्कूलें खोलें, उनके लिये पूरी व्यवस्था करने का हम प्रयत्न करें ।

इसके साथ ही यह जो बेसिक स्कूलों का जो कार्यक्रम है उसमें भी कुल साधनों की उपलब्धि हम पहले करें । मैंने देखा है कि इन स्कूलों में सामान्य पाठ्य-सामग्री भी उपलब्ध नहीं की जाती । ऐसी सूरत में नाम-मात्र के लिये बेसिक स्कूल खोलना उपयुक्त नहीं । मैंने अजमेर जिले में देखा है कि ऐसी एक बेसिक स्कूल में दो दो हजार का सामान है, जहां दूसरी और किशनगढ़ सब डिविजन में ६०) सालाना का भी सामान नहीं दिया जाता तो यह अन्तर जनता को महसूस होता है । इसलिये मैं आशा करूंगा कि सभी स्कूलों में यथायोग्य सामान पहुंचाये जाने की व्यवस्था की जायेगी ।

अब हम जो बड़े बड़े कॉलेज खोलते हैं वे शहरों में खोलते हैं । यह प्रवृत्ति मेरी समझ में बदल देनी चाहिये । जब हम गांवों की उन्नति की बात करते हैं तो कॉलेज भी हमें उधर ही खोलने चाहिये । इससे दो फायदे होंगे एक तो विद्यार्थियों में जो गलत प्रवृत्तियां शहरों में पड़ जाती हैं वे और जो विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता बढ़ रही है, वह गांवों में बिल्कुल नहीं रहेगी, उनके रहन सहन में सादगी आवेगी, उनका रहन-सहन का खर्चा कम होगा, सूट-बूट टाईलगाना जो आजशहरों में वे जरूरी समझते है गांवों में वे इनकी आवश्यकता नहीं महसूस करेंगे, उनका चरित्र उन्नत होगा, गांवों की समस्याओं से वे परिचित होंगे और इसके लिये यों कहना चाहिये कि जो भारत गांवों में फैला हुआ है उस भारत को वे समझ सकेंगे और दूसरी और जो हम गांवों में शिक्षा का प्रसार करना

(श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा)

चाहते हैं वह भी होगा, गांव वालों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। तो ये बड़े बड़े कॉलेज, टैक्निकल कॉलेज भी गांवों में खोलें तो ज्यादा अच्छा होगा। इससे गांव वाले भी यह महसूस करने लगेंगे कि हमारी उन्नति की जो बातें सरकार करती है वह अब वास्तव में हो रही है। इससे गांव और शहरी जनता का सम्मिश्रण भी होगा। इस पृष्टभूमि में मैं निवेदन करूंगा कि इस समय भी जो एक पोली टेक्निक कॉलेज अजमेर में खोला जा रहा है मैं उसका स्वागत करता हूं पर साथ ही प्रार्थना करता हूं कि वह अजमेर शहर में नहीं खोलकर अजमेर जिला के किसी छोटे टाउन या गांव में खोलेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री तनसिंह : किशनगढ़ में ?

श्री पुरुषोतमलाल : किशनगढ़ में तो अवश्य खोलें या न खोलें तो भी किसी गांव में खोलें। राजस्थान को इसमें आगे होकर उदाहरण पेश करना चाहिये। आप देखें कि आज वनस्थली विद्यापीठ गांव में है और वहां के सादे वातावरण में रहकर वे लड़कियां किस प्रकार से उन्नति कर रही हैं। तो इस तरह से अधिकतर कॉलेज और बड़े विद्यालय गांवों में खोलेंगे तो ज्यादा फायदा हो सकेगा।

इसके बाद माननीय वित्तमन्त्री के भाषण में मैंने यह नहीं देखा कि जहां लड़कों के लिये वे इतना करने जा रहे हैं वहां लड़कियों के लिये कितनी स्कूलें खुलने जा रही हैं ? आज स्थिति देश की यह है कि देश की आधी जनता, हमारा आधा अंग शिक्षा से वंचित है। जब तक इस अंग को बराबरी की शिक्षा नहीं देंगे तब तक हमारी उन्नति नहीं हो सकती। इसलिये इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिये। वित्तमंत्रीजी ने इतने महत्व पूर्ण सवाल पर कुछ नहीं कहा इसका मुझे खेद है। अब मैं आशा करता हूं कि वे और शिक्षा मन्त्रीजी मिलकर इस दिशा में भी प्रयत्न करेंगे।

कॉलेजों में भी साज-सामान की कमी है। मैंने देखा किशनगढ़ कॉलेज में कॉमर्स क्लास खोली गई। पर मार्च तक भी टाइप राइटर वहां नहीं पहुंचे। अगर आप इन चीजों की व्यवस्था नहीं कर सकते थे तो ज्यादा अच्छा यह था कि कॉमर्स क्लास नहीं खोलते पर खोल कर सामान नहीं देना उपयुक्त नहीं था। इससे क्या असर पड़ेगा लोगों पर सरकार की कार्य पद्धति का, यह सोचने की बात है। इसी प्रकार वहां साइन्स रूम बनाया गया २५ हजार रुपया लगा कर और साइन्स की सामग्री करीब दस हजार की खरीदी गई, पर साइन्स क्लास चालू नहीं की गई, इतना रुपया खर्च हो गया। रोजाना आज भी २०० लड़के इसके लिए अजमेर जाते आते हैं। तो इस तरह से पैसा खर्च किया जाय तो उसका उपयोग किया जाना चाहिए। एक तरफ पैसा खर्च करके भी उसका उपयोग नहीं किया जाता, दूसरी ओर उसी पैसे के अभाव में टाइप राइटर नहीं आ सकते। या तो यह व्यवस्था बिठाने का प्रयत्न नहीं किया जाता, या इस और बराबर ध्यान नहीं रक्खा जाता। मदनगंज में एक मिडिल स्कूल है इसके लिए जनता ने ३० हजार की एक इमारत सरकार को भेंट की और इसके साथ साथ आठ दुकानें जो अधूरी बनी हुई थीं, वे भी सरकार को इस शर्त पर दी गई कि इनसे चार कमरे तैयार कर लिए जावेंगे, सरकार की तरफ से इन्सपेक्टर और डाइरेक्टर ऑफ स्कूल्स ने भी कहा था कि अगर ये दुकानें

(श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा)

हमें मिल जाती हैं तो हम इन्हें चार कमरों में परिवर्तित कर देंगे। इस शर्त पर मैंने वे दुकानें भी सरकार को दिलवाई; पर आज सन् ५३ से लेकर ५८ आ गया है, वे दुकानें वैसी की वैसी अधूरी पड़ी हैं। यह है सरकार की व्यवस्था की स्थिति। तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार जनता सरकार को सहयोग देना चाहती है, उसी प्रकार सरकार भी अपने वायदों का आदर करे तो ज्यादा अच्छा होगा।

अब मैं स्वास्थ्य विभाग के बारे में कुछ शब्द कहना चाहता हूं। जिस प्रकार सरकार ने स्कूलों के बारे में बड़ी डिटेल से बताया, उस तरह यह नहीं बताया कि हम इतने अस्पताल, इतने दवाखाने इस साल खोलना चाहते हैं। सिर्फ यह लिखा है कि :

"चिकित्सा सम्बन्धी कार्यक्रम का उद्देश्य उपचारमूलक चिकित्सा सेवाओं का विस्तार करना तथा उन्हें प्रत्येक व्यक्ति के लिए और विशेषकर ग्राम निवासियों के लिए उत्तरोत्तर अधिक सुलभ करना है। आयुर्वेदिक तथा चिकित्सा की अन्य देशी पद्धतियों का अनुमोदन करने के अलावा सरकार राज्य में प्राकृतिक चिकित्सा एवं योगासन की क्रियाओं को भी प्रोत्साहन दे रही है।"

मैं समझ नहीं पाया कि वे किस प्रकार सुलभ कर सकेंगे। इसका ब्यौरा नहीं बताया गया। हो सकता है कि एक दवाखाने में एक कम्पाउन्डर ही और सुलभ करना चाहते हों। आखिर क्या सोचा है इसका दिग्दर्शन बजट भाषण में नहीं कराया गया।

उसके साथ ही साथ उन्होंने आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति का अनुमोदन करने के अलावा प्राकृतिक चिकित्सा में योगासन की क्रियाओं को प्रोत्साहन देने के लिए लिखा है। मैं निवेदन करूंगा कि प्राकृतिक चिकित्सा (Natural treatment) जो है इसके बारे में थोड़ा सा निवेदन करूंगा कि जितने भी ट्रीटमेन्ट होते हैं वह प्राकृतिक ही हैं। समझ में नहीं आता कि दवाइयां जितनी भी बनती हैं वह प्राकृतिक साधनों से ही तो बनती हैं। अगर प्रकृति के खिलाफ कोई बात होती तो दूसरी बात है। यह जो प्राकृतिक चिकित्सा का नारा लगाया गया है इसका सिद्धान्त समझ में ही नहीं आता। प्राकृतिक दवाइयां आयुर्वेद में भी हैं और एलोपेथी में भी हैं। इनमें दी जाने वाली दवाइयां प्राकृतिक सिद्धान्तों से ही बनाई जाती हैं। इसके बाद में योगासन की क्रियाओं के लिए बताया गया है लेकिन मैं अध्यक्ष महोदय यह निवेदन करूंगा कि योगाभ्यास और योगासन की जो क्रियायें हैं वह कोई देने की चीज नही है वह तो लेने की चीज है और वह लेने वाले कैसे हों यह हमें देखना है। जैसा कि एक अंग्रेज ने लिखा है "Yogasan cannot be taught but it can be caught."

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : यह आपने कौन से शास्त्र का उदाहरण दिया है ?

(हंसी)

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : मैंने बता दिया।

श्री चंदनमल वैद : अध्यक्ष महोदय को मालूम हो कि अथर्ववेद में ऐसा लिखा है।

(हंसी)

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : मैं निवेदन करूंगा कि योगासन की जो क्रिया है इसे अगर हम इस तरह से जगह जगह देते फिरेंगे

(श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा)

तो यह उपयुक्त नहीं होगा व सच्चे योगी का महत्व कम होगा। योगासन की क्रिया वही लोग कर सकते हैं जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हों और उनमें कई बातें साधारण जन से कुछ दूसरी हों। लेकिन अब हम यह धारणा फैलाने लगे कि बीमारी में भी योगासनों की क्रियायें करें यह तो वही बात हो गई जैसे तीसरी क्लास का विद्यार्थी तीसरी क्लास को ही पढ़ाने लग जाये। यह अधिक उपयुक्त नहीं हो सकता। योगासन को चिकित्सा पद्धति में लागू करने का जो विचार प्रकट किया गया है उससे मैं असहमत हूं।

इसके अलावा जो अस्पताल और औषधालय हमारे यहां हैं उनमें दवाइयों की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। मैं अभी अभी श्रीनगर गया था वहां जाने पर मुझे पता चला कि वहां के अस्पताल में पहले २००० की दवाइयां दी जाती थीं लेकिन अभी एक हजार काट कर १००० की दवाइयां रख दी गई हैं। मैंने उनसे कहा कि मरीज़ कम हो गये होंगे। इस पर उन्होंने कहा कि नहीं साहब मरीज़ तो ज्यादा हैं। मैंने कहा कि अच्छा है बीमारी कम आयेगी। लेकिन आज हम दवाखाने खोलते हैं और उनमें सुचारु रूप से व्यवस्था करें तो स्वास्थ्य चिकित्सा का काम हमारा कामयाब हो सकता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आप जितने भी अस्पताल और औषधालय खोलें उनमें पूरी पूरी दवाइयों की व्यवस्था होनी चाहिए। उसके साथ ही यह निवेदन करूंगा कि जो हमारी बिल्डिंग्स हैं होस्पिटल्स की, उनकी हालत है वह बहुत ही खराब है। किशनगढ़ में एक जनाना हास्पिटल है उसमें जो प्रसूतिकाओं के रहने का जो कमरा है उसको आप देखें तो वह ऐसा प्रतीत होता है कि कोई भी अच्छा आदमी वहां रह नहीं सकता....

एक माननीय सदस्य : आप देख आये क्या ?

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (जारी) : और उन बीमारों के स्वास्थ्य का जहां पूरा ख्याल रखा जाता है अगर वहां ही मकानों की इस प्रकार की गन्दी हालत हो तो यह उपयुक्त नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि वित्तमंत्री महोदय इस ओर भी ध्यान दें।

अब मैं इरिंगेशन के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। इरिंगेशन के अन्दर जो सिंचाई योजनायें हैं वे बहुत बड़ी बड़ी हैं और इन योजनाओं को हमने ऋण लेकर और भारत सरकार से मदद लेकर चालू किया है। कल मैंने यह कहा था कि ऋण लेना कोई बुरी बात नहीं है क्योंकि अन्य प्रदेश जितने भी हैं उनको ऋण लेना पड़ता है और ऋण लेकर ही वे अपनी योजनाओं को, अपने प्रदेश की उन्नति के साधन जुटाने लिये, पूरी करते हैं। हम ऋण से नहीं डर सकते और बिना ऋण के हम कभी भी अपनी योजना की पूर्ति नहीं कर सकते। मैं यह मानने को तैयार नहीं कि हमें इन योजनाओं से फायदा नहीं होगा, अवश्य फायदा होगा क्योंकि जिस प्रदेश में, जैसे जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर इत्यादि जो क्षेत्र हैं जहां कि पानी की आज भी बहुत कमी है उनमें अगर पानी जायेगा तो लाखों बीघा जमीन सिंचित होगी। किन्तु उसके साथ साथ लघु सिंचाई योजनायें हैं उन पर भी पूरा ध्यान रखें तो वह ज्यादा कारगर हो सकती हैं। आज हम बड़ी बड़ी योजनाओं के पीछे हैं और उनसे हमें लाभ पांच या दस वर्ष बाद मिलेगा लेकिन लघु सिंचाई योजनाओं से फायदा हमें

(श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा)

जल्दी मिल सकता है । इसलिए सरकार को इन लघु सिंचाई योजनाओं की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। मैं यह बता चाहता हूं कि आज हम कोई भी बंध बनाने जाते हैं तो उसके पहले यह सोचना चाहिए कि इससे फायदा भी होगा या नहीं । जैसे अजमेर स्टेट के अन्दर कायड़ का बंध बना और वहां सलेमाबाद बड़स के आस-पास के पांच सौ कुओं का पानी सूख गया। तो एक तरफ तो आप बंध बनाते हो और दूसरी ओर आसपास के गांवों के पांच सौ गांवों के कुओं का पानी सूख जाता है तो इससे क्या लाभ ? यह तो आप एक तरफ उन्नति करके दूसरी तरफ बरबादी करते हैं । मैं रूपनगढ़ गया था जो मेरी कॉन्स्टिटुएन्सी है, वहां मिस्टर डे० भी गये थे तो वहां तहसील के लोगों ने कहा कि कायड़ बंध बनने से सलेमाबाद के पांच सौ कुए सूख गए और अब जो ऊंटड़ा का बांध बन रहा है यह क्या हमारे सारे रुपनगढ़ को ही बरबाद करेगा ? तो मैं वित्त मन्त्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि मैं ऊंटड़ा के बनने से नाराज नहीं हूं, यह बनना चाहिए, लेकिन एक्सपर्टस् से इस बात की जांच कर लेनी चाहिए कि यह बंध दूसरे गांवों को नुकसान तो नहीं पहुंचायेगा ? इसके साथ ही मैं निवेदन करूंगा कि जिस रुपनगढ़ कॉन्स्टिटुएन्सी से आया हूँ, वहां पानी मनुष्यों के लिए पीने को तो दूर रहा जानवरों के पीने के लिए भी नहीं है और अगर वहां के पानी को जानवर पी लें तो मर जायें और वहां के लिये गवर्नमेंट ऑफ इन्डियासे उस तहसील के लिए ५२,००० रुपया राजस्थान सरकार को देती है । वह इसलिए कि रुपन नदी पर बंध नहीं बने। पहले किशनगढ़ स्टेट भी जब वहां बांध बनाने लगी तो गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया ने कहा कि यह बंध नहीं बन सकता। तो किशनगढ़ गवर्नमेंट ने कहा कि यह बंध नहीं बन सकता तो जो हमारे यहां के कल्टीवेटर्स को नुकसान होता है इसकी रेस्पोंसिबिलिटी कौन लेगा ? तो बाद में गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया ने ५२,००० रुपया हर साल इस रुपनगढ़ तहसील के लिए दिया वह अभी भी बराबर मिल रहा है । लेकिन मैं देखता हूं कि एक पैसा भी उस तहसील में नहीं लगता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि जो ५२,००० रुपया सालाना इस तहसील के लिए मिलता है वह रुपया इसी तहसील में लगे और वह यहां की लघु सिंचाई योजना में लगे तो ज्यादा बेहतर होगा।

अब मैं थोड़ा सा यातायात के बारे में निवेदन करूंगा कि हमारे प्रदेश में यातायात के साधन बहुत कम हैं । हमारे यहां सड़कें इतनी कम हैं कि इससे हमारे प्रदेश के लोगों को आवागमन में सुविधायें नहीं हैं। हां, सरकार सड़कें बना रही हैं लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि जो सड़कें पहले से बनी हुई हैं और जहां दो-तीन मील के टुकड़े नहीं बन पाये हैं, उनको अगर जोड़ दिया जाय तो जनता को ज्यादा फायदा हो सकता है । ऐसे छोटे-छोटे टुकड़े भी सरकार नहीं बनाती है, इससे जनता में आलोचना का वातावरण पैदा होता है । श्रीनगर से जो रोड अजमेर राज्य ने बनाई है वह अजमेर राज्य ने अपने हद तक बनाई है और राजस्थान सरकार की किशनगढ़ से बड़ा उदयपुर तक एक सड़क बनी है लेकिन आगे तीन मील का टुकड़ा जो कि श्रीनगर के पास जोड़ा जा सकता है, वह अभी तक ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है । अगर यह जोड़ दिया जाय तो नसीराबाद से किशनगढ़ तक का

Page No.35

(श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा)

यातायात ठीक हो जायेगा। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इस टुकड़े को भी बनाने के लिए इस बजट में प्रोवीज़न रखने की कृपा करेंगे क्यों कि वित्त मंत्रीजी ने खुद ने ही जब हिन्दुस्तान के उस समय के होम मिनिस्टर काटजू साहब, सिलोरा आये थे, उस समय आपने अजमेर राज्य के मुख्य मंत्री के रूप में वायदा किया था कि जो टुकड़ा हमारी हद का रह गया है, वह हम बना देंगे। तो अब मैं निवेदन करूंगा कि वह दो-तीन मील का टुकड़ा अब जो बाकी पड़ा है उसे वे अवश्य ही बना देने की कृपा करें। इसके साथ जो रूपनगढ़ तहसील है वह रेगिस्तान है, वहां पर कोई आवागमन के साधन नहीं हैं। वहां की करकेड़ी रोड़ का पंचवर्षीय योजना में प्रोवीज़न रखा गया, लेकिन आज ३-४ साल हो गये, वहां कोई काम शुरू नहीं किया गया। यह क्यों? यह मैं निवेदन करूंगा कि अब अजमेर राज्य नहीं रहा है और अजमेर जिले में किशनगढ़ सब डिविजन मिल चुका है। इसलिए मैं वित्त मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इन तहसीलों में, रूपनगढ़ और किशनगढ़ का भी पूरा पूरा ध्यान रखें। जो सड़क नावां तक पहुँचती है, उस सड़क को नावां से रूपनगढ़ तक मिला लिया गया तो रेगिस्तान के इस इलाके में जो लोग रहते हैं और जिन लोगों ने आंखों से सड़क नहीं देखी है उनको ज्यादा फायदा होगा।

इसके साथ-साथ जब बसेज़ चलती हैं उनके बारे में भी मुझे कहना है। आज हमारी आलोचना बसेज़ के पर्मिट के सिस्टम के बारे में की जाती है और यह कहा जाता है कि भ्रष्टाचार इस महकमे में पुलिस से भी ज्यादा बढ़ गया है। हो सकता है, लेकिन हमें इसके कॉज़ को ढूंढना चाहिए, कारण को ढूंढना चाहिए कि हम भ्रष्टाचार को किस तरह से मिटा सकते हैं। मैं यह निवेदन करूंगा कि जितनी भी रोड़ सर्विसेज़ हैं और जो पक्की सड़कों पर बस सर्विसेज़ चलती हैं, उनको सरकार प्रान्तीयकरण या राष्ट्रीयकरण कर ले, जिससे जो यह हमारी आलोचना होती है, वह कम हो और कच्ची सड़कों के रूट्स पब्लिक के लिए खुले रहें तथा इन रूट्स के पर्मिट देने में ज्यादा से ज्यादा सहूलियतें लोगों को प्रदान करनी चाहिए जिससे कि लोगों को आलोचना करने का मौका नहीं मिले।

अब इस बजट भाषण में प्रशासनिक खर्चे में ३० लाख कम करने का भी सुझाव बताया है, लेकिन इसमें यह नहीं बताया गया है, कि कौनसा प्रशासनिक खर्च कम किया जायगा? इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि हमारे प्रदेश में जो यह कमिश्नरियां हैं जैसा कि पहले भी बजट के वक्त में नेमैं कहा था ये कमिश्नरियां हमारे कोई काम नहीं आती हैं सिवाय कागजों को इधर उधर करने के या कागजों में डिले करने के। यदि कलेक्टर का डाइरेक्ट कनेक्शन हमारे सेक्रेटेरियेट व रेवेन्यु बोर्ड से हो जायगा तो ज्यादा बेहतर होगा। हमारी पांच कमिश्नरियों पर लाखों रुपया खर्च करना पड़ता है, उसकी बचत भी हो जायगी।

इसी प्रकार आज हम यह देखते हैं कि एन्टीकरप्शन के लिए हम एक बाहर से बोम्बे वाले को लाये और उन्होंने अपना महकमा चालू किया। मैं इस बात को मानने को, अध्यक्ष महोदय, तैयार नहीं हूं कि हमारे राजस्थान में कोई ऐसा योग्य व्यक्ति नहीं है जो कि इस महकमे को सम्हाल सके? मैं, अध्यक्ष महोदय, निवेदन करूंगा कि राजस्थान

(श्री पुरुषोतमलाल शर्मा)

में अनेक इमानदार व्यक्ति हैं और योग्यतम व्यक्ति भी हैं, किन्तु हमारी विचारधारा ऐसी हो गई है कि बाहर का व्यक्ति ज्यादा अच्छा काम करता है। मेरी बाम्बे वाले से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन जब तक हम हमारे प्रदेश के लोगों को हमारे शासन का भार नहीं देगें तब तक हम हमारे प्रदेश की उन्नति नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंग। कि हम बड़ी-बड़ी तनख्वाह वालों को बाहर से लाकर हमारे प्रदेश में रखें, इससे हमारा फायदा नहीं होगा, इसके बजाय हमारे प्रदेश के लोगों को हमें प्रोत्साहन देना चाहिए, जिससे हमारे प्रदेश की उन्नति हो और प्रदेश के लोगों की अच्छी व्यवस्था करने में सहायता मिल सके।

इसी प्रकार हमने अभी तक इसमें सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों की वेतन श्रेणियों के बारे में अभी तक यह तय नहीं किया कि हम कितनी तनख्वाह तक इस राज्य सरकार की सेवा में ज्यादा से ज्यादा वेतन देगें और कम से कम वेतन कितना रखेंगे? यह सीमा जब तक हम तय नहीं करते हैं, हमारे समाजवादी समाज की व्यवस्था जिसको कि हम करने जा रहे हैं, वह पूरी नहीं हो सकती। इसलिए मैं निवेदन करूंगा वित्त मंत्री महोदय से कि हम बड़ी-बड़ी पोस्टों को ज्यादा क्रियेट न करें और जितनी भी हम इसमें कमी कर सकें वह करने के लिए हमें सोचना चाहिए।

(घंटी)

अब मैं विकास खण्डों के बारे में दो, चार शब्द कहना चाहता हूं। विकास खण्ड हमारे देश की प्रगति के लिए आवश्यक हैं और रहने चाहिए, किन्तु मैं बताना चाहता हूं कि विकास खण्ड में जो गांवों में जाकर देखते हैं तो जो विकास खण्डों के ग्राम सेवक हैं उन ग्राम सेवकों के लिए हम इतनी बड़ी-बड़ी बिल्डिगें बनाते हैं कि वे उन ग्राम निवासियों की जो उनके मालिक कहलाते हैं उनकी झोपड़ियों से बहुत ऊंची बढ़ी-चढ़ी होती हैं, और वे इस प्रकार के मकान में रह कर ग्राम सेवक नहीं ग्राम के मालिक के समान माने जाते हैं। गांव के लोग उनके मकानों में पहुंचते हुए हिचकिचाते हैं। उनके मकानों में फ्लेश की टट्टियां हैं। मैं निवेदन करूंगा कि ग्राम सेवकों के लिए मेरा कोई द्वेष नहीं है लेकिन हमको वातावरण को देखना चाहिए, वहां के लोगों पर उसका क्या असर पड़ता हैं, यह हमें सोचना है। आज हम बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स बनाते हैं, मगर आगे जाकर हम इनको संभाल सकेंगे या नहीं, इसका भी हमें पूरा ख्याल करना है एवं मैं निवेदन करूंगा कि जो ग्राम सेवक योग्य व्यक्ति हो उनको ही नियुक्त करें और जो कि सेवाभावी हों और सेवाभावी ऐसे हों कि हर ग्रामवासी से जाकर वे बात कर सकें। आज हम देखते हैं एक मेट्रिकपास व्यक्ति को ४-६ महीने की ट्रेनिंग देकर ग्राम सेवक बनाकर भेज देते हैं यह उपयुक्त नहीं है। सेवा करने का अनुभव नहीं होने के कारण वे अपने ग्राम सेवक के कार्य को पूरी तरह निभा नहीं पाते हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि उनकी ट्रेनिंग का ठीक तौर से प्रावधान करेंगे व अच्छे और योग्य व्यक्तियों को नियुक्त करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। मैं इतना ही कहकर अपना भाषण समाप्त करूंगा।

श्री टीकाराम पालीवाल (महुआ) : अध्यक्ष महोदय, बजट पर काफी मित्रों ने अपने विचार प्रकट किये, सराहनीय बजट को सराहा भी गया। कुछ मित्रों ने अपनी नाराज़गी और शिकायतें भी पेश कीं। कोई डिटेल्ड

Page No.37

(श्री टीकाराम पालीवाल)

स्टडी में बजट की नहीं कर सका, फिर भी जितने आंकड़े सरसरी तौर से मैंने देखे इससे मेरा यह विचार होता है कि जहां तक बजट के आंकड़ों का प्रश्न है काफी उत्साहप्रद हैं। जितना हम कुछ साल पहले खर्च करते थे भलाई की और राष्ट्रीय उन्नति के कामों में उससे ज्यादा कहीं हम खर्च कर रहे हैं और खर्च करने की स्थिति में हैं। इससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता । वह खर्चा हम अपने राज्य से प्राप्त राजस्व से भी करते हैं अथवा हमको केन्द्र की बहुत बड़ी सहायता है। स्थिति यह है कि कहीं से भी सही, यदि केन्द्र से सहायता मिलती है तब भी हमारे देश का धन है। हमारे प्रान्त से प्राप्त हुए राजस्व से प्राप्त करते हैं तब भी हमारा धन है और हम यह सन्तोष मान सकते हैं कि हम काफी धन इस जनता की उन्नति के कार्यों मे लगा रहे हैं। कितनी उन्नति वास्तव में हम कर पाये हैं, यह दूसरा प्रश्न है लेकिन उन विषयों पर हम खर्च कर रहे हैं जिनसे जनता की उन्नति होनी चाहिये और उन्नति हो सकती है । यह बहुत लोग अनुभव करते हैं और मैं भी उनमें से एक हूं कि जितने रुपये हम खर्च कर रहे हैं उनका पूरा फल हमको नहीं मिल रहा है, जितना लाभ इतनी बड़ी धन राशि खर्च करने से हो सकता है । वह पूरा लाभ हमको या हमारी जनता को नहीं मिला लेकिन फिर भी लाभ हो रहा है इसको नजरअन्दाज नहीं किया जा सकता। कुछ शिकायतें कुछ क्षेत्रों के मित्रों की हो सकती हैं; जैसा कल ही एक मित्र ने लम्बी आवाज के साथ, फीलिंग के साथ चूरू जिले के बारे में कहा। उनके जिले में कुछ नहीं हो रहा है या हो रहा है तो कुछ नहीं के बराबर हो रहा है। मेरा ख्याल ऐसा है कि ऐसे और भी क्षेत्र बहुत से होंगे जहां जो कुछ होना चाहिये न्याय से वह नहीं हो रहा है। मैं भी ऐसी शिकायत कर सकता हूं लेकिन करूंगा नहीं।

श्री मदनसिंह दांता : शिकायत कर तो दी।

श्री टीकाराम पालीवाल : यही मान लीजिये। लेकिन मैं जानता हूं कि इस प्रकार की चीजों से, इस प्रकार की शिकायतों का ज्यादा बुरा असर होता है, कुछ अप्रत्याशित आता है खास तौर से उस क्षेत्र के लोगों को ऐसी शिकायतें बुरी लगती हैं जिन पर रुपये बहुत ज्यादा खर्च किये जा रहे हैं और वे मित्र सहज ही कह सकते हैं कि शिकायत करने के लिये कि क्षेत्रीय भावना का प्रदर्शन किया है....

श्री जनार्दनराय नागर : ऐसा हुआ है।

श्री टीकाराम पालीवाल : (जारी) पर काम करने और शिकायत करने में अन्तर होता है । शिकायत करने वाले की स्थिति दूसरी होती है और काम कर गुजरनेवाले की स्थिति दूसरी होती है । फिर भी मैं कहता हूँ कि कुल मिलाकर सारे राजस्थान को जिन कामों से आगे बढ़ाया जा सकता है उनकी सराहना की ही जानी चाहिये चाहे वे इस क्षेत्र में होते हैं, चाहे वे उस क्षेत्र में होते हैं। जैसा मैंने निवेदन किया आंकड़ों के हिसाब से जो खर्चा कर रहे हैं उससे उत्साह मान सकते हैं लेकिन फिर भी अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ दूसरी बातों की चर्चा करना पसन्द करूंगा।

अलग-अलग विषयों के बारे में, अलग अलग मदों के बारे में, अधिक विस्तृत विचार करने का समय जैसा कि कई बार सुझाया गया है विशेष ग्रान्ट्स के समय आयगा, लेकिन इस प्रसंग पर मेरा ख्याल है जनरल बातों की चर्चा करना ही ज्यादा ठीक रहेगा।

(श्री टीकाराम पालीवाल)

अध्यक्ष महोदय, यह अवसर होता है जब हम छोटी-छोटी बातों पर विशेष ध्यान को केन्द्रित न करके एडमिनिस्ट्रेशन की जनरल पोलिसीज़ और जनरल ट्रेन्ड्स को भी जरूर ध्यान से देखें। मुझे यह कहते हुए थोड़ा खेद होता है अध्यक्ष महोदय, कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके कारण बहुत कुछ खर्चा करते हुए भी हम वही परिणाम नहीं पा रहे हैं जिस ओर हम बढ़ना चाहते हैं। देश की स्वतंत्रता के बाद हमारे देश के लोगों ने अपने लिये एक जनतांत्रिक विधान बनाया और उसको ग्रहण किया। हमने अपने सामने एक समाजवादी समाज की रचना का लक्ष्य रखा और उसी ओर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन देखना यह है कि लक्ष्य को सामने रख कर जिस प्रकार से हम शासन का संचालन कर रहे हैं, क्या वह ऐसा है जिससे हम अपने लक्ष्य की ओर निर्बाध गति से बढ़ सकते हैं ? वित्त मंत्रीजी ने अपने भाषण में एक साधारण सी बात का संकेत किया था लेकिन वह बात एक बहुत गहरी बीमारी की ओर भी संकेत करती है। उन्होंने कहा था अपने भाषण में अल्प बचत योजना के अन्तर्गत जो कि धनराशि इकट्ठी की गई है उसको बहुत कुछ लोग जल्दी ही वापिस ले रहे हैं क्योंकि जैसा कि कल नाथद्वारा के मित्र ने सही तरीके से कहा था कि इसका कारण संभवतः यह है कि अल्प बचत धन राशि को इकट्ठा करते समय संभवतः कई लोग स्वेच्छा से रकम नहीं देते, कई लोग दबाव के कारण या और परिस्थितियों के कारण देते हैं। अब प्रश्न यह आता है कि अल्प बचत में दी हुई छोटी रकम को लोग जल्दी से जल्दी वापिस क्यों लेना चाहते हैं ?

मान लीजिये देते समय किसी ने दबाव के कारण दिया था, स्वेच्छा से भला काम करना ठीक नहीं समझा था और दूसरों के दबाव से भला काम कर दिया तो जल्दी ही वापिस क्यों लेना चाहिये ? फिर भी मैं समझता हूं उनका अभिप्राय बिल्कुल ठीक था, लोगों को शासन व्यवस्था में विश्वास नहीं रहा। (हीयर हीयर) शासन संचालन के तरीकों से वह विश्वास पूरी तरह पैदा नहीं कर सके। यह ठीक है कि चुनाव में हम जीतते हैं और बहुमत से जीतते हैं लेकिन चुनाव में जीतना दूसरी बात है। यह हम जानते हैं कि हमारी जनता के गले से अभी जनतन्त्र नहीं उतरा है...

श्री जनार्दनराय नागर : (अश्रव्य)

श्री टीकाराम पालीवाल : मैं इन्टरप्शन नहीं चाहता।

श्री जनार्दनराय नागर : आप नहीं चाहते लेकिन हम कह सकते हैं।

श्री टीकाराम पालीवाल : (जारी) अध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र शायद जनतन्त्र के पुराने खिलाड़ी होंगे और उनको पुराना अनुभव होगा लेकिन देश में जनतन्त्र का नया प्रयोग है इस बात को सभी मानते हैं; सभी समझदार और ईमानदार लोग मानते हैं। हमारे पुराने इतिहास में हजारों वर्ष पहले हमारे यहां जनतन्त्र रहा होगा, लेकिन पिछले हजार वर्ष से तो हम जनतन्त्र को भूल गये थे और दासता की बेड़ी से जकड़े हुए थे उसमें से निकल कर स्वतन्त्रता प्राप्त की और जनतंत्रात्मक शासन को अपनाया इसलिये कहता हूँ कि अधिक लोग जनतन्त्र के मूल सिद्धांतों से अनभिज्ञ हैं। जनतांत्रिक प्रणाली में हर एक नागरिक की जिम्मेदारी होती है उससे भी सब लोग अनभिज्ञ हैं, सब

(श्री टीकाराम पालीवाल)

लोग नहीं, तो ज्यादा लोग अनभिज्ञ हैं। जब चुनाव आता है तो वोट किसी न किसी को तो देने ही होते हैं और सही बात यह है कि जिस संस्था ने देश को आजाद किया और देश के भार को संभाला और आज भी संभाल रहे हैं उसी को राय दी जानी चाहिये। इसके अलावा किस को राय दें, इसलिये उन्होंने हमको वोट दिये, चाहे हम पर कम विश्वास हो, ज्यादा विश्वास हो और विश्वास न भी हो लेकिन क्योंकि शासन की डोर हमारे हाथ में है और कांग्रेस का पुराना इतिहास है इसलिए हमको राय मिलती है। लेकिन इसके बावजूद भी हमको अन्तर प्रेक्षण करना चाहिये और यह नहीं भूलना चाहिये कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हम केवल बहुमत के कारण बदल नहीं सकते, उनके स्वरूप और वास्तविकता को बदल नहीं सकते और यह तथ्य है जैसा कि वित्त मंत्रीजी के संकेत से मालूम होता है कि जनता में विश्वास की कमी है शासन के प्रति....

श्री जनार्दनराय नागर : विश्वास की कमी है ही नहीं।

श्री टीकाराम पालीवाल : प्रश्न यह आता है कि क्या हो, मैं जानता हूँ....

श्री जनार्दनराय नागर : यह आपकी राय है।

श्री अध्यक्ष : No interruption please.

श्री टीकाराम पालीवाल : (जारी) आज आप मुझे उत्तेजित नहीं कर पायेंगे।

श्री जनार्दनराय नागर : यह प्रश्न नहीं है, prevention is always better than cure,

श्री मुक्तिलाल मोदी : ये बीच में क्यों बोलते हैं साहब ?

(हंसी)

श्री टीकाराम पालीवाल : प्रश्न यह है, अध्यक्ष महोदय, ऐसा क्यों है ? प्रायः उत्तर दिया जाता है कि इन सब खराबियों की जड़ सर्विसेज़ हैं, और सर्विसेज़ के बारे में भी यह कह दिया जाता है कि हम तो बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ किया और अब भी कर रहे हैं लेकिन आखिरकार हमको एक पुरानी सड़ी गली सर्विसेज़ विरासत में मिली है। अध्यक्ष महोदय, मैं नम्रता के साथ कहना चाहता हूँ कि सर्विसेज़ को प्रोपरली हैंडल नहीं करते हैं और मैं मानता हूं कि सर्विसेज़ पर जो दोषारोपण किया जाता है वह सर्वथा न्यायपूर्ण नहीं है। मैं नहीं कहता कि सर्विसेज़ सारी की सारी दूध में धुली हुई हैं, उनमें अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं, लेकिन...

(श्री जनार्दनराय नागर द्वारा कुछ कहने पर)

श्री टीकाराम पालीवाल : अध्यक्ष महोदय, इस तरह बार बार इन्टरप्शन नहीं चलेगा। (श्री जनार्दन राय नागर से) If you have to be in the House, you have to hear me,

श्री जनार्दनराय नागर : He is nobody to tell me, Sir......

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : आप बीच में क्यों बोलते हैं ?

श्री अध्यक्ष : You seem to call for it.

श्री जनार्दनराय नागर : Pardon.

श्री अध्यक्ष : You seem to call for it, Hon. Member. Please do not

(श्री अध्यक्ष)

interrupt and do not carry on private conversation while some-one else is on the floor.

श्री टीकाराम पालीवाल (महुआ) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि यह ठीक है कि सर्विसेज़ की, सभी लोग दूध के धुले हुए नहीं हो सकते लेकिन सारी बुराई के लिए, सारी खराबी के लिए यह कह कर बरी हो जायं कि सर्विसेज़ सड़ी गली अवस्था में विरासत में मिली है और जितनी खराबी हो रही है, उन्हीं के कारण हो रही है, यह मैं सत्य नहीं मानता हूं न्यायपूर्ण नहीं मानता हूं । मेरी मान्यता है कि अब तो वैसे भी देश को स्वतन्त्र हुए १० साल हो गये हैं और इन १० वर्षों के अन्दर सर्विस में काफी अच्छे प्रपोर्शन में नया रिक्रूटमेन्ट हो चुका है, इसलिए उनके लिए नहीं कहा जा सकता कि पुरानी सड़ी गली सर्विसेज़ विरासत में मिली है । लेकिन मैं मानता हूं कि अगर पुराने लोगों के लिए भी कहते हैं तो पुराने लोगों ने पुराने समय में किसी तरह से भी, समय के अनुसार, स्थिति के अनुसार व्यवहार किया होगा, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं अध्यक्ष महोदय पुराने लोगों ने भी, जब अच्छी तरह काम लेना चाहा, अच्छा काम किया है, ईमानदारी से काम किया है, योग्यता से काम किया है । फिर यह कर बरी हो जायं कि सर्विसेज़ के कारण खराबी है, यह न्यायपूर्ण नहीं है । असल बात यह है, अध्यक्ष महोदय, कि सर्विसेज़ में, जैसा मैंने निवेदन किया, जरूर कुछ खराब आदमी हो सकते हैं । जन साधारण में भी कुछ खराब आदमी हैं, इसी प्रकार सामाजिक जीवन में भी अच्छे और बुरे आदमी पाये जा सकते हैं लेकिन मैं यह मानता हूं कि गवर्नमेन्ट में ऐसे भी लोग हैं....

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्विसेज़ के बारे में क्या मन्त्री मण्डल के किसी मन्त्री की तरफ से कहा गया ?

श्री टीकाराम पालीवाल : मैं मिनिस्टर के लिए नहीं कह रहा हूं ।

श्री भैरोंसिंह : सर्विसेज़ के लिए पिछले सेशन में आपने ही कहा था ।

श्री टीकाराम पालीवाल : मैं निवेदन यह कर रहा हूं......

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैंने कहा था कि लोग ऐसा कहते हैं ।

श्री भैरोंसिंह : यह कहा था कि इलेक्शन में सहायता देने का वायदा किया था ।

(हंसी)

श्री टीकाराम पालीवाल : अध्यक्ष महोदय, यह भी कहता हूं कि सर्विसेज़ में असल में काफी अच्छे लोग हैं और ऐसे अच्छे लोग भी हैं, जिन्हें यदि छोड़ दिया जाय, उन्हें अपने ढंग से काम करने दिया जाय तो वे काफी अच्छा काम कर सकते हैं । कई बार उन्हें गलत तरीके से काम करने के लिए फोर्स किया जाता है । ऐसे लोगों के उदाहरण भी दिये जा सकते हैं । एक उदाहरण कल ही शायद दिया था हमारे साथी ने जो फुलेरा से आये हैं, श्री पी० के० चौधरी । उन्होंने बतलाये था, वह इन्सीडेन्ट मेरी नॉलेज़ में भी आया था, कुछ अलग तरीके से आया था । अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं, जैसा मेरी नालेज़ में आया था । कोटा और अजमेर दोनों जगह, एक ही कम्पनी की बसें रन करती हैं, यह मुझे बतलाया गया था कि उस कम्पनी में बूंदी गवर्नमेन्ट के कुछ शेयर्स थे, जो अब राजस्थान गवर्नमेन्ट के शेयर्स हैं ।

(श्री टीकाराम पालीवाल)

कोटा से देवली तक बस सर्विस चलती है और देवली से आगे अजमेर तक चलती है। अजमेर तो अभी राजस्थान में नया शामिल हुआ है, अब तक वह अलग था और वहां अलग अलग बस सर्विस थीं। अब कोटा से अजमेर तक राजस्थान का ही मार्ग है। किसी दूसरे स्टेट का नहीं है। तो मुझे बतलाया था कि उस कम्पनी के संचालकों ने, जिनका अपना भी हित उसमें है, और मुझे यह भी बतलाया गया था कि गवर्नमेंट के शेयर्स उसमें कम हैं और ज्यादा शेयर्स संचालकों के हैं, इसलिए उनको अधिक चिन्ता थी, उनको अधिक अपने हित का ध्यान था, इसलिए उन्होंने चाहा कि कोटा से अजमेर तक सीधी बस जाने दी जाय। अभी देवली पर बस बदलनी पड़ती थी, क्योंकि कोटा से देवली तक बस जा सकती है, देवली से आगे बस नहीं जा सकती, यद्यपि दोनों बसें एक ही कम्पनी की हैं। इसलिए उन्होंने चाहा कि कोटा से अजमेर तक के लिए पर्मिट अलाऊ कर दिया जाय। उदयपुर डिवीजन में-जो भी ऑथोरिटी है, उन्होंने इस प्रपोजल को स्वीकार कर लिया। कोटा में दूसरी ऑथोरिटी है, उसकी स्वीकृति उस पर लेनी थी, उनसे स्वीकृति दिलाने के लिए एक सज्जन ने जो आज इस सदन में नहीं हैं, कभी हुआ करते थे लेकिन जो वर्तमान मंत्रिमंडल के निकटस्थ माने जाते हैं, २०, २५ हजार रुपया मांगा। इसमें ऑफिसर का कोई दोष नहीं था, तो उन सज्जन द्वारा कहा गया कि या तो रुपया दो वर्ना तुमको इजाजत नहीं मिलेगी और इजाजत आज तक नहीं मिल रही है, इससे इतनी स्पष्ट चीज है। वह आदमी तो देने को भी तैयार हो गया था, जहां तक मुझे बतलाया गया था, लेकिन उससे कहा गया कि पहले दे दो, तो उसे बुरा लगा क्योंकि वह कई दफा पहले भी दे चुका है (मेज थपथपाना) तो जब वह पहले से लेन देन करता रहा है और अब उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता इसलिए उसे बुरा लगा और उसने रुपया नहीं दिया और उसने किसी दूसरे व्यक्ति को एप्रोच किया। जो पर्टिक्युलर ऑफिसर हो, जिनके हाथ में वह काम था, उस बिचारे ने मजबूरी जाहिर की। मुझे जिस ऑफिसर का नाम बतलाया गया है, यदि मैं उन्हें सही प्रकार से जानता हूं तो अच्छे ऑफिसर हैं लेकिन उनकी मजबूरी है, क्योंकि उन सज्जन ने, जिनका नाम नहीं बताऊंगा, उनको मना कर दिया था। इस प्रकार की चीज है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि वे कोई साधारण ऑफिसर नहीं हैं, अच्छे ऑफिसर हैं लेकिन उनमें वे इतनी मजबूती नहीं ला पाये कि उस चीज को कर दें जिसके लिए कोई सज्जन उन्हें मना कर दे। यह इसलिए नहीं कि उस व्यक्ति के प्रति कुछ उनमें हैं, लेकिन इसलिए जिन लोगों से उस व्यक्ति की मित्रता है, वह ऑफिसर उनसे डरता था। यह एक उदाहरण नहीं है और भी उदाहरण हैं। मैं एक और उदाहरण देता हूं अध्यक्ष महोदय, शायद आपको याद होगा, पिछले सदन में, तीन साल पहले, पंचायतों के चुनाव के बारे में बहुत शिकायतें आई थीं, बहुत से ऑफिसरों की शिकायत थीं, तहसीलदार, कलेक्टर, मिनिस्टरों की शिकायतें थीं और चारों तरफ शोरगुल रहा। अब फिर पंचायतों के चुनाव चालू हुए। मुझे सूचना दी गई है कि मेरे ही जिले में एक तहसीलदार ने, मुझे नहीं मालूम कि वह तहसीलदार है या नायब तहसीलदार, २७ तारीख को पंचायत के चुनाव कराये, अच्छे ढंग से चुनाव कराये, ईमानदारी से चुनाव

(श्री टीकाराम पालीवाल)

हुए लेकिन कुछ दूसरे लोग, जिनको वह चुनाव पसन्द नहीं आया, उस चुनाव के बाद जयपुर दौड़े । जयपुर में आकर किनसे मिले किन से शिकायत की, किस से आॅर्डर्स कराये, ये डिटेल्स नहीं मालूम, लेकिन यह सही ही है कि ४ तारीख को याद रखिये २८ तारीख का फरवरी महीना था, वहां से उस तहसीलदार का ट्रान्सफर कर दिया गया ।

राजा श्री मानसिंह : Shame, Shame.

१ म० प०

श्री टीकाराम पालीवाल : यह मैं नहीं जानता कि कैसे हुआ, लेकिन हुआ और इस जिले में एक और तहसीलदार हैं, मुझे यह बताया कि जिस तहसीलदार का इतना सडनली ट्रान्सफर हुआ कि वह ४, ५ तारीख को ही चला गया गया वहां से, इतना इमीजियट आॅर्डर उसके पास गया था । मेरे जिले में उस तहसीलदार को अपने स्थान पर महीना भी नहीं हुए थे, उसकी कोई शिकायत नहीं थी, फिर भी इतना इमिजियेट आॅर्डर हुआ । इसी तरह से अध्यक्ष महोदय, एक इसके खिलाफ मिसाल है, एक तहसीलदार उस जिले में है, जो तीन साल से वहां पर है, तीन साल से कुछ कम या ज्यादा हो सकता है, उसके खिलाफ अनेक लोग रिश्वतखोरी की शिकायतें दे चुके हैं । मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन उनका ट्रान्सफर नहीं हो रहा है, इतनी शिकायतें लोगों की होने के बावजूद भी कोई एन्क्वायरी नहीं हो रही है । बावजूद शिकायतों के कि लाखों रुपया उन्होंने वहां बना लिया है, उनका ट्रान्सफर वहां से नहीं होता ।

तो ये कुछ नमूने हैं, इसी प्रकार से मैं और चीजें बतला सकता हूँ । यह इसलिए बताता हूं कि आॅफीसर्स के मोरेल को जानबूझ कर तोड़ते हैं ।

राजा श्री मानसिंह : कांग्रेस तोड़ती है ।

श्री टीकाराम पालीवाल : If you take pleasure you may say that.

राजाश्री मानसिंह : The Congress has given this opportunity of pressing the officers to work for them.

श्री अध्यक्ष : No interference please.

श्री टीकाराम पालीवाल : I do nt know whether any other party could have done better.

Any way, यह हो सकता है फिर भी मैं ये कटु शब्द इसलिये कह रहा हूं कि मनुष्य के लिये, हम लोगों के लिये अपनी कॉनिस्टट्युएन्सी के प्रति लॉयल्टी है, पर वह छोटी लोयल्टी है, कान्स्टिीट्युएन्सीज़ से बड़ी लोयल्टी प्रोविन्स के प्रति है और प्रोविन्स से बड़ी लोयल्टी अपने देश के प्रति है, इसलिये मैंने शिकायत नहीं की है, पार्टी से भी बढ़कर लोयल्टी हमारे संविधान के प्रति और हमारे देश के प्रति है, यदि हमारी पार्टी पर कोई बातें आयेंगी तो उन्हें छिपायेंगे नहीं और अगर उसे ठीक करने का रास्ता हुआ तो उसे ठीक करेंगे, मैं नहीं भी कहूंगा तो वह छिपी नहीं रहेगी, कोई न कोई कहे बिना नहीं रहेगा ।

एक डिस्ट्रिक्ट की बात है, जिसमें २० महीने में ४ कलेक्टर्स बदले गये और कोई एक्स्प्लेनेशन नहीं, न कहूं तो क्या बात छिपी रह सकती है ? यह जनरल इलेक्शन से पहले की बात है ? एक तहसील है जिसमें

Page No.43

(श्री टीकाराम पालीवाल)

करीब १८ महीनों में ६ तहसीलदार बदले गये ।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) कौन सी ?

श्री टीकाराम पालीवाल : चिडावा, जिले का नाम पूछना चाहते हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : चिड़ावा, कहां है मैं जानता हूं ।

श्री चन्दनमल वैद : जानेंगे कैसे नहीं, आप ही का किया हुआ है ।

श्री टीकाराम पालीवाल : एक और बात है, जिसमें पिछली मर्तबा चुनावों के वक्त एक अफसर को, अच्छे कलेक्टर का इमीजियेटली ट्रान्सफर किया गया, इसलिये कि पंचायतों के चुनाव में किन्हीं लोगों के लिये वे ठीक नहीं बैठते थे । उस ऑर्डर की नकल को देखने का अवसर मुझे मिला है, उसमें लिखा था :

'so and so...to hand over charge to the S. D, O. and take his new appointment of a post which has not been created."

("शेम-शेम" की ध्वनि)

पर उस पोस्ट के क्रियेशन के बारे में ऑर्डर बाद में हुआ है । ऐसे ऑर्डर उन्हीं ऑफीसर्स को दिये जाते हैं जिनसे हाथों से बहुत बड़ा एम्बेजलमेंट हुआ हो, जिनके खिलाफ रिश्वत की बड़ी भारी शिकायत हो। इस अफसर के बारे में कोई शिकायत नहीं थी, अच्छी इन्टिग्रिटी के अफसर हैं, आज भी रिटायरमेंट होने के बाद उनकी सर्विसेज को रिटेन किया जा रहा है, इसके बाद जो वहां कलेक्टर आया वह भी थोड़े दिनों बाद चला गया । आज कलेक्टर हैं, वे तीन साल से वहां हैं आराम से रह रहे हैं, काम कर रहे हैं । क्यों आराम से काम कर रहे हैं, उन्होंने पहले दो मिसालें देख ली हैं और लोकल चीफ्स हैं, उनके इशारे पर चलना शुरू कर दिया । इस अफसर के बारे में अगर कोई शिकायत करे कि इम्पार्शियल नहीं कुछ लोगों के इशारे पर चलता है, ये दोष अगर उस अफसर पर लगाये जांय तो यह न्यायपूर्ण नहीं, उसका कोई कुसूर नहीं, उसने देखा कि मेरे दो प्रेडिसेसर्स को जमने नहीं दिया गया, लोगों के इशारे से उड़ा दिया वे तो फिर वह क्या करे ?

कान्स्टीट्युशन में गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स को गारन्टीज दी गई हैं, वे सेफ गार्डस इसलिये दी गई हैं कि पब्लिक मेंन आते हैं, पार्टी के आदमी आते हैं, नाबाजिब तौर से उनके मोरेल को ब्रेक डाउन करने की कोशिश न करें, इसलिये कान्स्टीट्युशन में पहले से संरक्षण दिया है, पर संरक्षण की हद होती है।

अगर एक आदमी को दो दो, तीन तीन महीने में ट्रांसफर करते रहेंगे तो उसको हैरानी तो होगी ही, उसके बच्चों की एज्युकेशन में दिक्कत आती है और और तकलीफें होती हैं । ऐसी ऐसी भी शिकायतें आई हैं कि १५-१५ दिनों के अन्दर दो बार ट्रांस्फर हुए हैं । यह हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव नेसेसिटी की वजह से ऐसा हो सकता है, पर वह एडमिनिस्ट्रेटिव नेसेसिटी कौनसी है........

राजा श्री मानसिंह : नो कोन्फिडेन्स पर कहना चाहिये था ।

श्री टीकाराम पालीवाल : तो अध्यक्ष महोदय, मैं यह इसलिये कह रहा हूँ कि सारी चीजें अफसरों पर ही नहीं डालें । सारा दोष

Page No.44

(श्री टीकाराम पालीवाल)

उन पर ही थोप दें तो ठीक नहीं, मैं सुन रहा था मेरे एक मित्र शिकायत कर रहे थे कि ऑफिसर्स क्या हमारे यहां नहीं हैं, जो बोम्बे वालों को बुलाया गया, बाहर के ऑफिसर्स को क्यों बुलाते हैं ? बाहर के ऑफिसर्स को बुलाना न तो मैं बुरा मानता हूँ और न जरूरी समझता हूं । यदि ठीक वातावरण हो तो हमारे यहां के मौजूदा ऑफिसर्स हैं वे बहुत निहायत अच्छा काम कर सकते हैं और बाहर से आये हुए भी बहुत उपयोगी हो सकते हैं । इस प्रकार के मामलों में ऐसे वातावरण में स्थानीय लोग ज्यादा कमजोरी दिखायेंगे, बाहर से आये हुए थोड़ी कम कमजोरी बतायेंगे, आखिर में उनकी कमर भी झुकेगी जरूर । तो सारा दोष ऑफिसर्स पर ही डाल दें और स्वयं बरी हो जांय, यह ठीक नहीं है ।

मैं एक दूसरी मिसाल देता हूं, हाउस को वह मामला मालूम है, आपके सामने पानरवा जंगल का मामला आ चुका है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई एक्सप्लेनेशन नहीं बताया गया कि आखिर इस प्रकार से जिस जंगल की कीमत डेढ़ लाख रुपया आ सकती है उसको दो तीन दफा एक्सटेन्शन इतने सस्ते तरीके से क्यों दे दिया जाता है ? ऑर्डर की नकल, जो गवर्नमेंट की तरफ से एक्सटेन्शन करने के लिये दिया गया, एक पेम्फलेट में छपी और उस पेम्फलेट को मैंने पढ़ा। आम तौर से गवर्नमेंट के ऑर्डर सेक्रेट्री द्वारा जारी किये जाते है और इस ऑर्डर को एसिस्टेन्ट सेक्रेट्री ने इश्यू किया हैं । इससे हम यह मान लें कि जो कुछ बात हुई है वह असिस्टेन्ट सेक्रेट्री ने किया होगा या सेक्रेट्री ने किया होगा तो हमारे लिये यह मानना अनुचित होगा । मैं यह कहूंगा कि जिस किसी ऑफिसर ने ऑर्डर इश्यू किये हैं वे किसी दूसरे अधिकारी के दबाव से किये हैं । मैं यह नहीं मानता कि वह असिस्टेंट सेक्रेट्री एक बार नहीं दो-दो, तीन-तीन बार ऐसा कर सकता है । मुझे ऐसा मालूम होता है कि जिस सज्जन की ओर से कोटा और अजमेर की बसों में जो सज्जन अपना हित साधन करने की चेष्टा कर रहे हैं, इसमें भी ऑर्डर दिलाने में वे ही निमित्त हैं । इसलिये उन्होंने ऑर्डर दिलाया, यह एक जांच का विषय हो सकता है । वे ही हो सकते हैं या उनका कोई दूसरा मित्र होगा।

एक दूसरा तरीका सर्विसेज़ के मोरल को तोड़ने का उनको प्रोमोशन वगैरह न देना भी है । एक तरीका तो ट्रान्सफर का है और दूसरा तरीका लोगों को गलत प्रोमोशन देना है । इसकी कई मिसालें रख चुका हूं और मैं किसी की पर्सनल चीज में जाना नहीं चाहता। इस बात को सदन भी जानता है । कई दफा ऐसा हो जाता है कि जिन लोगों का प्रमोशन ड्यू नहीं है उनको प्रोमोशन मिल जाता है और एक-दो नहीं कई लोग खड़े रह जाते हैं । यह एक सर्विसेज़ के मोरल को तोड़ने का तरीका है । यदि हम इस, प्रकार सर्विसेज के मोरल को कम्प्लीटली तोड़ने में सफल हो गये तो अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहूंगा कि हमारे समाज का सारा ढांचा ही बिगड़ जायेगा और सारे देश में पंचायती राज्य की प्रशंसा करने के बजाय गालियें मिलेंगी और दुर्गति हो जावेगी । डेमोक्रेसी किसी भी देश में जहां इस प्रकार होता हो नहीं पनप सकती । जहां पर यह पनपती है । जिन देशों में बहुत पुराना जनतन्त्र हैं वहां पर इसलिये सफलतापूर्ण चल रहा है कि जनतन्त्र को चलाने वाले जो लोग हैं, जनतन्त्र के सूत्रधार हैं, सरकारी मशीनरी या लेजिस्लेचर सर्विस के लोगों अनुचित

(श्री टीकाराम पालीवाल)

रूप से नहीं दबाते हैं न उनको किसी तरह से उकसाते हैं। मगर मैं यह कहूंगा कि दुर्भाग्य से हमारे यहां पर यह दोनों काम किये जाते हैं। कुछ को दबाया जाता है और कुछ को उकसाया जाता है। इसलिये सर्विसेज़ की इम्पार्शियलिटी और उनकी लोयल्टी, loyalty to the State and to the person, यह जो सिद्धान्त (प्रिन्सिपल) है उसको हम नहीं रखेंगे और नहीं चलने देंगे तो सर्विसेज़ की कमर टूट जाएगी, उनका मोरल टूट जायगा और इसके साथ साथ हमारे सारे समाज का ढांचा बिगड़ जावेगा। यह एक बहुत बड़ा खतरा है जो संभव है हमारे देश को कहीं दूसरी ओर न ले जाए। यह हमारे देश में है मगर मेरे खयाल से जितना ट्रेन्ड यहां पर राजस्थान में है दूसरी जगह नहीं है। यह हमारे यहां पर गलत ट्रेन्ड चल रहा है। उसको रोकने की जरूरत है। मगर कौन रोके? इसका उत्तर भी मेरे पास नहीं है। अगर आप में से कोई बता सके तो मैं उनको धन्यवाद दूंगा।

डेमोक्रेटिक फोर्म ऑफ गवर्नमेंट में कई एक खामियें होते हुए भी अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ा गुण यह बताया जाता है और मानते हैं सब कि इसमें किसी भी चीज को, किसी भी काम को गुपचुप नहीं किया जाता। सब चीज पब्लिक लेयर के सामने रख दी जाती है और वह डिटेक्ट के तौर पर सर्व करता है काम करने वालों को चाहे वे सर्विस के लोग हों चाहे मिनिस्टर्स हों उनको यह पहले भय रहता है कि हम जो कुछ करते हैं पब्लिक के सामने जावेगा। वह विधान सभा के सदस्यों के सामने जायगा और इसलिये वे आम तौर से सही आचरण रखते हैं और जनता का अच्छा दबाव रहता है। जनता उनसे wholesome healthy influence exert करती है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पर यह बात मालूम होती है कि हमारे यहां पब्लिक ओपिनियन का इतना दबाव नहीं रहा, कुछ ऐसा बनता जा रहा है कि गलत चीज को भी हम सही करने की हिम्मत रखते हैं और वह इसलिये कि हम बहुमत पर उस गलत चीज को भी सही बना लेंगे, मगर कितना ही बहुमत हो लेकिन यह हो नहीं सकता। मैं यह कहूंगा कि यदि बहुत बड़ा बहुमत हो और हम सब लोग एक मत से यानी सर्व सम्मति से भी यह कहने लगें कि सूर्य प्रकाश नहीं देता तो यह संभव नहीं होगा। यदि हम सब लोग यह कहने लगें कि वर्षा आकाश से नहीं होती, ऊपर से नहीं होती, नीचे से फुहारा आता है तो यह संभव नहीं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि बहुमत से या एक मत से यदि गलत राय दे दी है, उसको यदि सही चीज के तौर पर बहुमत से खींच कर ले जाना चाहते हैं तो यह हो नहीं सकता और यदि ऐसा करते हैं तो यह टेन्डेन्सी डेमोक्रेसी के लिए हित कर नहीं हो सकती, समाज के लिये हितकर नहीं होने वाली है। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि यदि हम यह चाहते हैं कि वास्तव में हम देश की सेवा करें, जो धन राशि हम खर्च कर रहे हैं उसका पूर्ण लाभ हमारी पब्लिक को और हमारे प्रान्त को मिले तो हमें अपना शासन भी उसी तरह से करना होगा जो निष्पक्ष और न्यायपूर्ण हो और लोगों को समझ में भी आने लगे कि हमें न्याय निष्पक्ष रूप से मिल रहा है। यह चीज हमें लोगों को समझानी भी होगी।

मैं एक और मांग पर आपका इस विषय में ध्यान दिलाना चाहता हूं जो नई तो नहीं है परन्तु फिर भी मैं बताना चाहता हूं कि हमको लोगों में विश्वास पैदा करना

(श्री टीकाराम पालीवाल)

है तो हमें लोगों को संतुष्ट करना होगा कि जो कुछ काम हमने किया है वह ठीक किया है और यदि हमने कोई काम ठीक नहीं किया है और लोगों को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हमने इस काम को ठीक तरह से किया है तो यह ठीक नहीं है। दूसरे लोगों को यह ख्याल हो जाए कि हमने किया है वह सही है। मैं आपको एक छोटी सी बात बता देना चाहता हूं और वह यह है कि राज्यपाल के भाषण के समय मैंने कोटा के एक सेठ के कर्ज की चर्चा की और यह निवेदन किया था कि कोटे के एक सेठ साहब से, यानी सेठ साहब ने ठेके के लिये किसी व्यक्ति को दिये थे। शायद टौंक के जागीरदार हैं; छोटे नबाब। वह टाइम बार्ड हो गया और उसने उसकी अदायगी राजस्थान सरकार से चाही। राजस्थान सरकार से चाहने का उसका क्लेम यह था कि रियासत की ओर से यह गारन्टी दी गई थी कि वापिस नहीं मिलेगा तो हम देंगे। पिछली बार हाउस में राजस्व मंत्री महोदय ने दस्तावेज से ऐसा कुछ पढ़ कर सुनाया था कि रियासत ने लिखा था, रियासत कि ओर से दिया जावेगा। लेकिन मैं समझता हूं कि वह मामला सारा का सारा आज से कई वर्ष पूर्व राजस्थान सरकार के सामने विचारार्थ आया था। मुझे जहां तक याद पड़ता है वह लॉ डिपार्टमेन्ट में पूरी तरह से एग्ज़ामिन किया गया था, फाइनेन्स डिपार्टमेंट में भी पूरी तरह से एग्ज़ामिन किया गया था और मुझे ऐसा याद पड़ता है कि वह केस मेरे सामने भी आया था और पूरी तरह से डिपार्टमेन्ट्स से राय लेने के बाद राज्य की ओर से यह तय किया गया था कि वह नहीं दिया जा सकता।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह तय आपने किया था ?

श्री टीकाराम पालीवाल : मेरे ख्याल से मैंने तय किया था।

(हंसी)

श्री दामोदरलाल व्यास : तो रिवर्स हो गया।

श्री टीकाराम पालीवाल : उसके बाद वह केस कैसे रिओपन हो गया, यह मेरी समझ में नहीं आया लेकिन यह मालूम हुआ कि वह रिओपन हुआ। टोंक के नवाब ने सेठ को गारन्टी दी थी इसलिए टाइम बार्ड हो जाने पर भी उनको रुपया दे दिया जाना चाहिए और फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट ने भी, जिसने पहले यह कहा था कि नहीं दिया जाना चाहिए, जहां कि यह केस पूरी तरह से एग्ज़ामिन किया गया था, उसने भी सहमति दे दी बताई गई। मुझे यह भी मालूम हुआ है कि केबिनेट लेवल पर भी यह केस तय हुआ, शायद फॉर्मेली तय हुआ हो, कि वह रुपया उनको दे दिया जावे। लेकिन बाद में उस पर ऑब्जेक्शन हुआ। मुझे नहीं मालूम कि ए. जी. ने ऑब्जेक्शन किया या चीफ सैक्रेटरी ने किया लेकिन ऑब्जेक्शन किया, किसी अधिकारी ने किया। सर्विसेज के एक आदमी ने सरकार का ध्यान दिलाया कि जनता के रुपये को इस तरीके से नहीं दिलाया जाना चाहिए और इसीलिए यह मामला अटका हुआ था। पिछली बार मेरे मित्र, राजस्व मंत्री महोदय ने उलाहना दिया था कि उनको जानकारी नहीं है वे जानकारी ले सकते हैं, मुझसे ले सकते हैं। मैंने उसी समय हाउस में उठ कर कहा था कि जानकारी दे दीजिये। उन्होंने जबाब में यह जरूर कहा कि नवाब ने गारन्टी दी थी कि स्टेट से दिया

Page No.47

(श्री टीकाराम पालीवाल)

जावेगा । मैंने यह भी कहा था कि आप मुझे फाइल दिखा दीजिये यह दुबारा मामला उठा क्यों ? पहले लॉ डिपार्टमेन्ट ने इसको एग्ज़ामिन किया था, एफ. डी, ने इसको एग्ज़ामिन किया था और मेरा खयाल है कि यह फाइल मेरे सामने भी आयी थी, यदि मैंने राय दी थी तो क्या गलत राय दी थी, लेकिन आज तक मुझे वह फाइल नहीं दिखाई गई । मैं मानता हूं कि मेरा उसको देखने का राइट नहीं है । किसी समय मैंने उसको डील किया था लेकिन आज अधिकार नहीं है उसको देखने का । उसको देखने का राइट नहीं है क्योंकि जो डॉक्युमेन्ट्स हैं वे उनको गुप्त रखना चाहते हैं । लेकिन जब तक वे मुझे सारी बातें, जो उस समय उस फाइल में हुई थीं निकाल कर नहीं बताते, वे सारी बातें नहीं निकालते जो मैंने देखी थीं तब तक ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : तो क्या हर एक फाइल दिखा दी जाय ?

श्री श्रीभानसिंह : I think the Local Self Government Minister should not look after to the Revenue, otherwise things will be spoiled there also.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : (अश्रव्य)

श्री टीकाराम पालीवाल : (जारी) मैं क्लेम नहीं करता हूं । लेकिन यह तो क्लेम करता हूं कि आपके कहने से कितनी बातों पर विश्वास होता है या नहीं होता है । मुझे आप के कहने पर इसलिए विश्वास नहीं होता है कि मैंने उस फाइल को देखा था । लेकिन मेरे पास सूचनायें हैं, मंत्री महोदय उलाहना देने के लिए तैयार हो गये; कि सर्विसेज़ के आदमी ने, ए. जी. ने या चीफ सेक्रेटरी ने या दोनों ने, मुझे नहीं मालूम, किसी ने एतराज जरूर किया है । सर्विसेज़ के अधिकारियों को ज़नता के प्रतिनिधियों से ज्यादा जनता का ध्यान है, यह कितनी सुन्दर बात लगती है ।

फिर एक और प्रश्न आता है, अध्यक्ष महोदय, कहा यह जाता है कि स्टेट ने गारन्टी दी थी, नवाब ने गारन्टी दी थी और उसको स्टेट की गारन्टी माननी चाहिए । वह आदमी जिसने कर्जा दिलाया वह नवाब बन बैठा । मौजूदा नवाब हैं शायद ।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी ओर से माननीय सदस्य का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि यदि किसी बात को समझ न पायें तो फिर उसको देख लें । मौजूदा नवाब है, यह नही कहा था ।

श्री टीकाराम पालीवाल : यह तो जरूर कहा था कि नवाब बन गये । क्या नहीं कहा था यह, यह बता दीजिये ?

श्री दामोदरलाल व्यास : कौन से केस की बात कह रहे हैं ?

श्री टीकाराम पालीवाल : जिस केस के बारे में मेरे माननीय मित्र कह रहे हैं जिसको कर्जा दिलाया गया था वह टोंक का नवाब बन गया ।

श्री दामोदरलाल व्यास : वह जागीरदार अलग था, नवाब का भाई ।

श्री टीकाराम पालीलाल : वह फिर नवाब बन गया ।

श्री दामोदरलाल व्यास : हो सकता है, मुझे ध्यान न हो, but he was the brother of the Nawab of Tonk.

श्री टीकाराम पालीवाल : आपने कहा था या नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आप कोई बात तो मानते ही नहीं ।

श्री टीकाराम पालीवाल : मैंने यह नहीं कहा कि सब बातों को नहीं मानता हूं ।

(हंसी एवं कोलाहल)

तो मैं निवेदन कर रहा हूं कि यदि यह थोड़ी देर के लिए भी मान लिया जाय कि उस वक्त के रूलर ने गारन्टी दी एक प्राइवेट आदमी को, किसी एक सेठ से कहा कि फलांने को रुपया दे दो, उसका रिश्तेदार है, भाई है, यदि वह रुपया वापिस नहीं देगा तो हम देंगे, रियासत देगी । मान लीजिये कि उन्होंने ऐसी गारन्टी दी । लेकिन एक सोवरिन स्टेट खत्म होती है और दूसरी बनती है तो यह माना हुआ सिद्धान्त है कि पहली स्टेट के सारे के सारे जो कॉन्ट्रेक्ट हैं वे नई स्टेट पर लीगल्ली बाइन्ड नहीं होते हैं और यदि कोई रूलर किसी प्राइवेट पर्सन को किसी सेठ से कर्जा दिलाने की गारन्टी देता है चाहे सेठ का नाम ले, तो एक्ट आफ स्टेट नहीं कहा जा सकता वह तो उसका प्राइवेट मामला होता है । यह एक लीगल क्वेश्चन है । जहां इतना डिसप्युटेबल मामला था, जहां बोनाफाइड डाउट में हो, डाउट इस माने में कि रियासत ने या नवाब ने गारन्टी दी थी उससे नई स्टेट को बाइन्ड कर सकते हैं या नहीं. नवाब और सेठ का एक प्राइवेट मामला था, वह एन्फोर्सेबल है या नहीं ? he can not force it at law

उसके लिए इतनी उदारता छलक पड़ी कि दो लाख रुपया देने के लिए तैयार हो जांय, यह बात कम समझ में आती है और खास तौर पर उस समय जब कि पहले उस चीज़ को एग्ज़ामिन किया जा चुका था, लॉ डिपार्टमेन्ट ने और फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट ने दोनों ने ही इसकी पूरी तरह से जांच करली थी और जहां तक मुझे याद है उनको नहीं देना चाहते थे, मेरी सूचना यह भी है कि सम्भवत: ए. जी. या चीफ सेक्रेटरी या दोनों ही आप की राय से सहमत नहीं हैं । मैं कहता हूं कि जहां मित्रताओं का प्रश्न आता है, मिलने वालों का प्रश्न आता है, वे शायद मेरे मिलने वाले हो सकते हैं, मेरे माननीय मित्र के दोस्त हो सकते हैं इसलिए हमारा जजमेन्ट यथेष्ट न रह पाता हो, ऐसे मौकों पर मैं कहता हूं कि सर्विसेज़ के जजमेन्ट को तरजीह देनी चाहिए, उनका जजमेन्ट जरूर यथेष्ट रहता है । अगर इसी तरह से व्यवहार रहा तो लोगों में विश्वास पैदा कर सकते हैं ।

जनता में विश्वास कैसे पैदा हो, हो या न हो, इसके तीन चार उदाहरण वैसे बहुत से आते रहते हैं, अभी सामने आये हैं उनको इस लाइट में देखें कि किस तरह से विश्वास होता है ? टोंक का मामला लाख दो लाख रुपयों का होगा, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, लाख दो लाख, करोड़ों रुपया जहां खर्चा होता है, जहां घाटे में चले जाते हैं लाखों रुपये वहां लाख दो लाख रुपया जा सकता है, लेकिन फिर भी जनता में विश्वास की भावना पैदा करनी होगी । कुछ लोग मित्रता रखते हैं, कुछ लोगों से मेल-जोल रखते हैं उनको कानून से नहीं मिलना चाहिए, उनको तो मिल जाता है और जिनको कानून से मिलना चाहिए, उनको नहीं मिलता, इससे जनता में विश्वास पैदा नहीं होता ।

एक चीज़ और बतलाना चाहता हूं, जयपुर के एक नहीं कई केसेज़ ऐसे हैं जिनमें लोगों को अपनी जमीन का कम्पेन्सेशन नहीं

(श्री टीकाराम पालीवाल)

मिला इसके बारे में काफी दरख्वास्तें करने पर भी। हो सकता है कि उन जमीनों को पब्लिक पर्पज़ के लिये एक्वायर किया गया हो लेकिन उनका कम्पेन्सेशन का मामला काफी अर्से से चल रहा है। मुझे एक महोदय द्वारा सूचना मिली है, जो इस मामले में इन्वोल्व्ड हैं, उनकी तीन जगहें है, उन तीनों के कम्पेन्सेशन दिलवाने के लिये एक सज्जन ने यह कहा कि इतना रुपया तुम दे दो, तुम्हारा मामला तय करवा दिया जायगा। एक जमीन का मामला है जिस जमीन का संबन्ध मैं समझता हूँ सीधा सरकार से है। सरकार अपनी उस जमीन को वापिस लेना चाहती है लेकिन जिस व्यक्ति से लेना चाहती है उस व्यक्ति को उस जमीन का कुछ हिस्सा मोर्टगेज करवाना पड़ा और उस मोर्टगेज से जो रुपया आया वह मनी लेकर उस सज्जन को दिया गया और जमीन उनको मिल गई....

श्री दामोदरलाल व्यास : आप इस मामले को जरा समझा दीजिये।

श्री टीकाराम पालीवाल: (जारी रखते हुए) मैं आपको फिर से समझा देता हूं। एक जमीन है जयपुर के अन्दर जो बहुत ही स्ट्रेटेजिक पोज़ीशन पर है। वह किसी व्यक्ति की है। वह उसके कब्जे में नहीं थी, बहुत अर्से से गवर्नमेन्ट के कब्जे में थी। वह बहुत अर्से से जमीन को लेना चाहता था, उसके लिये किन्हीं सज्जन से मामला तय हुआ और उस जमीन का एक पोर्शन पहले उनको दे दिया गया ताकि उसको मोर्टगेज कर सकें और उन्होंने उस जमीन को मोर्टगेज करके कुछ रुपया लिया और वह रुपया उन सज्जन के पास पहुंचा दिया जिन्होंने कहा था कि वे मीन छुड़वा देंगे और इस तरह से वह जमीन छोड़ दी गई।

श्री दामोदरलाल व्यास : किस डिपार्टमेंट द्वारा छोड़ी गई?

श्री टीकाराम पालीवाल : (जारी) ताकि उस आदमी का गला घोट दिया जाय। I do not want to disclose

श्री दामोदरलाल व्यास : आप किस जमीन का रेफ्रेन्स दे रहे हैं, वह तो बता दीजिये।

श्री टीकाराम पालीवाल : मैं प्रोपर वे में बतलाऊंगा, I will tell at the proper occasion.

श्री अध्यक्ष : बहरहाल आप यह तो बतला दीजिये कि जमीन का मामला किस डिपार्टमेंट द्वारा रिलीज़ किया गया, किसको किया गया, यह बता दीजिए।

श्री मुक्तिलाल मोदी : इस सारे मामले के लिये कमेटी बिठा दें।

श्री टीकाराम पालीवाल : (जारी) एक और मामला है।

श्री अध्यक्ष : But I will suggest to the Hon. Member that he is making very serious allegations. In the first place he should realise the seriousness of these allegations and he should be prepared to substantiate them, and when more information is asked for from the Government side, he should be prepared to give it.

श्री टीकाराम पालीवाल : मैं समझा नहीं, I could not follow it.

श्री अध्यक्ष : आप ऐसी बातें कह रहे हैं जिनकी डिटेल्स आपको बतानी चाहिये ताकि गवर्नमेंट उस मामले को देखकर जवाब दे सके। डिटेल्स जो सरकार चाह रही है वह आपको बताने चाहिये ताकि उत्तर देने में सहूलियत हो और पूरी जानकारी सदन को मिल सके।

श्री टीकाराम पालीवाल : (जारी) अध्यक्ष महोदय, मैं इस चीज को बतलाना नहीं चाहता था; मुझे ऐसा अन्देशा है कि उस व्यक्ति का काम बनते बनते रुक न जाय लेकिन आप चाहते हैं तो मैं बता देता हूं ....

एक माननीय सदस्य : इसका मतलब यह हुआ कि आपकी भी उस व्यक्ति से हमदर्दी मालूम होती है !

श्री टीकाराम पालीवाल : (जारी) हमदर्दी जरूर है, जो वाजिब काम बेचारे का बहुत दिनों से नहीं हो रहा था उसके लिये मुझे हमदर्दी है अगर मेरे कहने से हो जाय तो बहुत अच्छा है।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : काम तो बिगड़ गया आपके यहां कहने से ?

श्री टीकाराम पालीवाल : (जारी) मेरे पास यह सूचना है कि गवर्नमेंट होस्टल के सामने एक जमीन है, वह किसी लालाजी की है और उसमें एक बिल्डिंग भी है वह बहुत दिनों से नहीं छोड़ी जा रही थी। इस बारे में एक मामला तय हुआ। उस जमीन का एक पोर्शन मार्टगेज किया गया और उस पर रुपया लिया गया। आप आज यह पता लगावें कि वह पैसा कहां गया, तो पता लग सकता है कि किसके पास गया ? थोड़े दिनों के पश्चात्, तीन–चार दिन पश्चात् यह हो सकता है कि उस पैसे को वह अपनी बहिन या रिश्तेदार के नाम दिया, यह बता सकता है। आज का आज पूछा जाय कि वह मोर्टगेज का पैसा कहां गया तो आपको पता लग सकता है। This is my information.

श्री दामोदरलाल व्यास : यह ऑर्डर रिलीज़ किस डिपार्टमेंट से हुआ, कैसे हुआ, किस अधिकारी द्वारा हुआ, यह तो बता दीजिए।

श्री अध्यक्ष : That is enough for you to find out the whole thing.

श्री टीकाराम पालीवाल : (जारी) गवर्नमेंट होस्टल के सामने एक लाल बिल्डिंग खड़ी हुई है जिसमें पहले इन्डस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट चलता था.......

श्री मुकिलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं, एक रामचन्द्र वकील हैं उनके यहां गिरवी है, वे इस जमीन को लेना चाहते हैं।

श्री टीकाराम पालीवाल : (जारी रखते हुए) यह मुझे मालूम नहीं किसके पास गिरवी है। मेरे पास एक सज्जन आये थे और वे ये फैक्ट्स बता गये।

इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, एक सज्जन मेरे पास आये और उन्होंने कहा कि उनकी लेन्ड का कम्पेन्सेशन काफी अर्से से मिला नहीं है, कम्पेन्सेशन मिलना चाहिए। इसके लिए उन्होंने कहा कि इसके लिए भी वे ही सज्जन इनसे रुपये की डिमान्ड कर रहे हैं... ....

श्री श्रीभानसिंह : It is time that you stop calling him 'Sajjan.'

श्री टीकाराम पालीवाल : (जारी) इस बारे में उन सज्जन ने यह भी धमकी दी कि तुम्हारा यह मामला मेरे थ्रू ही ठीक हो सकता है। ये सब बातें करने के पश्चात् मुझे वे कहने लगे कि मुझे क्या करना चाहिए। मेरी आप वकील की तरह मदद कीजिए। मैंने उनको नोटिस की तरह रिप्रेज़ेन्टेशन के तौर पर एक ड्राफ्ट बना कर दिया और उनसे कहा, यह आप भेज दीजिये। जो चीजें उन्होंने मुझे बतलाई थीं उसमें मुझे लेन्ड को एक्वीज़िशन करने के ऑर्डर भी दिखलाये थे, उन सब कागजातों को देखने से जो मुझे रीज़नेबल जंचा वह मैंने उनको बता दिया कि अगर प्रोपर फॉर्म में एप्रोच किया जाय तो जरूर यह ठीक हो सकता है। इसलिये मैंने एक नोटिस के तौर पर उनको एक ड्राफ्ट लिखकर दिया था, लेकिन मुझे आखिर यह पता चला कि जब तक उन सज्जन के जेब में पैसे नहीं पहुंचेंगे यह तय होने वाला नहीं। तो अध्यक्ष महोदय, ये ऐसी चीजें हैं जो जाकर जनता में फैलती हैं, ऑफिसरों में फैलती हैं और भी सब लोग जानते हैं इससे जनता अपनी राय शासन के प्रति बनाती है। ऑफिसर लोग भी इन कार्यों को देखते हैं तो वे भी अपनी राय बनाते हैं, हालांकि वे मुंह से कुछ नहीं कहते किन्तु राय अवश्य बना लेते हैं। आज शासन जो चला रहे हैं यदि उनमें कुछ व्यक्तियों के कारण इस प्रकार की भावना जनता में फैलती है, अविश्वास की भावना फैलती है तो आपको चाहिए कि उनको अलग करें ताकि जनता में विश्वास की भावना बढ़े।

पहले राज्यपाल के भाषण के अवसर पर एक मित्र ने एक पत्र सदन के सामने प्रस्तुत किया था, लेकिन उस पत्र का स्पष्टीकरण जिस हल्के तरीके से कर दिया गया मेरे ख्याल से उससे विश्वास की भावना बढ़ नहीं सकती, घटेगी ही। हम सब को मालूम है कि वह पत्र हममें से कुछ लोगों की जानकारी में अब से एक साल पहले आ चुका था, मुख्य मन्त्री की जानकारी में एक साल पहले आ चुका था वह पत्र। सदन में जिन सज्जनों ने अभी कुछ दिन पहले जो पत्र रक्खा वह हममें से कुछ लोगों की जानकारी में ओरिजिनल रूप में, काफी समय पहले करीब एक साल से अधिक समय पहले आ चुका था। इसके बाद उस पत्र लिखने वाले व्यक्ति और जिन सज्जन को लिखा गया उनके प्रति मुख्य मन्त्री का जो व्यवहार रहा, वह, उनका जो स्पष्टीकरण दिया उन्होंने, निराकरण नहीं करता। उनको उससे अधिक स्पष्टीकरण करना चाहिये था। पत्र में साफ तौर से एक सज्जन ने जो इस सदन के सदस्य थे एक काम को करवाने के लिये कुछ रुपये-पैसे तय होने की और काम हो जाने पर पेमेन्ट की बात कही थी। जिन सज्जन को लिखा गया है वह सज्जन माननीय मुख्य मन्त्री के अत्यन्त निकट के आदमी हैं, यह वे स्वीकार करते हैं। वह मामला मुख्य मन्त्री के विचाराधीन था; उस समय जिस समय वह पत्र लिखा गया था कि फाइल बाबूजी के पास पहुंच गई है। यह बात माननीय मुख्य मन्त्री जी ने स्पष्ट तौर से नहीं कही पर जो कुछ कहा उससे साफ है कि वह फाइल उनके पास थी। उन्होंने कहा यह था कि यह पत्र फरवरी की तारीख बताई कि १६ फरवरी को यह पत्र लिखा गया है और मार्च तक अप्रेल तक वह फाइल सेक्रेटरी के पास थी, लेकिन उन्होंने उदारतापूर्वक कहा कि इसके बावजूद मैं इस बात को कहता हूँ कि 'बाबूजी' मुझे कहते हैं। यह मुझे नहीं मालूम था। सम्भवत: वह बाबूजी सेक्रेटेरियेट का बाबू हो सकता है और कोई अधिकारी हो सकता था। पर उन्होंने स्वीकार किया कि बाबूजी उनको कहते

(श्री टीकाराम पालीवाल)

हैं। पर उन्होंने जो यह कहा कि उनका फरवरी का पत्र था और अप्रेल तक फाइल सेक्रेटरी के पास थी, यह बात सही हो सकती है। पर यह बात हो सकती है कि पत्र की तारीख को पढ़ने में भूल हो सकती है। वह तारीख है १६ मई की और १८ मई की, उदयपुर की पोस्ट मार्क है उस पर। वह इन्लैण्ड लैटर है। तो १६-५-५३ के स्थान पर १६-२-५३ वे शायद पढ़ गये। असल में वह पत्र, जहां तक मुझे याद है अध्यक्ष महोदय, १६-५-५३ का लिखा है, १६-२-५३ का नहीं। अध्यक्ष महोदय के पास वह पत्र होगा पोस्ट मार्क को देख लीजिएगा। १६-५-५३ का लिखा हुआ है जोधपुर का और १८ की पोस्टमार्क है उदयपुर की। इसलिए उस वक्त फाइल सेक्रेटरी के पास नहीं थी। सेक्रेटरी के पास तो अप्रेल तक थी और मैं उनके कहने से यह समझा कि अप्रेल के बाद फाइल उनके पास आ गई। तो जब वह पत्र लिखा गया तब फाइल माननीय मुख्य मन्त्री जी के ही पास थी।

इसलिए अब यह कहना कि ऑर्डर्स जैसे खेतसिंहजी चाहते थे उस प्रकार के नहीं हुए, दूसरे प्रकार के हुए, यह चीज ऐसी है जो पूरी फाइल को एग्ज़ामिन किये बगैर कि किस समय किस प्रकार का आर्डर दिया गया, क्या नोटिंग था, क्या रिकमंडेशन थी, किस तरह से क्या चीज थी, समझ में नहीं आ सकती। वह बड़ी डिटेल्ड एन्क्वायरी की बात है जो सरसरे एक्सप्लेनेशन से साफ नहीं हो सकती। हो जाती, अगर माननीय मुख्य मन्त्री का व्यवहार उन दोनों व्यक्तियों के प्रति बाद में उस प्रकार का होता जिस प्रकार का स्वाभाविक तौर से होना चाहिये। एक साल पहले जब उनका वह पत्र उनकी नोलेज में आ गया तो मैं समझता हूं कि किसी भी साधारण व्यक्ति का स्वाभाविक व्यवहार ऐसे साथियों के प्रति यही हो सकता है कि ये साथी मेरे नाम पर लोगों से सौदा करते हैं और मुझे बदनाम करते हैं, इसलिए न उनके प्रति निकटता रह सकती है न सौहार्द्र रह सकता है, न आउट ऑफ दी वे जाकर मदद करने की इच्छा रह सकती है। पर यहां व्यवहार में यह देखा हमने कि जनरल इलेक्शन के बाद, उस पत्र की नोलेज हो जाने के काफी दिन बाद भी श्री खेतसिंहजी को एक गवर्नमेंट अपोइन्टमेंन्ट दिया गया, डिप्टी मिनिस्टर बनने का मौका नहीं मिला तो ४५.०) की जागीर वकील या कुछ ऐसा बनाया गया और रोशनलाल जी के बारे में तो वे अब भी कहते हैं कि वे अब भी उनके बहुत निकट हैं। वे जिले की कांग्रेस के.......

श्री जनार्दनराय नागर : सारे लोगों के सारी कैबीनेट के उदयपुर डिविजन के हरएक कांग्रेसमैन के बहुत निकट हैं; उदयपुर डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस के प्रेसीडेन्ट हैं।

श्री भैरोंसिंह : यह बैठे बैठे बातें करने का कौन सा तरीका है? कुछ हिम्मत है तो खड़े होकर कहें।

(श्री किशनलाल शर्मा के खड़े होने पर)

श्री तनसिंह : वे हिम्मत कर गये।

श्री किशनलाल शर्मा : जो अविश्वास प्रस्ताव के मौके पर वाद-विवाद हुआ उस वक्त पत्र का हवाला फरवरी का दिया गया और आज के पत्र का हवाला मई से दिया जा रहा है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ वास्तव में यह पत्र फरवरी का है या मई का है, इसको जानने के लिए उस असल पत्र

(श्री किशनलाल शर्मा)

को सदन में पेश करवा कर उसकी जांच की जावे।

श्री जनार्दनराय नागर : On a point of order, Mr. Speaker, Sir, Because this issue has assumed importance of considerable magnitude, I would request through you, Sir, that they must be asked to place the original letter in this House. They have produced the photost before the House, on the table of the House, but as again my friend Shri Paliwalji says about an enquiry about this letter, I request that either he himself or his friends should be asked to place the letter on the table of the House.

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए कहूँ कि ऐसा पत्र लिखा गया है इस बात को मुख्यमन्त्री महोदय ने स्वयं ने स्वीकार कर लिया है। इसके बाद भी अगर वे ओरिजिनल लैटर पेश करवाना चाहते हैं तो वह किया जा सकता है, अगर वे इसकी एन्क्वायरी कराने का आश्वासन देते हों। अगर वे इसकी वैरीफिकेशन की सत्यता को चैलेन्ज करें तो दिखाया जा सकता है, पर इसके लिए उनको आश्वासन यह देना चाहिए कि इस मामले में ज्युडिशियल एन्क्वायरी होगी।

श्री टीकाराम पालीवा : अध्यक्ष महोदय,

(एक माननीय सदस्य द्वारा साहित्य एकेडेमी के सम्बन्ध में कुछ कहने पर)

श्री जनार्दनराय नागर : On a point of order, Sir, I object to this. Sahitya Academy has nothing to do with this issue.

श्री श्रीमानसिंह : It has something to do with your literary leanings atleast.

श्री जनार्दनराय नागर : You must be careful in passing remarks.

श्री श्रीमानसिंह : I object to your addressing me direct,

श्री मुक्तिलाल मोदी : सारे सदस्य बोलेंगे इसके बारे में फिर। आप उनको कैसे बोलने देते हैं ?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! ऑर्डर !!

श्री टीकाराम पालीवाल : अध्यक्ष महोदय, जहां तक तारीख का एतराज है उस पत्र की कॉपी आपके पास है; देख लीजिये कि यह मई की है या फरवरी की। मुझे पूरा याद है कि उस दिन कहा गया था मई का और ओरीजिनल को देखने की बात मुझे याद है कि वह मई का लिखा है। फिर भी गलती हो सकती है, आप देख सकते हैं। पत्र की नकल आपके पास है। लिखे हुए को पढ़ने में गलती हो सकती है, पर उसमें गलती नहीं हो सकती। इसको देख लिया जावे। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन यह कर रहा था कि वह व्यवहार उनके प्रति उस प्रकार का नहीं रहा जिस प्रकार का स्वाभाविक रूप से ऐसे लोगों के प्रति हुआ करता है। इसलिये उनका जो एक्स्प्लेनेशन था वह हाउस को पूरा सन्तोष कराने में सफल नहीं हो सका। यह हो सकता है कुछ हो जावे और मेरा ख्याल है कि जो एक्स्प्लेनेशन मुख्य मन्त्रीजी ने

(श्री टीकाराम पालीवाल)

दिया था उससे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को जरूर सन्तोष हुआ है और खेतसिंहजी और रोशनलालजी यहां होते तो उनको तो परम सन्तोष होता, इसमें कोई डाउट नहीं।

(हंसी)

पर फिर भी कुछ लोग ऐसे कम बुद्धि के हो सकते हैं जिनको पूरा सन्तोष नहीं होता और मैं भी उन कम बुद्धि लोगों में से हूं कि मुझे उससे सन्तोष नहीं होता है। फिर अध्यक्ष महोदय राज्यपाल महोदय के भाषण के समय नाथद्वारा के मामले में काफी चर्चा आई। वह विषय केवल सदन में ही नहीं बल्कि अब तो सदन से बाहर भी काफी चर्चा का विषय है और काफी महत्वपूर्ण लोग उसमें दिलचस्पी ले रहे हैं और मैं यह मानता हूं कि वह दिलचस्पी बिल्कुल स्वाभाविक है। नाथद्वारा वैष्णव लोगों का राजस्थान में ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण भारतवर्ष में बहुत बड़ा मन्दिर है और बहुत बड़ी संस्था है और उसमें इस प्रकार की घटना घट जाये! घटना घटे सो तो घटे, लेकिन राज्य सरकार उसको इतने हल्के तरीके से ले और यह कह करके टाला जाये कि यह तो उसका अपना मन्दिर है, उसका अपना अधिकारी है, वह भी उन्हीं का नौकर है; इसलिए यह जो कुछ मामला है उनका अपना है और इसमें हमारा कुछ लेना देना नहीं है। इतना कह दिया जाय कि स्पष्टीकरण हो गया, यह बहुत ही हल्का स्पष्टीकरण मालूम होता है। इससे संतोष नहीं हो सकता। मैं निवेदन करूंगा अध्यक्ष महोदय, कि जो तथ्य सामने आये हैं उनको देखते हुए मामला बड़ा गम्भीर मालूम होता है। यह स्पष्ट है कि ....

श्री किशनलाल शर्मा (नाथ द्वारा) : ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, इस मामले में ज्युडिशियल इन्क्वायरी होने के ऑर्डर्स हो गये हैं, इसलिए इस विषय को अब यहां न लिया जाये।

कुछ माननीय सदस्य : ऑर्डर्स अभी नहीं हुए हैं।

श्री टीकाराम पालीवाल : मुझे मालूम नहीं, इसमें इन्क्वायरी हुई है या नहीं।

श्री दामोदरलाल व्यास : Commission of enquiry has been appointed and Gazette notification has been issued.

श्री नरोत्तमलाल जोशी : If any Commission of enquiry was to be appointed, the terms of reference should have been passed by this House.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : Why ? under the law it is not ncessary.

श्री नरोत्तमलाल जोशी : Because for enqujry, on the passing of this resolution, the President has to appoint the Chief Justice.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : Under the law it is not necessary.

श्री टीकाराम पालीवाल : अध्यक्ष महोदय,....

श्री अध्यक्ष : All the Members of this House are perfectly justified in referring to this matter. This is not a judicial enquiry.

श्री टीकाराम पालीवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि यह

Page No.55

(श्री टीकाराम पालीवाल)

मामला बहुत ही गम्भीर है। इसमें जो तथ्य सामने आये हैं उनसे तीन चार बातें बहुत ही स्पष्ट मालूम होती हैं। एक तो यह है कि जो माल निकाला गया वह माल बहुत अर्से से ताले में और सील में बन्द था। वह सील मौजूदा महाराज की नहीं थी, किसी अधिकारी की नहीं थी। इसका मतलब यह है कि यह सील पहले लगाई गई थी। जो तथ्य सामने आये हैं उनसे मालूम होता है कि वह सील ३५ में लगाई गई थी जब कि एक पुराने महन्त नाथद्वारा से बाहर चले गये थे। उस समय की उदयपुर गवर्नमेन्ट...

श्री अध्यक्ष : अगर इस मामले में कमीशन ऑफ इन्क्वायरी कायम हो गया है तो इसको यहां कहने की कोई बात नहीं है।

He is saying authoritatively that it has been issued.

श्री टीकाराम पालीवाल : Commission has not been appointed.

श्री अध्यक्ष : The Commission of enquiry has been constituted to which this matter has been referred and that Commission is now seized of the matter.

श्री टीकाराम पालीवाल : अगर गवर्नमेन्ट इस तरह किसी व्यक्ति को पर्सनल कैपेसिटी में या ऑफिशियल कैपेसिटी में आर्डर देती है या रिक्वेस्ट करती है तो; if the Commission been appointed under the Enquiry Commissions Act, this question has to be answered.

श्री दामोदरलाल व्यास : Yes, that has been appointe under the Enquiries Act.

श्री टीकाराम पालीवाल : ऑल राइट, फिर भी अध्यक्ष महोदय मैं उसके टर्म्स ऑफ रेफरेन्स के बारे में कहूंगा। मैं इस केस के मैरिट्स के बारे में नहीं कहूंगा। अगर...

श्री दामोदरलाल व्यास : Terms of reference have also been published in the Gazette.

श्री टीकाराम पालीवाल : कौन सी डेट का है?

श्री दामोदरलाल व्यास : कल की तारीख का है, एक्सट्रा ऑर्डिनेरी गजट है। I will send it just now.

श्री टीकाराम पालीवाल : I have a few observations to make, Sir, about the Commission also.

मेरे ऑब्जर्वेशन्स यह हैं कि इस प्रकार जनरल सर्कमस्टान्सेज़ में...

(श्री दामोदरलाल की ओर संकेत) Is he the Chief Justice himself?

श्री दामोदरलाल व्यास : Yes.

श्री टीकाराम पालीवाल : मेरा निवेदन इस प्रकार करना है और जैसा अभी कहा है कि इस इन्क्वायरी के लिए चीफ जस्टिस को अपोइन्ट किया है और कल ऑर्डर्स इश्यू हुए हैं। अगर वे ऑर्डर्स कल इश्यू हुए हैं तो इन सब विचारों को जानते हुए, जो कि सामने आये हैं मैं यह समझता हूं कि यह गवर्नमेन्ट का सही कदम नहीं रहा है और यह सही कदम इसलिए नहीं रहा है कि जहां तक कमीशन के पर्सोनल की बात है उसमें दो राय नहीं हो सकती कि राजस्थान

(श्री टीकाराम पालीवाल)

की हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से ज्यादा उपयुक्त कोई और नहीं हो सकता था। लेकिन अध्यक्ष महोदय, स्थिति यह है कि जब तक इस केस में पुलिस इन्वेस्टीगेशन न हो तब तक कमीशन कुछ भी नहीं कर सकता और कमीशन जब तक उसके पास मैटीरियल नहीं होगा तब तक पूरी इन्क्वायरी करने में बिलकुल असमर्थ रहेगा। यह मेरा विचार इसलिए है कि हम सब जानते हैं कि इसमें करीब-करीब सभी लोगों का कहना है कि एक करोड़ की सम्पत्ति इसमें इन्वोल्वड है। एक करोड़ की हो या कुछ इससे ज्यादा की हो या इसके लगभग हो; तो इतनी बड़ी सम्पत्ति निकाल कर ले ली जाये और वह भी ताला तोड़ कर, यह निश्चित रूप से थैफ्ट की डेफीनिशन में आयेगा और एक क्रिमिनल ऑफेन्स होगा। इस सदन के एक भूतपूर्व नेता, श्री जयनारायणजी व्यास, ने अभी कुछ दिन पहले एक वक्तव्य दिया था उसमें बहुत स्पष्ट किया था कि इन्वेस्टीगेशन का काम कोई भी जज नहीं कर सकता, चीफ जस्टिस भी उसको नहीं कर सकता, उनके सामने जो तथ्य लाये जायेंगे उन पर ही वह निर्णय दे सकते हैं, पुलिस इन्वेस्टीगेशन से ही तथ्य सामने आ सकते हैं। हम सब को अनुभव है, एक बार नहीं अनेक बार कोर्ट्स कोलों कोर्ट्स को, कोर्ट ऑफ जस्टिस को फैसला देना पड़ता हैं क्रिमिनल केसेज़ में, थैफ्ट के केस में, डेकोयिटी के केस में और भी दूसरे केसेज़ में वह फैसला उसको अध्यक्ष महोदय, ऐसा देना पड़ता है कि मोरली वह कन्विन्स होता है कि ऑफेन्स हुआ है। लेकिन क्योंकि एवीडेन्स समय पर नहीं है इसलिए ज्यादा से ज्यादा यह करता है कि पुलिस के ऊपर टाल देता है कि पुलिस ने तफतीश नहीं की है इसलिए इसको एक्विट करना पड़ा। अपनी मजबूरी प्रकट करते हुए भी उनको इस प्रकार के फैसले देने पड़ते हैं। मैं नहीं समझता कि जज उसमें क्या कर सकेगा? अध्यक्ष महोदय, ज्यादा सही तरीका मेरे ख्याल से यह होता कि इस केस को चीफ जस्टिस को सुपुर्द करने से पहले सेन्ट्रल पुलिस को सुपुर्द किया जाता। उस समय मुझे बहुत संतोष हुआ था जब कि मुख्य मंत्री महोदय ने कहा था, क्योंकि उनका नाम इसमें घसीटा जा रहा है इसलिए इसकी भी चीफ जस्टिस इन्क्वायरी करेगा। यह ठीक है, लेकिन उस इन्क्वायरी से पहले जो नेसेसरी स्टैप्स इन्वेस्टीगेशन के होते है उनको बिलकुल इगनोर न करके सेन्ट्रल पुलिस से इसकी इन्क्वायरी करवानी चाहिये थी, जैसा कि एक केस में पहले कराया गया था, जिसमें मुख्य मंत्रीजी के एक सहयोगी मंत्री का नाम क्रिमिनल केस में ले रहे थे, एक किडनेपिंग के केस में लिया जा रहा था। करीब एक साल तक राजस्थान पुलिस कुछ नहीं कर सकी और वह मामला सदन में भी आया था, जनता में भी आया और कुछ लोग बाहर की हस्तियों से भी मिले और जब उसकी इन्क्वायरी करानी जरूरी हो गई तब ऐसा मालूम हुआ है कि मुख्य मंत्रीजी ने स्वयं होम मिनिस्ट्री को यह लिखा कि क्योंकि मेरे एक साथी का नाम इसके अन्दर है इसलिए लोकल पुलिस से तफतीश न होकर सेन्ट्रल पुलिस से करवाई जाये। वह हुआ है और उसमें जो कल्प्रिट्स थे, they were brought to book; उनको सजा दी गई और जिस साथी का नाम लिया जा रहा था उस साथी का नाम एग्ज़ाज़रेट किया गया और जिस जज ने सजा दी उस जज ने एक जगह नहीं कई जगह उस साथी को एग्ज़ाज़रेट किया बल्कि उनकी प्रशंसा इस

(श्री टीकाराम पालीवाल)

बात की की कि उन्होंने तो उस डाकू से रुपये वापिस दिलाने की कोशिश की। तो वह उस तरह से कन्डक्ट क्लियर हुआ है। मैं चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी का नाम जिस तरह से इसमें जोड़ा जाता है उनका भी कन्डक्ट क्लियर हो, लेकिन पूरी तरह से क्लियर तब होगा जब कि इन्क्वायरी के लिए जो रिलेवेन्ट बातें हो सकती हैं उन सबको जज महोदय के सामने लाने की पूरी व्यवस्था कर दी जाय, और वह व्यवस्था जज महोदय खुद नहीं कर सकते हैं। वह व्यवस्था एडमिनिस्ट्रेशन को करनी होगी, गवर्नमेंट को इन्वेस्टीगेट करवाना होगा। राजस्थान गवर्नमेंट को जब पहले पहल खबर मिली नाथद्वारा काण्ड की तो उनको इन्वेस्टीगेट करवाना चाहिए था और पुलिस से इन्वेस्टीगेट करवाना चाहिए था। हमें नहीं मालूम है कि शायद इस खयाल से कि चीफ मिनिस्टर का नाम इसमें जोड़ा जाता है यहां की पुलिस ठीक से न करे इसलिए इसको सैन्ट्रल पुलिस को रेफर करना चाहिए था। सैन्ट्रल पुलिस के इन्वेस्टीगेट करने पर जो तथ्य आयें उनको जज महोदय के सामने रखा जाय। जज महोदय का कर्तव्य नहीं है कि वे एवीडेन्सेज़ कलेक्ट करें। जज महोदय का कर्तव्य एवीडेन्सेज़ का एप्रेज़ल करना होता है और जजमेंट देना होता है। जज महोदय को यदि यह कहा जाय कि वह पुलिस का काम करे तो दुराशा मात्र है और वह मामला लीपापोती करने के अलावा ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता है।

२. १. म. प

मेरा निवेदन यह है कि इसमें ३-४ आदमी स्पष्ट रूप से इन्वोल्व्ड हैं, महन्त, अधिकारी, ट्रेज़रार और वहां के कुछ और लोग। उन्होंने किसी कमेटी के सामने कुछ स्टेटमेंट्स दिये हैं, और उन स्टेटमेंट्स से यह मालूम होता है कि बहुत बड़ी सम्पत्ति थी। उस बहुत बड़ी सम्पत्ति को अनऑथोराइज़्ड तरीके से निकाला गया। एक अधिकारी ने तो दबी जबान से कहा है कि महन्त को ले जाने से मना कैसे करें, अगर मना करते तो वे चीफ मिनिस्टर से शिकायत करते। जब कि जज महोदय के पास पूरा मसाला पहुंच नहीं पायेगा, ऐसी स्थिति में इन्क्वायरी करायेंगे और फिर बिना पूरे पूरे तथ्यों के जज महोदय के सामने रखने की व्यवस्था किये एन्क्वायरी करायेंगे तो अध्यक्ष महोदय, लोगों में वही अविश्वास की भावना बनी ही नही रहेगी, अपितु और ज्यादा बढ़ेगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि इन सब चीजों पर बहुत ज्यादा ध्यान से काम करना चाहिए।

चीजें तो और भी हैं, अध्यक्ष महोदय, लेकिन मेरे खयाल से जो कहा गया है उनको ही पूरा करें, उन पर ही अमल किया जाय, और जो चीजें डाउट्स क्लियर करने वाली हैं उनके नाम यही हैं और उन पर ही गवर्नमेंट काम कराये तो मेरे खयाल से आगे के लिए और आशा की जा सकती है।

राजा श्री मानसिंह : मि० स्पीकर, सर....

श्री मदनसिंह दांता : अध्यक्ष महोदय,...

श्री **अध्यक्ष** : राजा श्री मानसिंह।

राजा श्री मानसिंह (वैर) : There are two points, Sir, on which I feel that the Finance Minister deserves congratulations. One point on which the Finance Minister des-

(राजा श्री मानसिंह)

erves congratulations is that after one year he has at least realised that Rajasthan is the third biggest State in the Union of India. The other one is that he has made good effort in trying to break up the old tradition of deficit budgeting in Rajasthan. He also deserves my personal thanks that he has had the Budget prepared in English for the benefit of some of the Hon'ble members.

Before I come on to the Budget itself I should like to congratulate my friend from the Mahuwa Constituency and I entirely agree with him regarding the point that he has brought up, but I feel that these points would have been better put forward at the time of the No—confidence Motion, rather than on the debate on the Budget. He has experienced certain difficulties in his constituency or district regarding the transfers of officers.

श्री टीकाराम पालीवाल : I have not felt any difficulty.

राजा श्री मानसिंह : I should request the Hon'ble member that he should also not interrupt in the same way in which he objected.

The difficulties that he felt in his constituency and district have been felt by 57 members of the Opposition in this House. We feel that officers are transferred more for the reason, how they support or do not support the Congress Party rather than for administrative reasons. The Hon'ble member, Sir, talked a lot about the faith that the people should gain in the administration; the faith that they should gain in the Members of this House and in the Government. How can they gain any faith when we ourselves hide things at the time when we should speak them out and speak when they do not matter so much ? I am convinced that the Hon'ble members' voice should have been better heard if he had occupied the seat next to me here.

He has taken a lot of time of this House criticizing the Government quite openly. We, in the opposition have listened to him diligently as we know that he is a nominee for the Rajya Sabha and perhaps this may be the last opportunity that he has got of criticizing the Government. But as a result of his speech I have myself begun to feel that in the coming years he may be given more opportunity of speaking in this House, When I heard his speech it was brought to my mind a quotation from the writings of a learned poet which very well expresses the feelings of my learned friends. The heading of that article, with your permission, I should like to read, is—

"The Denial Came To Judgment"

"So the Denial came to judgment; and presently forgot that he

(राजा श्री मानसिंह)

was free in the Chair. He holds the balance of his own surprises and sorrows. His gains, fallen on the lost ground, prick his eyes, full of crocodile tears. So the Denial began to cry out his past sins in the laps of others.

He tried to suck the nipples of the others man's wife taking her to be his mother unwedlocked. He was superb in his art of spiritual cunning and made himself as the saint of serpents. The fact is that the Denial sees his own face in the mirrors of others."

This is how the impression has been made on me by the Hon' b'e member.

Coming to the Budget, Sir, the Finance Minister has given us a Budget which is surplus by 19 1/2 lacs but its scrutiny indicates that the figures presented are misleading in view of the fact that this surplus for such a big State is no encouragemert to the people. I have my own feelings and feel that at the end of the year 1958-59 we will be actually facing a deficit of a figure of about Rs. 214 lacs. We seem to run the impression that the finances of our State are like that of charitable institution. We rely more on outside help than on our own resources. If we separate the contributions that this State receives from the centre in one form or the other it is quite clear that our expenditure far exceeds our income.

To support my contention, Sir, I should like to compare the figures that have been placed in the budget for the year 1957-58. Last year's budget wrs presented bearing deficit of Rs. 280 lakhs. We aro now told that deficit will probably come down to approximately 155 lakhs. It would seem, Sir, looking to these figures, that we should be proud of our achivements for the last year. But if we go into the details of the last year's figures, it becoms apparent how badly the budget itself was prepared. On the revenue side which the Hon. Finance Minister has mentioned, certain departments show huge deficit amounting to Rs. 233.84 lakhs, which clearly shows that revenues of these departments were grossly overestimated. This year also we are overestimating to the tune of 215.47 lakhs over the revised estimates of the budget for 1957-58. This is only in the case of some departmets that showed a deficit last year. On the other hand, certain departments on the revenue side showed an increase in all to the tune of 61.42 lakhs over the estimates of that year. This year, in the same departmets which showedan increase last year, a further increase has been estimated to the figure of 62.37 lakhs, which means that since March, 1957 to March, 1959, nine departmets will have

Page No.60

(राजा श्री मानसिंह)

an increase in their revenues amounting to 123 lakhs. In my opinion, Sir, this is beyond the revenue capacity of these departments.

From this it is quite clear to me, Sir, that the budget estimates figures are quite unreliable. On the expenditure side, it is extraordinary that in 14 departments, the expenditure exceeded the budget estimates of 1957-58 by 136-37 lakhs; only in 14 departments. In another 10 departments there was a decrease in expenditure against their estimates for that year, amounting to Rs. 129.25 lakhs, which means that last year's budget estimates on the expenditure side were out of proportion to the figure of 265.08 lakhs. If we deduct from this the contribution of Rs. 3 crores from the Central Government, (अश्रव्य) it is quite possible that our State instead of having an estimated deficit for the last year of 155 lakhs, could quite easily have gone in to a deficit of 5 crores. This year, instead of decreasing our expenditure, we are further increasing it. In those departments which showed an increase last year of 126.73 lakhs, this year there has been a further increase estimated at 85.88 lakhs and in those departments, Sir, that show a decrease last year, they have been estimated this year with increase of Rs. 81.92 lakhs. Honestly, Sir, there are many wonders that are produced from under yellow and pink turbans. It is obvious, Sir, that much is lacking in the proper computation of the figures of the budget which is presented this year before us. Even assuming that the figures that have been given to us are correct, in view of the proposed taxes, I would like to emphasise that this budget is definitely anti-agriculturist. The planning Commission has fixed a target of 18 lakhs additional taxation. Of this target, the farmer will be directly taxed for more than 50% in the form of betterment levy or increase in irrigation rates. In view of the surplus estimates, Sir, if we forego this direct taxation on the farmer, then budget which has been presented, will only undergo a deficit of approximately 25 1/2 lakhs which is negligible. If the Government agree to this, it can quite easily of-set the deficit by further increase in excise and entertainment taxes.

To my mind, Sir, the Government acted most unconstitutionally last year by increasing the school fees for students. They should have taken this House into confidence before doing so and by this unconstitutional act last year, not only have the Government suffered a great loss in prestige, but has also suffered much regarding finances. I hope, Sir, that the Government is not thin-

(राजा श्री मानसिंह)

king of doing such unconstitutional acts this year.

Although, Sir, we have made very bold estimates with regard to our revenue receipts, which may or may not materialise, we have done nothing towards decreasing the expenditure. Here, as an example, I should just like to mention, Sir, that last year and coming year, we will have increase in one department only, Police Department, of the expenditure by 33 lakhs. There was no question trying to decrease the expenditure. I shall try to suggest to economise, Sir, in the various heads of expenditure when the demands are taken up.

Under the heads of Capital outlay and development schemes, there is a marked lowering of estimates for the coming year. I feel, Sir, these estimates are placed at such a low figure mainly to balance the budget and to give misleading figures. At this stage, I should like to stress certain points. I suggest, Sir, that the Ministers should be made to maintain their own cars in the same way as Collectors and higher Government officials have to maintain their own cars at the headquarters. Similarly, the Ministers should be made to maintain their own cars at the Capital. At present the Government cars are grossly misused by the Hon. Ministers.

I should like to suggest, Sir, that the divisional offices that we have transferred from Jaipur to Ajmer at the time of the reorganization of the State should again come back to Jaipur which is the central place in the division. Due to transfer of these offices not only the public is greatly inconvenienced but the State is put to a great financial loss as mainly all the offices are housed in the non-governmental buildings. I should like to suggest, Sir, that there should be a provision in the Budget for the construction of a suitable hostel for the College students at Bharatpur. There is none at present there and the students have to share the accommodation in the building of the High School Hostel. When the present High School Hostel building is not enough to accommodate the needs of the High School hostllers alone, how can it cater for the needs of the College. At present on the College rolls there are more than a thousand students.

I should also like to suggest that the concession in the supply of electric power that the Government gives to the heavy industries should also be extended to the cottage industries and agriculturists for irrigation purposes. The concession should be given to the cottage industries and to the agriculturists irrespective of the amount of power that they consume.

(राजा श्री मानसिंह)

Then, Sir, there is the age old problem of retirement and pension. Retirement and pension orders of Government employees should be issued together. At present generally after retirement many months and even years elapse before pension orders are issued. Pension orders can easily be prepared within the same period that the retirement orders are prepared. Then, Sir, the pensioners who get a pension of less than Rs. 100/- per month deserve a rise in their pension and I also feel, Sir, that the Government should give free medical aid to them and to their dependants as also free education for their children upto at least High school standard.

Then comes the question of irrigation problems. These problems cannot be solved entirely by our irrigation projects. I feel, Sir, that the Government should adopt measures by which every farmer could have a well for irrigation on his small holding. And for the sinking of these wells a certain amount should be given as Grant-in-aid and the balance should be given as a loan to be paid back on easy instalments.

Then comes the question of land-revenue. Urban people earning less than Rs. 3000/-are exempted from Income-Tax, wheras the poor farmer who does not even earn a fraction of this amount has to pay something or the other in the form of land revenue. I again stress, Sir, that the Government must take step to abolish land-revenue altogether. There is bound to be a shortage in our revenue receipts if this measure is adopted but this shortage can be off-set from the share of taxes that we should receive from the Centre.

Then we should also press the Central Government to impose the Salt-Tax. The Salt Tax was opposed by us all when this country was under foreign bondage but after Independence we should set aside our sentiments in order to make our various plans successful. We can exploit the best source of revenue i. e. the Salt Tax. Sir, I appeal to the Government that they should, along with other provinces press the Central Government to impose the Salt Tax.

Finally, Sir, I again request the Government that they should not levy the betterment tax and they should not increase the irrigation rates so that the poor farmer can be benefitted.

With these words, Sir, I take my seat.

श्री बरकतुल्लाहखां (जोधपुर द्वितीय): माननीय अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री महोदय के भाषण की प्रति अंग्रेजी में मिली, वह मैंने पढ़ी और जो बजट के आंकड़े मिले, उनको देखा, फिर स्पीच को पढ़ा और फिर आंकड़ों को देखा, और अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि जान पाऊं कि इसके अन्दर,

(श्री बरकतुल्लाहखां)

सोशलिस्टिक पेटर्न कहीं नजर आता है या नहीं ? मेरी बदकिस्मती ऐसी रही कि तमाम कोशिशों के बावजूद, जी से यह चाहते हुए कि इसके अन्दर सोश्यलिज़्म की बू पाऊं लेकिन मैने कुछ ऐसा देखा कि इसकी बेसिक पेटर्न है वह पुरानी है, बल्कि यदि मैं यह कहूं कि सिवाय इसके कि बाज बाज जगहों पर कुछ इस तरह का नज़ारा भर दिया गया है कि तबियत को अच्छा लगे; इसके अलावा सोश्यलिस्टिक पेटर्न की कुछ चीज नजर आने लगे, यह मेरी जाति ख्वाहिश थी और आज भी है लेकिन सबसे बड़ी चीज जो आंखों को तकलीफ देती है वह सरप्लस बजट की। जब "सरप्लस" लफ्ज़ सामने आता है है तो दिमाग में यह ख्याल पैदा होता है। राजस्थान एक बैकवर्ड स्टेट है और यहां पर बढ़ते हुए टैक्स इसलिए हैं कि जो ज्यादा काम जिम्मे लिये हैं उनको पूरा कर लेंगे, लेकिन बाकी रुपये को कहां लगायें, इस सरप्लस रुपये को, इस तरह की कोई चीज हो, जो इस सरप्लस अमाउन्ट से हो सकती है। तालिबे इल्म स्टूडेन्ट की जो फीसें बढ़ाई गई, जो बाद में कम कर दी गई, उसमें एक सेक्शन रह गया, उसकी फीस कम नहीं की। मैं समझता था, शायद यह सरप्लस अमाउन्ट उसमें काम आ जाय, लेकिन उसमें काम में नहीं आया जैसा कि पैराग्राफ ८२ में फरमाया है:

"It is proposed to spend during 1958-59, a sum of Rs. 65 lakhs on Urban Water Supply Schemes and Rs. 20 lakhs on Rural Water Supply Schemes."

मैं समझता था कि सरप्लस पैसा है वह देहातों में पानी के इन्तजाम के लिए रखा जा रहा है, लेकिन हमारे पास इतनी कम रकम है, अगर २० लाख इस इन्तजाम के लिए दे दिये जायं तो भी जो रूरल वाटर सप्लाई स्कीम है, वह हर गांव के अन्दर, हर कस्बे के अन्दर सोश्यलिस्टिक पेटर्न के मेसेज को ले जाती है, वहां के लोगों के दिमाग के अन्दर एक चीज पैदा करती है कि तुम्हारे लिये देख भाल के काम किये जा रहे हैं। हमारे राजस्थान में खास तौर से ऐसे इलाके हैं, जहां पानी की बहुत कमी है। अगर उन देहातों को रुपया मिल जाय तो उनकी मुश्किलें दूर हो सकती हैं। अगर पैराग्राफ ८२ में यह रुपया देने को तैयार नहीं हुए, तो मैं समझता था कि पैराग्राफ ८४ में यह रुपया देने की कोशिश की जायगी। इसके अन्दर लिखा है :

"The medical programme aims at the expansion of the curative medical services and to bring them in an increasing measure within the easy reach of one and all, specially the people residing in rural areas. Besides providing for Ayurvedic and other indigenous systems of medicines, Government is encouraging naturopathy and Yogasan exercises also in the State." तो इस पैराग्राफ के द्वारा यह बताया गया है कि गवर्नमेंट की जो मेडिकल की पालिसी है, उसमें ज्यादा एम्फेसिस दिया जाता है; क्योरिटी साइड की तरफ, लोगों को क्योर किया जाय। मैं समझता हूँ कि जो थोड़ा रुपया बचा है वह प्रिवेन्टिव चीजों के काम में आ जाय, तो माता जैसे बीमारी है, जिसको दुनिया के कई मुल्कों ने अपने मुल्कों में खत्म कर दिया है लेकिन हिन्दुस्तान के अन्दर और राजस्थान के अन्दर खास तौर पर यह बीमारी मौजूद है। पहले जोधपुर के अन्दर एक कोर्ट बनी हुई थी जिसके तहत वेक्सीनेशन लगाने के लिए वेक्सीनेटर कभी घोड़े पर,

(श्री बरकतुल्लाहखां)

कभी ऊंट और कभी बैलगाड़ी में देहातों में जाते थे और टीके लगाया करते थे ।

२. ३० म प.

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

तो मैं समझता हूं कि क्यूरेटिव मेज़र्स के बजाय प्रिवेन्टिव मेज़र्स अख्त्यार कर लेते तो ज्यादा अच्छा रहता, जो नजर नहीं आया । यह तो रही एक तरफ की चीज । दूसरी तरफ की चीज यह है कि चाहे जितना रुपया आप बजट में अलौट कर दीजिये पर जब तक आपके पास अच्छी, एफिशियेन्ट मशीनरी नहीं होगी तब तक कोई अच्छी प्रोग्रेस नहीं हो सकती । उस मशीनरी को एम्प्लाई करने के लिये टोप से लेकर बोटम तक आपको ओवरहॉल करना पड़ेगा ।

सब से पहले चलिये; आप कौंसिल आफ मिनिस्टर्स को ही ले लीजिये । राजस्थान एक बहुत बड़ा प्रोविन्स है, इसमें सिर्फ ६ मिनिस्टर्स हैं और इन मिनिस्टरों के कंधों के ऊपर बहुत बड़ा वजन रख दिया गया है । इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता, यह मानना पड़ेगा कि मिनिस्टर्स ओवर वर्क करते हैं, हर मिनिस्टर को कम से कम १००-१५० दस्तखत हर रोज करने पड़ते हैं । इसके अलावा कॉन्फ्रेन्सेज़ अटेन्ड करनी पडती हैं, इन्हें इन्टरव्यूज़ करने पडते हैं, अपनी पोलिटिकल पार्टी की तरफ इन्हें ध्यान रखना पड़ता है, और जहां से कि वे आये हैं, उनके इलाके के जिले के आदमी आते हैं, उनसे भी उन्हें बात-चीत करनी पड़ती है । यह सारा वजन ६ आदमियों के कंधों पर डाल दिया जाता है। तो मैं समझता हूं यह उन लोगों के साथ ज्यादती है । इसलिये मैं कहना चाहूंगा कि हमारी कौंसिल आफ मिनिस्टर्स में एक्सपेन्शन की जरूरत है । जब मैं यह कहता हूं तो इससे यह न समझा जाय कि मैं किन्हीं अपनों के लिये सिफारिश करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : That cannot be expected of you.

श्री बरकतुल्लाहखां : Thank you. लेकिन मैं समझता हूं कि यह राजस्थान के इन्ट्रेस्ट के अन्दर है कि इन पर जो ओवर बर्डन है वह बर्डन प्रोपोर्शनेटली डिस्ट्रीब्यूट हो और इन ६ मिनिस्टर्स की जगह १०-१२ लोग हों ।

इसके साथ ही दूसरी तसवीर को रखूंगा, इसको कहते हुए शर्म भी महसूस होती है । जो मौजूदा हमारे मिनिस्टर्स हैं उन्होंने मिनिस्टरी में आने से पहले कोई बहुत पैसा इकट्ठा कर रखा हो ऐसी बात नहीं है, इनमें ज्यादातर लोग ऐसे रहे हैं, जिन्होंने अपना सारा का सारा वख्त अपने मुल्क की खिदमत को अंजाम देने में डिवोट किया, नतीजा यह हुआ कि वे कोई अपना धंधा जमा नहीं सके और मिनिस्टरी में आने के पहले उनकी माली हालत कोई बहुत अच्छी हो, ऐसी बात नहीं । मिनिस्टरी में आने के बाद उनकी १००० रुपया तनख्वाह हुई, उसमें से ५० रुपये तो इन्कम टेक्स के कट जाते हैं, ५० रुपया (अश्रव्य)

फंड में देना पडता है, ५० रुपया कांग्रेस वालों को देना पड़ता है, इसके बाद १५ पर्सेंट वोलेन्टेरी कट में दे दिया है; तो मुझे ताज्जुब होता है कि जो बाकी बचता है उससे कैसे काम चलता है ? मिनिस्टरी में आने से पहले के प्राइवेट सोर्सेज तो हैं नहीं इन्कम के, फिर १५ पर्सेंट वोलेटेरी कट मांगा, तो इस तरह इनको जो तनख्वाह मिलती है वह

(श्री बरकतुल्लाह खां)

७०० रुपयों के करीब होती है, इससे थोडी कम हो सकती है, तो इनको ७०० रुपये माहवार मिलते हैं और खुदा के फज़ल से सब के ६ से लेकर २ बच्चे जरूर हैं, उनकी पढ़ाई का खर्चा है, बीबी का खर्चा है....

श्री उपाध्यक्ष : Is it the economics of the Ministers... ?

श्री बरकतुल्लाह खां : No, Sir, I am telling you where the difficulty lies? I mean if you overburden the Ministers, they cannot give their very best, if most of his time is spent in worrying. What I want to bring to your notice is, Sir, that once the country has accepted 10 per cent voluntary cut, and that too with great reluctance, here comes the Rajasthan Ministry which comes and says that we are heroes, we want 15 percent cut. That is something you see, Sir, a very thin line which divides sublime from ridiculous. That was my point, Sir. तो यह एक ऐसी चीज है कि जिस तरीके से हम लोग चल रहे हैं, उसमें ज्यादा प्रोग्रेस नहीं कर सकते। दूसरी सरकारों में, मैं समझ सकता हूं कि ज्यादा लोग ऐसे आये हैं जो प्रोफेशनली सक्सेसफुल थे, कुछ रिटायर हो कर आये, जिनके खूब काम धंधा था वे लोग गवर्नमेंट में आये, पर यहां ऐसी बात नहीं है और फिर यह १५ पर्सेन्ट वोलेन्टेरी कट मंजूर कर लिया, इतनी छोटी सी तनख्वाह में कैसे काम चलावें ? उधर तो रहने के लिये बंगला दे दिया, गाडियां, कार दे दी, झंडा दे दिया। जिस कॉन्स्टीट्युएन्सी से वे चुन कर आये हैं वहां के लोग इनके पास चले आते हैं उनको खिलाना पड़ता है, जो इनके पोलिटिकल दोस्त हैं वे चले आते हैं और तनख्वाह के रह गये सिर्फ ७०० रुपये; आखिर कहां से इन सब को खिलायें, कहां से यह सब खर्चा चलायें, कहां से अपना और अपने बीबी बच्चों का खर्चा चलायें और इस पर अगर वे एफिशियेन्टली काम नहीं करते हैं तो यहां खड़े होकर उनको क्रिटिसाइज करते हैं। तो मैं यह कहना चाहूँगा कि इस वोलंटेरी कट को कम कराने के लिये उनको शर्म आती है, तो हमें सजेशन देना चाहिये कि तनख्वाह ज्यादा ले लें, १५% वोलेंटरी कट है उसे कम कर दिया जाय। मैं ईमानदारी, बेईमानी पर नहीं आता। एक तरफ तो इतना ओवर बर्डन कर देते हैं और दूसरी तरफ २५ तारीख को ही बेचारों को शिकायत होती है कि सिगरेट कहां से आयेगी, डालडा कहां से आयेगा, जिसमें आखिर यह १५ पर्सेन्ट वॉलेंटरी कट कर दिया, इसको १० पर्सेंट कर दीजिये।

एक माननीय सदस्य : ज़ीरो ही कर दीजिये।

श्री बरकतुल्लाह खां : नहीं, १५% से एक दम जीरो पर आने में शर्म महसूस होती है। यह तो मिनिस्टर्स के लेवल की बात हुई, अब जो रोजमर्रा काम आता है, वह है सेक्रेटेरियेट; तो इस सेक्रेटेरियेट को अच्छी तरह से जब तक ओर्गेनाइज़ नहीं कर सकते तब तक कितने ही मिनिस्टर्स बढा दीजिये, आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। सब से पहले राजस्थान की हालत को देखना पड़ेगा। हमारे ओफीसर्स जिन्होंने छोटी छोटी स्टेट्स में ऑफीसर्स बनने की ट्रेनिंग पाई थी, जब राजस्थान बना, तो इतने बड़े राजस्थान का काम उनके जिम्मे पड़ा,

(श्री बरकतुल्लाह खां)

सो काल्ड ब्रिटिश इन्डिया जिस चीज को डिस्कार्ड करना चाहते थे, उसको हमने अपना लिया, हिन्दुस्तान के अन्दर धीरे धीरे यह बात महसूस होने लगी है कि कमिश्नर्स की जरूरत नहीं है, हमारे राजस्थान में कमिश्नर्स को लाकर बैठा दिया, जिनका का काम सिर्फ यह है कि डिग्निफाइड तरीके पर होस्ट का काम करें और डिवीज़न्स के फंक्शन्स को अटेन्ड करें, कमिश्नर का काम कलेक्टर कर सकता है, आज भी मैं समझता हूं इतना रीओर्गेनाइज़ कर सकते हैं। सही माने में स्टेट को अच्छी तरह से रन करना है तो स्ट्रोंग सेक्रेटरीज़ और स्ट्रोंग हैड्स ऑफ दी डिपार्टमेंट्स रखने पड़ेंगे। आज होता क्या है कि कोई सेंक्शन करना है तो बजट में एडमिनिस्ट्रेटिव सेंक्शन करते हैं, नतीजा यह होता है कि एक डिपार्टमेंट के लिए, एक स्कीम के लिए एक पर्टीक्युलर रकम हाउस ने सेंक्शन कर दी, तो उस डिपार्टमेंट की जो सेंक्शन है उसे स्क्रुटिनाइज़ करवा लेते हैं, तो आपके पास ऐसे हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट्स होने चाहिए कि जिनको ट्रस्ट कर सकें और सेक्रेटरीज़ ऐसे होने चाहिये कि जो पॉलिसी ले डाउन की है स्ट्रोंगली उसको वर्क आउट करवायें, तीन महीने के अन्दर अन्दर एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शंन करके दे दी जाय, नहीं दी जाय तो प्रिज़्यूम किया जाय कि सेंक्शन दे दी गई है; नहीं तो सेक्रेटेरियेट में होता क्या है कि एक फाइल इधर से उधर जाती है और डिले हमेशा लीड करती है प्रिज़म्पशन को। इस डिले को आप रोक नहीं सकते, यह कम्पलसरी है क्योंकि राजस्थान का सेक्रेट्री किसी भी पेपर को डाइरेक्टली डील नहीं कर सकता। वह चाहता है कि पेपर पहले क्लर्क के पास से सुप्रिन्टेन्डेट के पास और उसके बाद एसिस्टेन्ट सेक्रेट्री आदि के पास होता हुआ उसके पास पहुंचे, उसको खुद को कोई अख्तयार नहीं। जहां पर आपने सेक्रेटेरियेट में इतनी बोल्डनेस नहीं रखी और इस तरह का पेपर पहुँचने का रुटीन रखा है तो नेचुरली डिले होगी और जिन लोगों का काम रुका हुआ होगा वे लोग क्या करेंगे? वे लोग नेचुरली छोटे मोटे नेताओं के पास जाते हैं और चक्कर लगाते हैं और उनसे कहते हैं कि फलां मिनिस्टर को कह देना। यह चीज़ हम खुद पैदा करते हैं क्योंकि हम लोगों में गट्स और करेज नहीं है। मैं तो यह कहूंगा कि अगर आप राजस्थान की उन्नति चाहते हैं तो आपको उसे गुड गवर्नमेंट देनी होगी और गुड गवर्नमेंट वही होगी कि किसी कागज का जवाब उसको १०-१५ दिन में मिल जाय। आज एफिशियेन्सी का यह हाल है कि अगर मैं यह कहूं कि एक एम. एल. ए. ने चीफ मिनिस्टर साहब को एक खत लिखा, उसको बहुत अर्सा हो गया, मगर आज तक उसका उनको जवाब नहीं मिला। यह तो चीफ मिनिस्टर के पर्सनल स्टाफ की एफिशियेन्सी है। जब एम. एल. ए. की यह हालत है तो दूसरों की बात ही क्या होगी? मिसाल के तौर पर मैं एक इन्ट्रेस्टिंग बात बताता हूं। जोधपुर डिविजन में एक पेन्शन कहें या जागीर का मामला कह सकते हैं, आज १० महीनों से पड़ा हुआ है। उसका गवर्नमेंट कोई उत्तर नहीं दे रही है। न तो उस मामले में गवर्नमेंट "हां" करती है न "ना" करती है। यदि गवर्नमेंट "ना" करती है तो वह हाई कोर्ट में जाकर अपनी लीगल रेमेडी सीक कर सकता है, यदि "हां" करती है तो पैसे देने होते हैं। नतीजा यह होता है कि लोगों के दिमाग में यह ख्याल आता है कि सरकार डेलीबरेटली यह डिले कराती है। मैं इस बात को नहीं मानता कि सरकार डेलीबरेटली डिले कराती है या सरकार की यह

(श्री बरकतुल्लाह खां)

मंशा हो कि किसी तरह से डिले हो। मगर जो तरीका गवर्नमेंट ने अख्तयार कर रखा है उससे लोगों के दिमाग में यह बात आती है कि सरकार जान-बूझकर डिले करा रही है। जब तक आप अपने यहां से डिले को नहीं निकालेंगे तब तक लोगों को यह कहने का मौका मिलता रहेगा। इसके अलावा मैं एक और इन्टरेस्टिंग बात आपको बता देना चाहता हूं और वह यह है कि जोधपुर शहर में मैंने एक गजट देखा, जिसमें यह हुक्म आया था कि जो बिजली के मीटर थे उनकी रेंट कम कर दी गई है। मगर इसके बाद भी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट जोधपुर पुरानी रेंट लेता रहा। जब लोगों ने वहां के ऑफिसरों से कहा तो उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं है। लोगों ने कहा कि यह ऑर्डर गजट में शाया हो चुका है, लेकिन उन्होंने गजट के ऑर्डर को सही नहीं माना और यही कहा कि उनके पास कोई ऑर्डर नहीं है। यह इस तरह की चीज हो जाती है कि अधिकारी गजट की बात को नहीं मानते। आप रात दिन एक करके यह कोशिश करते हैं कि लोगों को यह महसूस हो कि जो काम किया जा रहा है सब लोगों के फायदे के लिए किया जा रहा है और सब को पब्लिक के फायदे के लिए काम करना चाहिए, मगर दूसरी तरफ आप डिले करते हैं। इससे लोगों के दिमाग में यह बात आ जाती है कि सरकार जान-बूझ कर डिले करती है। जब आप इस प्रकार की छोटी छोटी चीजों में देरी कर देते हैं तो बड़ी चीजों में देरी होना संभव ही है। मैं तो आपसे यह अर्ज करूंगा कि जोधपुर में बिजली की क्या हालत है? मैं जोधपुर का रहने वाला हूं इसलिये आपको वहां का जिक्र करना चाहता हूं और बता देना चाहता हूं कि वहां की बिजली की हालत क्या है? वहां यह हालत है कि पिछले तीन वर्षों से पॉवर हाउस की यह हालत है कि हर दो घन्टे, तीन घन्टे बाद बिजली गायब हो जाती है और यह कोई यकीन के साथ नहीं कह सकता कि वह कब वापिस चालू होगी। सरकार इन पर करोड़ों रुपये खर्च करती है, दूसरी स्कीमों में और दूसरी तरफ खर्च करती है। जब जोधपुर के लोग वहां की बिजली की यह हालत देखते हैं तो उनके दिमाग में आता है कि आप जोधपुर की परवाह नहीं करते। पुराने टर्बाइन खराब हो जाते हैं तो उसकी जगह आप दूसरे की कोशिश नहीं करते। ये छोटी छोटी चीजों का सब टोटल इसलिए पड़ता है कि आपको इसमें कोई पर्सनल इन्टरेस्ट नहीं है। पर्सनल इन्टरेस्ट ६ आदमियों को कैसे हो सकता है? जोधपुर में नलों के लिये गड्ढे ही खुदे पड़े हैं। माननीय उपाध्यक्ष, ये छोटी छोटी बातें हैं और मुझे कहते हुए शर्म आती है और अगर यहां नहीं कहता हूं तो कहां कहूं? पर्सनली कह नहीं सकता और खत लिखने की हिम्मत नहीं। पहले, इन्टरव्यू का टाइम लिये बगैर जा नहीं सकता। मालूम नहीं सदन के सदस्य के साथ क्या बर्ताव हो जावे? यह बात एफिशियेन्सी की रही।

जहां पर डिले होती है वहां करप्शन होता है, वहां करप्शन खुद पैदा होता है। उधर के बैठने वाले रोजमर्रा इस शब्द को इस्तेमाल करते हैं लेकिन यदि इस शब्द को ट्रेजरी बैंच ने प्रयोग किया तो इसको पर्सनल तरीके से ले लिया जाता है। मैं यह अर्ज कर रहा हूं कि जहां डिले होती है वह करप्शन को डील करती है। यदि आप डिले को हटा दें तो मैं यह कह सकता हूं कि आपके यहां से ८० पर्सेन्ट करप्शन खत्म हो जावेगा। जिस तरह से आपने नाथद्वारा के मामले में कदम उठाया, मैं समझता हूं कि वह इतना

Page No.68

(श्री बरकतुल्लाह खां)

बढ़िया कदम है कि उसके लिये मैं ट्रेज़री बैंच और मुख्य मंत्री को मुबारकबादी देता हूं और मैं यह निवेदन करूंगा कि दो, तीन, चार, पांच या ६; इससे ज्यादा चार्ज नहीं लगने वाले हैं । आप उनकी भी जांच करवा लीजिये, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए और लोगों के दिलों में यकीन हो जाए। हाथ कंगन को आरसी क्या, सिपाही को डर क्या ! रोजमर्रा पर्सनल मामला लेते हैं, पार्टी वाले कहते हैं तो (अश्रव्य) लगा है । ४ या ५ केसेज़ होंगे उनकी खट खट इन्क्वायरी करा दीजिये तो आप देखेंगे कि सब शिकायत और लोगों की शंका दूर हो जाएगी। तो मेरा दोस्ताना मश्विरा यह है कि जहां आपने नाथद्वारा के लिए इतना बड़ा कदम उठाया है वहां दो चार और की इन्क्वायरी करा लें ।.मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं। उनके बारे में आप इन्क्वायरी करा लें तो महीने, दो महीने के बाद आप आराम से बैठ जाएंगें और माननीय सदस्यों के दिमाग में जो शंका है वह मिट जायेगी और उनको मालूम हो जावेगा कि जो उनकी शिकायत थी वह गलत थी। यह एक तारीफ की चीज होगी।

इसके बाद मैं एक छोटी सी चीज़ अर्ज करना चाहता हूं कि जहां करप्शन के बारे में इतनी बातें कही जाती हैं उसका आप नोट नही लेते। डाइरेक्टर मेडिकल एण्ड हेल्थ के बारे में इस हाउस की कमेटी ने लिखा उसका तो कोई नोटिस नहीं लिया। इस हाउस की जो कमेटी लिखती है उसका आप नोट नहीं लेते क्योंकि ऐसी परम्परा ही गई है कि कमेटी कुछ लिख देती है और केस खत्म हो जाता है। लेकिन ब्लिट्ज़ जैसे अखबार ने ऐसा डेमेज़िंग आर्टिक्ल लिखा है कि कोई भी सेल्फ रेस्पेक्ट वाला व्यक्ति उस अखबार पर मुकदमा चलाता। मेरे सुनने में आया कि गवर्नमेंट कोई मुकदमा नहीं चलाना चाहती मगर वह ऑफिसर उसके खिलाफ मुकदमा चलाना चाहता है। यह बात कहां तक सही है, मगर उस ऑफिसर को सरकार ने मुकदमा चलाने की पर्मिशन नहीं दी जब कि उसने सरकार से पर्मिशन मांगी। अगर सरकार ने ऐसा किया है तो सरकार ने उस ऑफिसर के लिये बहुत ज्यादती की है। उस व्यक्ति को मौका मिलना चाहिये कि वह कोर्ट से अपना फैसला कराता कि वह खबर जो निकली है वह गलत है, आप उसको प्रोटेक्टशन दीजिये। यह मैं नहीं कहता कि प्रोटेक्ट न करें लेकिन मैं यह कहूंगा कि रोंग तरीके से उसको प्रोटेक्शन न करें, राइट तरीके से करिये। जब कोई उस व्यक्ति कि ऑनेस्टी और इन्टीग्रिटी को हिट करता है तो कोर्ट से फैसला करा लेना चाहिये, जितने रुपये उसके मुकदमें में खर्च होंगे उससे कहीं ज्यादा रुपया उसको मिल जावेगा। उसको आप प्रोटेक्शन देते हैं और आप इस प्रकार उसको प्रोटेक्शन देकर लोगों के दिलों में ऐसा इम्प्रेशन देते हैं कि वह गिल्टी है। इसलिये मेरा अर्ज करने का मतलब यह है कि सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें जो मैंने गवर्नमेंट के सामने रखी हैं वे इसलिए नहीं रखी हैं कि हम गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करना चाहते हैं। मैंने इसलिए रखी हैं कि लोगों के दिलों में जो डाउट्स हैं वे दूर हो जावें। जिस दिन ट्रेज़री बैंच के पर्सनल कान बन्द कर लेंगे या जिस तरीके से काम करना चाहिये न करेंगे, उसका नतीजा यही निकलने वाला है कि हाउस में खिलाफ वातावरण बनेगा;

(श्री बरकतुल्लाह खां)

चाहे कोई मिनिस्टर हो, चाहे दूसरा, चाहे अपनी पार्टी का हो, चाहे दूसरी पार्टी का ।

इसके पहले कि मैं अपना भाषण समाप्त करूं, माननीय गृह मंत्री जो यहां नहीं हैं, यदि वे यहां होते तो मैं उनको मुबारकबादी देता। डाकू कल्याणसिंह मारा गया और उसमें तराचन्द ने, जोधपुर सुप्रिन्टेन्डेंट पुलिस थे, उन्होंने बहादुरी दिखाई और शानदार खिदमत करते हुये मारे गये; मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट उनके बच्चों और बाकी लोगों के लिए कुछ न कुछ इन्तजाम करेगी ।

श्री उपाध्यक्ष : ठाकुर दांता ।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बजट पर जो कुछ कहूं उससे पहले मैं यह कहूँ कि सबसे बड़ी खुशी मुझे यह हुई कि आज कम से कम इस सदन में महात्मा गांधी की पार्टी की आज ही एक झलक मालूम पड़ी, जब कि हमारे माननीय पालीवालजी, जो भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, ने गवर्नमेन्ट के सम्बन्ध में. बजट पर बहस के दौरान जो बातचीत हुई, जो बातें बतायीं उसके बाद कोई बहस बाकी नहीं रह जाती है कि यह फिर कहा जाय कि आज गवर्नमेन्ट के ऊपर जनता में और माननीय सदस्यों में किस तरह का विश्वास है । जैसे आज दो-तीन सदस्यों ने हिम्मत की, यदि ऐसी हिम्मत अविश्वास के प्रस्ताव को, जब लिया गया था तब की जाती तो मालूम होता । लेकिन ऐसा मालूम हो रहा है कि दिल्ली जाते जाते थोड़ा सा फटकारा दे रहे हैं तो उस फटकारे से काम चलेगा नहीं । जब इन चीजों की पहले से मालूम थी और यदि उनको सदन में पहले ही रखा जाता और ठीक ढंग से उसको यहां हाउस में ले आते तो यह आज नौबत नहीं आती, लेकिन लोग जाते जाते कहते हैं । लेकिन दिल्ली जाकर जो जो चीजें कहीं हैं, जिन जिन चीजों पर गवर्नमेन्ट के प्रति अविश्वास हुआ है, कहां तक उनकी इन्क्वायरी करावेंगे, यह तो आगे ही देखा जावेगा ।

बजट पर दो शब्द कहूं, उपाध्यक्ष महोदय ! बजट ऐसी वस्तु है जिसको पूरे साल के बाद में देखने पर, चाहे बजट व्यक्ति का हो, चाहे कोई संस्था का हो, चाहे गवर्नमेन्ट का बजट हो, किसी का हो, मालूम हो सकता है कि क्या संजीदगी है, जो विश्वास दिलाया था उनके लिए तो बाद में ही मालूम होता है । ५७-५८ के बजट के नतीजों को देखते हुए यह विश्वास नहीं होता कि आगे जो बजट बना रहे हैं उसमें वही का वही प्रबन्ध होगा और ३ करोड़ का घाटा नहीं होगा या इससे भी अधिक होगा । जिन मिनिस्टरों के हाथ में बजट रहते हुए भी तीन करोड़ का घाटा हुआ तो आगे कैसे विश्वास किया जा सकता है और कैसे विश्वास हो सकता है कि १६ लाख का जो फायदा होने का बता रहे हैं वह फायदा उनके हाथ से हो जायगा । उन लोगों से यह ठीक ढंग से होगा, यह विश्वास नहीं होता । राजस्थान की जनता की रकम का दुरुपयोग किस किस तरह से होता है और हुआ है उसके नमूने भी बता दिये, नमूने व्यक्तिगत बताये, डिपार्टमेन्ट के नमूने दिये गये । लेकिन इतना करते हुए भी आखिर होगा क्या ? वह तो जब ही हो सकता है कि सदन के सारे सदस्य इस बजट को इस तरह से देखें कि यह हमारा खुद का रुपया है और राजा की धारणा करके कि जिस तरह से मिनिस्टरों की पेशी होती है उसी तरह से बहस करें तो ठीक है, अन्यथा फालतू है । कुछ बातें हमने कहीं, आपने

(श्री मदनसिंह दांता)

उसका जैसे चाहा वैसा उत्तर दे दिया, हमने सुन लिया यदि इस प्रकार यह होता रहा तो इस बहस से कोई फायदा ही नहीं है। मुद्दे की बात तो यह होती जब कि सरकार पर मेरा हाथ होता।

(हंसी)

और मैं पेशी कराता मिनिस्टरों से और देखता कि क्या क्या गड़बड़ी है। यदि सरकार पर मेरा हाथ होता तो मैं मिनिस्टरों को बुला बुला कर पूछता कि किस तरह से बजट बनाया जाता है और सही रूप में बजट को डिस्कस करने का मजा भी आता और इतना ही नहीं शायद देश-निकाला भी होता कुछ मिनिस्टरों को।

(हंसी)

ऐसी ऐसी गड़बड़ियां हुई हैं जिससे देश-निकाला देता। आज-कल देश निकाला नहीं हो सकता तो प्रान्त निकाला तो अवश्य देता। यदि जांच सही रूप में की जाती तो अलवर की घाटी से निकाले जाते, यदि मेरे पास में सरकार होती।

(हंसी)

श्री उपाध्यक्ष : पहले के पद का क्या होता ?

श्री मदनसिंह : (जारी) बात यह है कि प्रजातन्त्र का ढंग है, इसलिए बजट पर इस तरह से बहस होती रहती है अन्यथा उपाध्यक्ष महोदय, माननीय फतहसिंहजी ने एक बात कही थी, बजट के सम्बन्ध में श्री वह, आज भी बजट में पुलिस का २३ लाख खर्चा बढ़ाने की बात कहते हैं और उसी पुलिस के लिए जब कि मां, बहिन और बेटियों की बेइज्जती होती हुई देखते हैं, उसी पुलिस के लिए खर्चा बढ़ाने की सिफारिश करते है यह कैसे सहन कर सकते हैं ? हम सब जानते हैं कि राजस्थान में सती का जलना कानून के खिलाफ है लेकिन आप सब जानते हुए भी कि कानून के खिलाफ होता है लेकिन उन सतियों को माता के रूप देते हैं। इस राजस्थान की भूमि पर आज भी हम देखते हैं कि बहिन और बेटियों की इज्जत और उनकी लाज नहीं बचा सकते, उस हालत में पुलिस पर खर्चा करने की स्वीकृति देने का किसका मन हो सकता है ? आपने रखा है २३ लाख का खर्चा उसी पुलिस पर ! पुलिस के जरिये डाकू मारे जाते हैं और काम भी होते हैं लेकिन इसके साथ साथ यह नहीं देखते कि पुलिस के लोगों से ही ऐसे ऐसे घृणित काम होते हैं जिनके लिए आपके दिल में विचार तक नहीं होता। मैंने यह बात पहले भी राज्यपाल महोदय के भाषण के वक्त भी कही थी। मैंने स्वयम् कहा था कि आपकी कॉन्स्टिट्युएन्सी में ऐसा कांड हो चुका है कि पुलिस कर्मचारी ने बेइज्जती की, लेकिन दो महीने हो गये होम मिनिस्टर साहब ने, उनको बुला कर पूछना तो कहीं दूर रहा, लेकिन जांच तक नहीं की कि ऐसा कैसे हो गया। इस तरह के कांड के लिए और चोरियों के लिए मैंने यहां खुला चेलेन्ज किया था कि मेरे साथ आप कल ही चलिये और मैं आपको बता सकता हूं। इस काम में कमी जरूर हो गई कि जूती और मिर्ची की चोरी नहीं हुई लेकिन जहां ८० हजार का सोना चांदी चोरी हो जाता है तो, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब इस प्रकार से एक बड़ी चोरी कर ली जाती है तो उसका करने वाला साल भर तक चोरी नहीं करता और उसको आवश्यकता नहीं पड़ती है। होम मिनिस्टर आई. जी. पी को बुला कर पूछते, किसी से तो ऐसी बात पूछते, लेकिन नहीं, अब तो बारह महीने बाद काम पड़ेगा। इसलिए हम कैसे

(श्री मदनसिंह दांता)

स्वीकृति दें कि पुलिस पर इतने रुपयों का खर्चा होना चाहिए। जब पुलिस का कार्य ठीक ढंग से नहीं चल रहा है, हमें तसल्ली नहीं है तो इतनी राशि पुलिस पर खर्च करने के लिए हमारा मन गवारा नहीं करता कि पुलिस पर खर्चा होना चाहिए।

दूसरी एन्टी-करप्शन की बात आती है और इस पर तीन लाख खर्चा करने का सरकार ने तय किया है उसके लिए भी हमारा दिल गवाही नहीं देता कि इसकी स्वीकृति दें। जो खर्चा है वह फिजूल है। माननीय पालीवाल जी ने बताया कि एन्टीकरप्शन सतर्क नहीं है, यदि एन्टी करप्शन सतर्क होता तो न तो मिनिस्टरों की और न ही बाबूजी की हिम्मत होती कागजात दिखा कर करा लिया, न ही नाथद्वारा कांड होता, घोटाला होता। एन्टीकरप्शन मेम्बर वालों को न देकर दांता वाले को दे दो। इतना तहकीक समझें, एक दो मिनिस्टरों का खेल खत्म होता है। कह दिया कि इसकी इन्कवायरी हो रही है, जांच हो रही है, इधर उधर हो गया, इस तरह से पार नहीं पड़ेगा। मिनिस्टर होते हुए इन्क्वायरी क्या उनके खिलाफ होगी? चीफ मिनिस्टर की इन्क्वायरी क्या हो, जब तक वे गद्दी से अलग नहीं होते तब तक उनके खिलाफ कोई गवाही देने वाला नहीं आता। मैंने देखा है छोटे २ कोर्ट्स में केसेज़ होते हैं। यहां तक होता है कि जिसको पकड़ लेते हैं जिसको पकड़ लिया जाता है उसको जमानत पर तक नहीं छोड़ा जाता है, उसको अरेस्ट कर लेते हैं।

३ म. प.

राजस्थान के चीफ मिनिस्टर महोदय कहते हैं कि नाथद्वारा काण्ड की इन्क्वयारी मैं कराने के लिये तैयार हूं और उन्होंने करने के आदेश भी दिये हैं, लेकिन जब तक वे चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर आसीन हैं सही इन्क्वायरी होना बिल्कुल असंभव है। जब वे साहस के साथ इतना कहने को तैयार हैं कि मैं इन्क्वायरी कराने के लिये तैयार हूं तो इसके साथ साथ उनको यह भी हिम्मत बतानी चाहिये कि वे गद्दी भी छोड़ने के लिये तैयार हैं और गद्दी छोड़ देते। इस प्रकार से उनका केस ज्यादा ताकतवर बनता और इन्क्वायरी भी सही ढंग से हो सकती थी। गद्दी पर उनके बैठे हुए उनके खिलाफ इन्क्वायरी होगी, जांच होगी, मैं समझता हूं इसमें पार पड़ने वाली बात नहीं है। आज एवीडेन्सेज़ मौजूद नहीं, वे इकट्ठी करनी होंगी और फिर आप क्या यह समझते हैं कि उनके गद्दी पर रहते हुए कोई एविडेन्स देने का साहस कर सकता है? आज हम ज्यादा नहीं बोलना चाहते केवल इतना ही कहना चाहते हैं, प्रत्यक्ष ऐसे केसेज़ हो चुके हैं जिससे हमें सन्देह होता है। एक केस के बारे में मैं जिक्र करूंगा। हाई कोर्ट से जिसके बारे में आदेश हो चुके, महाराजा माधोसिंहजी के टाइम में जिस पर आर्डर हो चुके, महाराजा मानसिंह जी के ऑर्डर्स जिस पर हो चुके और मिनिस्टरों की कौंसिल द्वारा जिस केस में ऑर्डर हो चुके, जिसके बारे में हाईकोर्ट ने रूलिंग तक दे दिया कि आयन्दा ऐसी चीज़ नहीं होगी, उन आर्डर्स के खिलाफ, सारे राजाओं के ऑर्डर्स के खिलाफ, मिनिस्टर्स की कौंसिल के ऑर्डर के खिलाफ एक ठिकाने का ऐसा केस कर दिया गया है उससे ऐसा मालूम होता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ी जरूर है, इससे सारी जनता को सन्देह होता है और होना भी चाहिए। जनता के दिमाग में यह भावना बैठती जा रही है कि कि ऐसा केस होना यह बताता है कि किसी न किसी ने कुछ खाया है। इस तरह के कानून

(श्री मदनसिंह दांता)

का चैलेन्ज तक कर दिया जाता है। जयपुर के यहां का ही केस है और यह उन्हीं बाबूजी से संबन्धित है जिनकी चिट्ठी पहले सदन में रखी गई थी, उसमें रेवेन्यु सेक्रेटरी की गलती नहीं, वे बेचारे क्या कर सकते हैं, उनको तो ऊपर से दबाया जाता है। ऐसे केस भी मौजूद हैं। अगर हमारे मुख्य मंत्री महोदय को आज कोई रिप्रेजेन्ट करता हो तो वे उठकर कहें कि मैं उनको रिप्रेजेन्ट करता हूँ तो मैं उस केस का नाम भी बता सकता हूँ अन्यथा उपाध्यक्ष महोदय, मुझे जब चीफ मिनिस्टर साहब यहां हों, चार पांच मिनट का समय और दिया जाय ताकि मैं उनके सामने वह केस बता सकूं।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): ऐसा कोई केस है और आपको मालूम है तो बता दीजिए।

श्री मदनसिंह दांता : वह केस चौपड़ी का है। अब आप मुझे बता दीजिए कि आप मुझे इसमें कितनी मदद देंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : आप एश्योरेन्स उधर से मत मांगिए आप दोनों के बीच में मैं हूं। आपने जिस चीज का यहां जिक्र किया है उसके वाकेआत का सदन को पता नहीं है। जब हाउस में यह प्रश्न आ गया है तो आपको उसका स्पष्टीकरण करना चाहिए।

श्री मदनसिंह दांता : (जारी) मैं यह कहना नहीं चाहता था क्योंकि वह चीफ मिनिस्टर से सीधा संबंधित है, जब आपने फरमा ही दिया तो मुझे बताना जरूरी हो गया है। उपाध्यक्ष महोदय, उस केस में चीफ मिनिस्टर महोदय का हाथ है और वह केस है चौपड़ी जीवनसिंह ठाकुर का। मलसीसर से हक हट गया था, उस पर श्री माधोसिंह जी के ऑर्डर्स थे, दुबारा महाराज मानसिंह जी के ऑर्डर्स भी उस पर हुए, मिनिस्टरों की कौंसिल के भी ऑर्डर्स उस पर हुए। यह चीज पूरी तौर से उस समय तय हो गई थी, उसमें किसी को किसी प्रकार का उज्र नहीं हुआ लेकिन इतना होने के बाद किसी को मलसीसर का हक दे दिया गया। सब चीजों का उल्लंघन करके हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ, कौंसिल के आदेशों के विपरीत एक व्यक्ति के फेवर में इन प्रकार के मिनिस्टर लोग ऑर्डर्स कर देते हैं। इससे क्या साबित होता है ? इससे यही साबित होता है कि कोई न कोई घोटाला जरूर है। चालीस वर्षों से जो केस तय है उसको फिर से उखाड़ा गया, इससे साफ जाहिर होता है कि किसी न किसी की जेब में कुछ न कुछ पड़ा है तभी जाकर ४० साल का पुराना मामला जो पहले से ही तय था उसको उखाड़ कर मलसीसर का हक दूसरे को देना करार कर दिया है।

राजस्व मन्त्री महोदय ने फरमा दिया है इसलिए मैं अब उनके मामले भी बता देता हूं वे चाहें तो। आप मुझे विश्वास दिलायें कि उसकी इन्क्वायरी वे कराने के लिए तैयार हैं। वह केस है, चारवास का; चुरू डिस्ट्रिक्ट का केस है। उसमें होता क्या है उपाध्यक्ष महोदय, जागीरी उन्मूलन कानून का नियम है कि जिस किसी को कम्पेन्सेशन देना होता है यदि जीवित अवस्था में वह कम्पेन्सेशन उस व्यक्ति को मिल जाता है तो वह ले सकता है, उसकी मृत्यु के बाद यदि उसके कोई उत्तराधिकारी नियत किया हो या उसके पीछे किसी को गोद लिया हो तो उस उत्तराधिकारी को कम्पेन्सेशन मिल सकता है, किन्तु होता क्या है इस चारवास के केस में। वहां के जागीरदार की मृत्यु हो गई और उसकी जागीर

(श्री मदनसिंह दांता)

रिज़्यूम भी हो चुकी; उसके बाद में होता क्या है कि वहां के कलेक्टर और कमिश्नर ने मिल कर किसी व्यक्ति को पकड़ कर उनकी जगह बिठा दिया और सरकार को रिकमन्ड कर दिया कि यह उनका उत्तराधिकारी है इसलिए इनको कम्पेन्सेशन दे दिया जाय। जागीर के नियमों में इस बात का साफ उल्लेख है, इस प्रकार का अगर कोई डिस्प्युटेड मामला हो तो सिविल कोर्ट उसको डिसाइड करेगा। लेकिन यह कुछ नहीं किया गया; कलेक्टर, कमिश्नर और रेवेन्यु मिनिस्टर महोदय ने मिल कर उस जागीरदार को १७-१८ हजार रुपया कम्पेन्सेशन के नाम पर दिलवा दिया। तीनों की इसमें जवाबदेही है। वे जवाब इसलिये नहीं देते हैं, मैंने इस बारे में प्रश्न भी रखा है, किन्तु उसका जवाब मुझे काफी दिनों से नहीं मिल रहा है क्योंकि गलती पकड़ी गई और जिन कलेक्टर महोदय की यह गलती है आज वे हमारे राजस्थान राज्य के डाइरेक्टर ऑफ एज्युकेशन के पद पर विराजमान हैं। उनको इतना बड़ा दर्जा दे दिया गया जिनके खिलाफ इस प्रकार इल्जामात हैं कि उन्होंने कानून के खिलाफ १७ हजार रुपया कम्पेन्सेशन की तौर पर दिलवा दिया। उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं, उनको और ऊंचे पद पर नियुक्त कर दिया गया, डाइरेक्टर ऑफ एज्युकेशन के पद पर। क्या एन्टीकरप्शन का महकमा ऐसे केसेज़ नहीं पकड़ता है ? हम आई० जी० पी० से यह कह देना चाहते हैं, आप हमारा पैसा लेते हो, कम से कम इस एन्टीकरप्शन विभाग को तो ठीक ढंग से चलाओ। क्या इस केस की इन्क्वायरी एन्टीकरप्शन विभाग कर रहा है ? नहीं, उनको ऐसे मामलों को देखने की कहां फ़ुरसत है ? वे घूमते हैं किसी पान वाले की दुकान पर। सीकर में हमने देखा है कि पान की दुकान पर घूमते हैं और देखते हैं कि कहीं कोई चपरासी आना, दो आना, रुपया, दो रुपया तो किसी से लेता नहीं है ? अगर कोई चपरासी या मामूली क्लर्क दो चार रुपये ले लेता है तो उसके लिए एन्टीकरप्शन विभाग है। वास्तव में एन्टीकरप्शन का काम तो इस जागीरी महकमें में है जहां हजारों लाखों रुपयों का बंटवारा होता है, वहां जाकर उनको तलाश करना चाहिये। वे वहां जाकर देखें कि किस प्रकार कानून के खिलाफ केसेज़ का फैसला होता है ? एक जागीरदार को जबर्दस्ती थोप दिया गया और इतना ही नहीं किया उसको थोप कर कम्पेन्सेशन भी दिलवा दिया। अब आप उससे कम्पेन्सेशन तो वापिस ले नहीं सकते ....

श्री दामोदरलाल व्यास : किसने दिया, किसको दिया, जागीरदार का क्या नाम है ?

श्री मदनसिंह दांता : (जारी) क्या आप उसे जानते नहीं है रामसिंह नाम है उस जागीरदार का, चूरू के कलेक्टर ने उसको चारवास का जागीरदार बना दिया। मैं आप से पूछना चाहता हूं, क्या आपको उसका पता नहीं है ? उपाध्यक्ष महोदय, हम इस बजट सेशन में यह प्रण करके आये हैं और मेरे दूसरे साथी भी यह तय करके आये हैं कि जो भी हम इस सेशन में कहें बड़ी ईमानदारी से बातें रखे। लेकिन जब एन्टीकरप्शन का नाम आता है तो बड़ी गड़बड़ी पैदा हो जाती है।

श्री दामोदरलाल व्यास : इसके मामले के बारे में जब आपने मुझे कहा तो मैंने आपको सब समझा दिया था।

श्री मदनसिंह दांता : तो क्या आप यह कहना चाहते हैं कि मैंने बगैर अधिकार के कहा है ?

श्री उपाध्यक्ष : आरंभ रखिये ।

श्री मदनसिंह दांता : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि यह ऐसा मामला है जिसको सीधा पुलिस को सुपुर्द कर दिया जाय । आज उन कलेक्टर महोदय को जिन्होंने ऐसा काम किया है उनको डाइरेक्टर ऑफ एज्युकेशन की पोस्ट मिली हुई है । इसमें बहुत बड़ा घोटाला है । वे रुपये तो आपको मिलने वाले नहीं क्योंकि कमिश्नर और कलेक्टर की आज्ञा से उनको जागीरदार बनाया गया है, वे रुपया वापिस क्यों देंगे ? वह तो गवर्नमेंट को भरना होगा । इल्लीगल सरकार ने उसको जागीरदार माना है क्योंकि सिविल कोर्ट से तो यह तय नहीं हुआ था, उन रुपयों का भी बंटवारा हुआ है । यह तो बोम्बेवाला जान सकता है कि किस किस का बटवारा हुआ है । माननीय मंत्री महोदय भी समझ गये होंगे, अब आप खुद क्या दूसरों को समझा रहे हैं, आज आप किसी प्रकार का एक्शन लेते तो उस समय के क्लेक्टर को आज डाइरेक्टर ऑफ एज्युकेशन के पद पर नहीं रखा जा सकता । इससे ज्यादा क्या सुबूत एसेम्बली के सामने दिए जा सकते हैं ? यह केस ऐसा है कि इसमें किसी प्रकार की इन्क्वायरी की जरूरत नहीं है । अगर इसकी ज्यादा इन्क्वायरी की जाय तो यह सब साबित भी हो सकता है । जो गवर्नमेन्ट चालीस वर्षों से तय शुदा केसों में हाई कोर्ट की रूलिंग के खिलाफ भी फैसला दे सकती हैं । उस गवर्नमेन्ट पर कैसे विश्वास किया जाय ? आज ३३ करोड़ का राजस्थान का बजट है उस बजट पर भी कैसे उनका मन न चलेगा ? इसके अलावा जहां ३३ करोड़ का बजट है उसमें आगे चलकर १६ लाख का फायदा हो जायगा, यह मेरी समझ में नहीं बैठा । सन १९५७–५८ में जो बजट का खर्चा हुआ उसको देखते हुए यह विश्वास नहीं होता कि आप वचन को निभाओगे । दूसरा यह कि जो १६ लाख का फायदा बताया है इस पर कई सदस्य बता चुके हैं कि केवल टैक्सेज़ बढ़ा कर यह फायदा बताया गया है ! ८० लाख का टैक्स बढ़ाकर १६ लाख का फायदा बताने से यह नहीं माना जा सकता कि आप कोई फायदा कर देंगे ।

रही बात आम जनता के समझने की, सो बात यह है कि अब की बार जो बजट का प्रकाशन हुआ, आम जनता में यह धारणा जरूर बनी कि हमारे वयोवृद्ध वित्तमन्त्री महोदय ने अब के बचत तो रक्खी है और इसलिये बचत का नाम रक्खा है क्योंकि घाटे की चीज से आम जनता नफरत करने लग गई थी, मध्य भारत में घाटे का बजट, बम्बई में घाटे का बजट, आन्ध्र में घाटे का बजट, जहां देखा वहां घाटे का बजट, तो राजस्थान सरकार ने यह तो ठीक सोचा कि अबकी बार बचत का रक्खो जिससे आम जनता की अच्छी ओपीनियन हो । पर मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं आपको कि आपके इस भुलावे में जनता नहीं आएगी, वह समझती है आपके सब कारनामों को ।

श्री उपाध्यक्ष : पब्लिक क्या समझती है यह प्रश्न नहीं है, हम क्या समझते हैं यह प्रश्न है ।

श्री मदनसिंह दांता : हम यह समझते हैं कि और भी घाटा होगा और घाटे में हम रहेंगे और जनता पर अन्याय के टैक्स लगेंगे जो राजस्थान में ही क्या हिन्दुस्तान में नहीं लगे । यह हम समझ रहे हैं ।

(हंसी)

इसलिये कहता हूं कि कागज पर बचत की चीज दिखाकर इस तरह से टैक्स लगाये जावेंगे जनता पर जो न मुसलमानों के राज्य

(श्री मदनसिंह दांता)

में लगे, न राजाओं के राज्य में लगे, ऐसे टैक्सेज़ ये आज लगा रहे हैं और ये टैक्स इसी तरह से लगाते रहे तो फिर क्या हो सकता है ? हुआ तो नहीं है । हो सकता है कि लोग बर्दाश्त कर लें, पर किस हद तक बर्दाश्त करेंगे ? इसलिये आज जो सरकार यह कहा करती थी कि यह किसानों की सरकार है, हरिजनों की सरकार है, उन हरिजनों और किसानों को पूछो कि उनकी आज क्या हालत हो रही है ? आज वे इन टैक्सों का कितना विरोध करने को तैयार हैं और ऐसा ही नहीं है उपाध्यक्ष महोदय, अभी तक तो असेम्बली में ही आकर हम विरोध का नमूना पेश करते रहे हैं, पर अब के जनता का क्या विरोध है इसका नमूना बाहर भी पेश होगा । अब के टैक्सेज़ पर नमूना पेश किया जावेगा बाहर । यह धमकी की चीज नहीं है । इसका प्रबन्ध हो रहा है क्योंकि असेम्बली में काफी ईमानदारी से कहा, पार्टी के लेवल को छोड़ कर ईमानदारी से बातें कहीं और इसका केवल जैसा अभी माननीय पालीवालजी ने फरमाया था कि ११६ की मेजोरिटी पर कह देना कि सूरज उगा नहीं है तो ऐसी चीजें आप करने लगे हैं, तो इनका जवाब जनता के जरिये जान भी लेंगे । इसलिये मैं सदन के सभी सदस्यों से निवेदन करूंगा कि आज तो बजट पर जिस वक्त कहीं कुछ फरमावें इस दिमाग और दिल से फरमावें कि यह हमारा पैसा है, जैसे हमारे घर का पैसा हो और इसको चैक करने जा रहे हों । अगर यह स्पिरिट रहेगी तो विश्वास हो सकता है कि आप सही ढंग से बहस करेंगे ।

फिर ऐसे बजट पर उपाध्यक्ष महोदय, कि इसके पोथे में ही इतना वजन है कि दो चार महीने लगें तभी सही रूप से पूरी बहस हो सकती है । अगर ईमानदारी से बहस करना चाहें, एक-एक आंकड़े पर बजट पर बहस करनी हो तो दो-तीन महीने मिनिस्टर साहब दिलवा दें अपनी कुर्सी, मैं उनकी कुर्सी पर बैठा होऊं और फिर चैकिंग हो इसका....

(हंसी)

फिर तो सही माने में चैकिंग हो सकती है । अन्यथा, ये जो खराबियां दिख रही हैं, कहीं एन्टीकरप्शन में दिख रही हैं, कहीं कुछ दिख रही हैं वे ऊपर-ऊपर की खराबियां ही देख-देख कर बता सकते हैं कि इसमें यह हुआ इसमें वह हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय, चेयर की तरफ से यह भी हुआ कि अपनी-अपनी कॉन्स्टीट्युएन्सी की चीजें नहीं कहनी चाहिये । पर वे इसलिये कहने की जरूरत पड़ती है कि ..

श्री उपाध्यक्ष : आप कृपा करके चेयर के रूलिंग के सम्बन्ध में कमैन्ट न देंगे, आप प्रारम्भ रक्खें अपना भाषण ।

श्री मदनसिंह दांता : (जारी) उपाध्यक्ष महोदय, सारे राजस्थान की इसलिये जरूरत नहीं पड़ती कि सभी मेम्बर अपनी-अपनी कॉन्स्टीट्युएन्सी की बातें अच्छी तरह से जानते हैं और वे ही बताई हैं । इसलिये एक के लिये सारे राजस्थान की बातें कह पाना जरूरी नहीं रह जाता वह सारी जगहों की बातें इतनी अच्छी तरह से जान नहीं सकता है । तो यह किस लिये कहने की जरूरत हुई कि अपनी अपनी कॉन्स्टीट्युएन्सी की जो जो बातें जिन जिन सदस्यों ने अब तक यहां बताईं उनमें से यहां एक भी मेम्बरों ने अब तक खड़े, होकर यह नहीं कहा कि बजट में ठीक ढंग से सरकार ने रुपया खर्च किया है । अब तक जितने भाषण हुए हैं उनमें यही कहा गया कि सब जगह से लोगों

Page No.76

(श्री मदनसिंह दांता)

की शिकायतें हैं। इसका मतलब साफ है कि सारे राजस्थान में सरकार का अविश्वास है। जितने भी राजस्थान के प्रतिनिधि यहां हैं उनमें, ट्रेज़री बैंचों पर बैठने वालों के सिवाय, सबको यह मालूम है कि जिस ढंग से रुपया खर्च होना चाहिये था वैसे खर्च नहीं हुआ। यह कह देना कि ३३ करोड़ खर्च कर दिया, बेमाने है। आप ५४ करोड़ और कर दें। पर जिस ढंग से, जिस मतलब और लक्ष्य की पूर्ति के लिये पैसा खर्च करने की तैयारी की थी वह रुपया उस ढंग से, उस मतलब और उस लक्ष्य की पूर्ति के लिये खर्च नहीं हुआ, तो स्पष्ट है कि यह रुपया आपका फिजूल गया।

दूसरी यहां बड़ी बड़ी बातें भी हुईं। कई सदस्यों ने सरकार को उदयपुर के राणा प्रताप की पदवी देकर खुद माननीय सदस्य बीकानेर के पीथल बने और यह कहा कि जितने भी उदयपुर में काम हुए वे बीकानेर ने पूरे किये। तो माननीय सदस्य भूल गये उस वक्त पैसे के बजट का घाटा नहीं था; उस वक्त वीरता के बजट का घाटा था इसलिये पूर्ति की। इस वक्त पैसे का घाटा है। इसलिये अगर उनकी कॉन्स्टीट्युएन्सी में ऐसे दस–पन्द्रह सेठ हों जो तीन–चार करोड़ का सरकार का घाटा हर साल पूरा करते रहें तो मैं मानूंगा कि बीकानेर का वह स्थान हो सकता है जो पहले स्थान था, अन्यथा यह तो बात की बात थी। न तो राणा प्रताप हो सकते हैं न पीथल। आज राणा प्रताप पर और नाथद्वारा पर किसी का मोड़ नहीं हो सकता। इसलिये उनका नाम यहां बार बार लेना, मैं समझता हूं यह बात बहुत बड़ी होगी, इसलिये यह उपयुक्त नहीं। इसलिये मैं समझता हूं कि बार बार राणा प्रताप का नाम लेकर इस तरह की मिसालें देना उचित नहीं होगा। उस वक्त न तो बजट था, न गजट था और न ऐसे मामले थे।

पर सबसे मोटी बात यह है उपाध्यक्ष महोदय, कि एक अंग्रेजी में कहावत है उसको मैं हिन्दी में बताता हूं कि जो बजट पर और गजट पर नहीं चलता उस आदमी का विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि खुद का बजट गजट, अपने खुद के दिमाग से तैयार किया है, उसको भी वे जब एक साल भी नहीं हुआ निभा सकते तो फिर वे लोग कैसे पब्लिक के उन वादों को हर बात पर उन्होंने किये हैं निभा सकेंगे? जब अपनी ही चीज पर ठीक ढंग से पाबन्द नहीं रह सकते हैं, पाबन्दी नहीं लगा सकते हैं वे दूसरों के साथ किये गये वादों पर कैसे पाबन्द रह सकते हैं? इसलिये जो गजटेड हैं और जो बजट और गजट पर नहीं चलने वाली सरकार है, उन पर विश्वास करना ठीक नहीं है।

(हंसी)

और मैं तो यह समझता हूं कि इतनी बातें पालीवालजी ने कहीं, ऐसी सरकार में ऐसा अन्याय होता है उसमें इसकी मुझे चिन्ता होती है। यह उसके (अश्रव्य) काण्डों से कम काण्ड हैं क्या? जहां मिनिस्टरों के लिये जांच की बातें की जाती हैं, कागज पकड़े जाते हैं, चोरियों के मुकदमे चलाये जाते हैं जिन पर वे फिर भी कुर्सियों पर चिपके हुए बैठे रहें, मैं पूछता हूं उनको आखिर इससे लाभ है क्या? यह मेरी समझ में नहीं आया। इतने आरोप अगर किसी आदमी पर लगें साधारण से आदमी पर भी तो वह मारे शर्म के वैसे ही उधर जाने का नाम न ले। तो वे तो साधारण आदमी से ऊपर हैं उनको ये कुर्सियां छोड़ देनी चाहिये।

(हंसी)

(श्री मदनसिंह दांता)

पर मैं देख रहा हूं वे चिपके हुए हैं उन पर, छोड़ेंगे नहीं। अगर उपाध्यक्ष महोदय, हम उनको मांगें तब तो शायद इन कुर्सियों को वे न दे सकें, यह हमारी समझ में आ सकता है क्योंकि विरोधी दल वाले शायद उनके सिद्धान्तों के खिलाफ अपने विचार रखते हों, पर कम से कम उनके सिद्धान्तों के पक्ष में चलने वाले, उनके सिद्धान्तों के अनुरूप विचार रखने वाले जो ११६ आदमी हैं उनमें क्या दूसरे ऐसे आदमी नहीं मिल सकते जो उन कुर्सियों को सम्भाल सकें, जैसे पहले पालीवालजी थे। उन्होंने कहा, अच्छा भाई तुम कांग्रेस पार्टी नहीं चाहते हो तो मैं जाता हूं, तुम्हें राज्य देता हूं। ऐसे ही माननीय व्यासजी ने छोड़ दी। पर ये तो इतने चिपक गये हैं कि छोड़ते ही नहीं। पर इसका कारण यह है कि कोई न कोई मोटा घोटाला है। उन्हें डर यह है कि कहीं दूसरा आ गया तो हम उम्र भर इन घोटालों के चक्कर से बाहर नहीं जा सकते। इसलिये इस मोटे घोटाले की सफाई नहीं होगी तब तक कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। पर मैं विश्वास करता हूं कि आज जैसा ही आदर्श कांग्रेस में रहा तो ये कुर्सियां उनकी जल्दी ही जाने वाली हैं क्योंकि लंका में भी ऐसी ही चीज हुई थी।

(हंसी)

लंका के अन्दर ऐसा विश्वास हो गया था, लंका के राजा को कि मेरे पास सोना है, मेरे पास बड़ी बड़ी फौजे हैं, मेरे पास बड़े बड़े सी० आई० डी० हैं, मेरा इतना तेज है कि मुझे कोई नहीं यहां से टाल सकता। भगवान राम तब तक इन्तजार करते रहे, तब तक देखते रहे जब तक कि उनको सारी बातें लंका के ही आदमियों से मालूम नहीं हो गई। वे कहते थे कि लोग कहते हैं लंका में यह अन्याय है, यह अत्याचार है; यह है, वह है पर सही चीज मानूं कैसे ? लंका का तो एक भी आदमी आकर नहीं कहता। ये तो हमारे पक्ष वाले कहते हैं। तो उसी प्रकार आज मैं मानूंगा कि वाकई में उसी माफिक आज हमारे यहां जिक्र हो गया है कि निश्चय हो होगया है जिससे हमें कि कांग्रेस में जो लोग कहते हैं,

(हंसी अट्टहास)

वह खराबी बिल्कुल ठीक है और आज जो चीजें उन लोगों ने कही वे अन्तःकरण से कहीं और मैं विश्वास दिलाता हूं कि कांग्रेस के सदस्यों ने सही रूप से हमें ज्ञान करवाया है कि वाकई में कांग्रेस में आज तक अन्याय और जुल्म होता रहा, भ्रष्टाचार पनपता रहा। मैं इस चीज को भी बता दूंगा कि आज तक इसका लोगों को पता नहीं था, अन्यथा शायद ये कुर्सियां कभी की उछल जातीं। पर हमें आज यह मालूम हो गया, जिसका सुबूत उधर के कुछ माननीय सदस्य भी थे जिनको बुरा लग रहा था जब पालीवालजी फरमा रहे थे।

(हंसी)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विषयान्तर हो रहे हैं।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : (जारी) तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो यही चाहता हूं कि ऐसी सरकार जो मार्च के अन्दर बजट रखकर अपनी बागडोर संभालना चाहती है, उस सरकार में तो कम से कम ऐसे हमारे वयोवृद्ध वित्तमंत्री जी को नहीं रहना चाहिये क्योंकि रोज की रोज ऐसे फजीते होते हैं। मैंने पहले भी कहा था और शायद आपको याद भी हो कि बेवकूफ जिन्दा रहे तो

(श्री मदनसिंह दांता)

बेवकूफ होते ही रहेंगे। इस फजीती को तो मैं नरक कुण्ड से भी अच्छा समझता हूं और आपको आशीर्वाद देता हूं कि आप ऐसे ही कायम रहें क्योंकि मेरा लक्ष्य तो वही है कि जैसे कहावत है कि ज्यों ज्यों बुराई करोगे जल्दी जल्दी खातमा होगा। जो कुछ मेरे भाव थे उपाध्यक्ष महोदय, वह मैंने निवेदन कर दिये।

श्री उपाध्यक्ष : Shri Nagar, from Mawli Constituency.

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : उपाध्यक्ष महोदय, जो बजट इस वर्ष के लिए सदन में वित्त मन्त्री महोदय की ओर से रखा गया है और उसको रखते समय वित्त मन्त्री महोदय ने जो सार गर्भित भाषण इस सदन में दिया उसे मैंने बहुत दिलचस्पी से पढ़ा। पहली बात तो मैं यह कहना चाहता हूं कि वित्त मंत्री महोदय ने बड़ी शांति से और बिना किसी भावुकता के उसी प्रकार अपना भाषण पढ़ा जैसे कोई बहुत अच्छे अंकों के गुणन का अनुभवी व्यक्ति अपने सारे तख्मीने को सामने रखता है। इस बजट के रखते समय वित्त मन्त्री महोदय ने हृदयोद्गार के रूप में कुछ तथ्य रखे हैं। इन तमाम तथ्यों को, इस भूमिका के सार को कुल मिलाकर देखें तो इस बजट के अपनी दृष्टि से दो बड़े पहलू हैं। एक पहलू तो यह है कि वृहत् राजस्थान के निर्माण से आज दिन तक राजस्थान राज्य की आर्थिक-नीति, उसकी आर्थिक सम्पदा और आर्थिक सम्पदा को संतुलित करने का स्रोत धीरे धीरे कई कठिनाइयों को सहते हुए हम आज की परिस्थिति में पहुंचे हैं और इस बजट का दूसरा पहलू जैसा कि वित्त मन्त्री महोदय ने स्वयं स्वीकार कर लिया है कि हमारी द्वितीय पंचवर्षीय आयोजना के चालू काम हैं उन कामों को आगे बढ़ाने का पहलू है। इसलिए इस बजट पर विचार करते समय हमें इन दोनों पहलुओं पर अलग-अलग विचार करना पड़ेगा। उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री महोदय ने यह कहा है और मैं उन्हीं के शब्दों को दोहराना चाहता हूं कि यह चालू वर्ष का बजट कार्यक्रमों का बजट है। उन्होंने लिखा है यह कि द्वितीय पंचवर्षीय आयोजना के तीसरे वर्ष के कार्यक्रम का बजट है जो कि हम यह प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं अपने माननीय वित्त मन्त्री जी से कहूं कि इस द्वितीय पंचवर्षीय बचत का आयोजना के तीसरे वर्ष के बजट को बजट बनाकर रखना, मैं समझता हूं कि किसी तरह से भी उचित नहीं है। मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि पिछड़े हुए राज्य में जहां कि विकास के लिए काफी गुंजाइश है, जहां सैकड़ों और लाखों की जनता की मांग है और हर क्षेत्र में मांग है और वह रोज़मर्रा हमारे सामने आती है, वहां भावुकतावश बचत का बजट रखना, मैं मानता हूं कि आज के जनतंत्रीय समाज के विकास की अन्तर्भूत भावना को लेकर कुछ घाटा बर्दाश्त कर भी लें तो कोई बात नहीं है। इससे हमारे समाज का अधिक विकास होगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक परम्परा हमारे देश में कुछ वर्षों से चली आ रही है कि बचत का बजट, यानी मुनाफे का बजट रखना वित्त मंत्री के बड़े शान की बात है। लेकिन इस मनोवृत्ति को बदलना होगा। मैं यह मानता हूं कि हमारे देश में आज ही नहीं बल्कि आनेवाली आधी शताब्दी तक, आज से कहीं अधिक घाटे का बजट रखना पड़ेगा। क्योंकि भारतवर्ष की जनता, जिसमें राजस्थान की जनता भी आ जाती है,

Page No.79

(श्री जनार्दनराय नागर)

को अपने जीवन के विकास के लिए काफी मंजिलें पार करनी पड़ेंगी। अभी तो इस दिशा में राजस्थान ने प्रारम्भ मात्र किया है। मुझे याद है कि वृहत्तर राजस्थान के पहले के दो वर्षों में यह राज्य की मनोवृत्ति रही है कि बराबर राहत का और बचत का बजट रखा गया है। पहला बजट जब वृहत्तर राजस्थान के समय रखा गया तो उसमें ३० लाख रुपयों की बचत बताई गई और उसके दूसरी साल ७ लाख का सर्प्लस बताया गया। लेकिन सन् १९५१ में जाते जाते हमारे सामने पहली बार घाटे का बजट आया और उस समय मुझे याद है कि करीब ३३॥ करोड़ का घाटा रहा और फिर इसके बाद में देखा गया कि आगे आने वाले दो-तीन साल में बराबर घाटे के बजट हमारे सामने आते रहे। एक बात है कि घाटे के बजट के साथ-साथ राज्य के निर्माण करने की क्षमता में विकास हुआ है। तब एकायक हमारे सामने यह राहत का बजट १६ लाख का है या कितना है पूरी तरह से याद नहीं है, मगर यह राहत का बजट रखना इस बात को स्पष्ट करता है कि यह द्वितीय पंचवर्षीय आयोजना का तीसरा वर्ष या तो एक जमा हुआ वर्ष है या फिर उसके अन्दर गत्यात्मकता है या जो मांगें पूरी होने चाहिए थीं, उन मांगों की जो अंतर्भावना थी उसको हमारे वित्त मंत्री महोदय ने नहीं समझा है। मैं कहता हूं कि यह बजट रखने से पहले यह सोचना चाहिए था कि बचत का बजट इस सदन के अन्दर रखने से एक थोड़ी सी भावुकता का श्रेय प्राप्त हो कि बचत का बजट है या एक संतुलित बजट को रखने की कोशिश की है। लेकिन यह भी ध्यान में रखना चाहिए था कि इसका असर आम जनता पर यह पड़ेगा कि आज हम द्वितीय पंचवर्षीय आयोजना के तीसरे वर्ष में बचत की बात सोच रहे हैं, हम संतुलित बजट की बात सोच रहे हैं। मैं कहता हूं कि यदि तीसरे वर्ष में काफी घाटे का बजट रखा होता तो अधिक उपयुक्त होता। यदि हमारे वित्त मंत्रालय को द्वितीय पंचवर्षीय आयोजना के तीसरे वर्ष में समाज को समाजवाद के लक्ष्य की ओर बढ़ाना है तो मैं दुर्भाग्य से हमारे वित्त मंत्री महोदय को इस थोड़ी सी राहत के लिए कोई अभिनन्दन देने की परिस्थिति में नहीं हूं। मैं यह मानता हूं कि यह जो बचत दिखाई है उसके कई कारण हैं। इन दिनों चूंकि थोड़ा बहुत मेरा काम करने का इत्तफाक हुआ है इसलिए मेरी मान्यता यह है और मैं गलत हो सकता हूं लेकिन बजट में इन आंकड़ों के परोसने में और यह बजट ही सदन मंजूर कर लेता है तो उसको कार्यान्वित करने में बहुत डर है।

मैं ठीक कहता हूं कि जिस मद में हम रुपया रखते हैं यह पूरे समय में पूरा रुपया खर्च होगा या नहीं, इसका बड़ा भारी डर है। एक बड़ा अहम सवाल है और वह अहम सवाल उपाध्यक्ष महोदय, यह है कि जब हम बजट की मद यहां पर पेश करते हैं जब एक सम्पूर्ण बजट स्वीकार करके सरकार को देते हैं तो इसलिए देते हैं कि वह वर्ष के अन्दर अन्दर बराबर खर्च हो, ठीक तरह से खर्च हो, समय पर खर्च हो और जो काम हमारे यहां पर बजट के आंकड़ों के जरिये करने को मंजूर किये हैं वह वर्ष के अन्दर अन्दर पूरे हों और जितना मद में रुपया स्वीकार हुआ है वह खर्च हो। लेकिन जहां तक मेरा व्यक्तिगत अनुभव है मुझे ऐसा लगता है कि आज एक विराट परम्परा बन गई है कि यह जो स्वीकृत धनराशि है अमुक अमुक मद में वह एक

(श्री जनार्दनराय नागर)

साल में खर्च करना नामुमकिन है । इसलिए काफी रुपया हमारा प्रतिवर्ष या तो बिना खर्च हुए रह जाता है या वह खर्च करने की रकम की मंजूरी ही नहीं होती । इसलिए हमें देखना पड़ेगा कि जो राह यहां बता रहे हैं वह ठीक है या नहीं या वह केवल एक सूझन ही है । इसलिए होना यह चाहिए कि स्वीकृत बजट के अलग अलग मद से खर्च करने की धनराशि की स्वीकृति ठीक समय पर देते रहें । गतवर्ष बजट पास किया लेकिन आज भी आज मार्च की १३ तारीख है और कई महत्वपूर्ण मदें हैं जिनमें जो रकम स्वीकृत होनी चाहिए वह नहीं हुई है । इसलिए मेरा अनुभव यह रहा है कि काफी रुपया उन मदों का बच जाता है जिसकी स्वीकृति समय पर नहीं दे सकते । काफी रुपया ऐसा होता है, हर विभाग में यदि इसका अध्ययन करें और माननीय वित्त मंत्री महोदय अपनी अलग अलग स्वीकृत मदों के रुपयों को देखें तो उनको यह पता लगेगा कि प्रतिवर्ष वन विभाग में काफी रुपया देना होता है वह लैप्स हो जाता है ।

तो हमारे सामने सबसे पहले सवाल यह है कि बजट के जो आंकड़े हमारे सामने रखे जाते हैं, जैसा कि मेरे माननीय मित्र पालीवालजी ने कहा, वह उत्साहजनक है, आकर्षण करने वाले हैं । लेकिन एक कसौटी बिल्कुल साफ है कि आप उस वर्ष में उसको खर्च कर सकते हैं या नहीं ? जब इस सवाल पर हम आते हैं तब हमारे सामने पहला प्रश्न यह आता है कि बृहत् राजस्थान के निर्माण के साथ साथ राजतन्त्र में काम करने की क्षमता का विकास कितना हुआ ? आज ८ या १० वर्ष में राजस्थान जैसे संश्लिष्ट, कई विभिन्न प्रकार की मनोवृत्तियों के समुच्चय का प्रदेश मानकर चलें, तो राजतन्त्र की क्षमता में बृहत् राजस्थान के निर्माण के साथ साथ उस स्तर पर कोई विकास हो जायगा तो मैं समझता हूं कि चाहते हुए भी हम ऐसी बात सोचेंगे तो मैं कहता हूं कि अन्त में जाकर हमें निराशा उत्पन्न करेंगे । तो मैं यह मानता हूं कि इस समस्या के साथ साथ यह भी देखना पड़ेगा कि राजतन्त्र में खर्च करने की शक्ति में विकास हुआ या नहीं ? यदि वह क्रमशः विकास होता जा रहा है आज वह समय आ गया है कि हमारी राज्य सरकार को निश्चित् रूप से विचार करना चाहिए कि जो रुपया वह खर्च करने के लिये मांगते हैं और हम देते हैं उतना वह उस साल में करेंगे । यदि कोई अव्यवस्था हुई, कोई प्रमाद हुआ, कोई आलस्य हुआ, कोई ऐसी बात हुई, जिसकी वजह से हमें मालूम हुआ कि हुकूमत ठीक तरह से काम नहीं कर रही है, समय पर निर्णय नहीं लेती है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तीन वर्ष समाप्त होने वाले हैं । जिस लक्ष्य को लेकर हम प्रति वर्ष पैसा रखते हैं और खर्च करना चाहते हैं उस लक्ष्य में हम आगे जाने वाले नहीं हैं । इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा वित्त मंत्री महोदय से साफ करना चाहता हूं कि वित्त मंत्रालय को दुराहों और दौरों को मेहरबानी करके कम करें । मैं यह समझता हूं कि प्रशासनिकता में कागज़ को निकालने की प्रणाली एक दम दूषित है । मैं यह कहता हूँ कि यह प्रणाली ऐसी जम गई है कि इसमें गति नहीं है । उपाध्याक्ष महोदय, मैं यह मानता हूं कि इसमें आमूल-चूल परिवर्तन होने की बहुत आवश्यकता है ।

वित्त मंत्री महोदय, उत्साह के साथ आंकड़े रखते हैं, हम उन्हें मन्जूर करते हैं, लेकिन जब वर्ष का अन्त हो जाता है तो पता लगता है कि बहुत से सरकारी निर्णय जो

(श्री जनार्दनराय नागर)

कि अप्रेल में हो जाने चाहिए वे मार्च के अन्त तक नहीं हो पाते हैं । मैं एक हितैषी मित्र के नाते वित्त मन्त्री महोदय से कहना चाहता हूं कि वित्त मंत्रालय में जो दकिया-नूसी हैं उस दकियानूसी को वे महरबानी करके दूसरी पंचवर्षीय योजना के तृतीय वर्ष के प्रारम्भ में दूर कर दें । एक प्रतिष्ठा का सवाल, एक प्रतिष्ठा का प्रश्न वित्त मंत्रालय में जाग्रत हो गया है । मालूम होता है, उपाध्यक्ष महोदय, कि कुछ बातें ऐसी हमें अंग्रेजी राज-तन्त्र से विरासत में मिली हैं, मैं मानता हूं कि विकासोन्मुख जनतन्त्रीय समाज और तन्त्र में इन बातों को जो साम्राज्यवाद को चलाने के लिए जरूरी समझी गईं, कागज़ों के ऊपर नोट लगाने के रूप में, कागज़ों को डिले करने के रूप में कागजों को फीते के रूप में, कागज़ों को दूसरे स्तर के रूप में, मैं समझता हूं आज आव-श्यकता नहीं है । हमने बजट के अन्दर एक मद स्वीकार की, १,२ या ५ लाख की, की हो, उस मद के अनुकूल तुरत-फुरत काम करने में सरकार को क्या एतराज हो सकता है ? उपाध्यक्ष महोदय, यह मेरी समझ में नहीं आता है । होता यह है कि आप एक बजट पास करके देते हैं । विभाग का संलग्न सचिव उसके टुकड़े टुकड़े बनाता है, हर मद के अनुकूल और टुकड़े बनाने के बाद अनुभव यह होता है कि वह जाता है वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के पास में, वहां जाकर वह फैसला लेने लगते हैं, वहां जाकर वे निर्णय देने लगते हैं । हर मद पर वे कहते हैं कि यह आवश्यक है या नहीं । तो मैं मान सकता हूं कि असेम्बली के द्वारा जो बजट स्वीकृत होता है, आप ठीक तौर से मदों को सोच-समझ कर इस बजट के अन्दर मन्जूर करते हैं तो मैं मानता हूं कि वित्त मन्त्रालय के अधिकारियों को उन मदों के अनुकूल निश्चित् रूप से रुपया देना चाहिए । यह मैं दो-चार मदों की बात नहीं कर रहा हूं । कुल मिलाकर समस्या यह है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का यह तीसरा साल आरम्भ हो रहा है और मैं कहना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि यह तीसरा साल हमारी कसौटी का साल है जैसा कि हमारे वित्त मंत्री महोदय ने कहा कि समाजवादी समाज की ओर राजस्थान के समाज को इस बजट के जरिये और आगे ले जाना चाहते हैं । मैं उनकी बात से सहमत हूं । वह कदम आगे कैसे ले जायेंगे ? आज कोई कहे बजट की फिलॉसफी को सामने रखकर आदर्शवादी भूमिका लिखें कि राजस्थान के समाज को आगे ले जायेंगे समाजवादी समाज की ओर, तो मैं कहता हूं कि वह मन में असंतोष की बात होगी । आज हमारी कसौटी बदल गई है । अगर हम इन दो-तीन बातों को भूल जाते हैं, पहली तो यह कि आज हम निर्माण के संघर्ष में पड़े हुए हैं । आज हर बात की कीमत और हर बात की कसौटी यही है कि आप और हम जो जिम्मेदारी लेकर बैठे हैं उससे हर दिन, हर कदम निर्माण के काम में आगे कैसे बढ़ रहे हैं ? अमेरिका के एक कवि का एक उदाहरण मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, वह कहता है कि हजारों, लाखों, और करोड़ों भाषण देने वाले की अपेक्षा एक व्यक्ति जो एक गेहूं की बाली उगाता है वह कहीं ज्यादा मानवता की सेवा करता है ।

आज हम राजस्थान के निर्माण के लिए पंचवर्षीय योजनाएं, विपुल पंचवर्षीय योजनाओं को लेकर चल रहे हैं तो आज तो सारी बातें कतई एक ही कसौटी पर आकर कसी जा सकती हैं कि आप और हम समय

(श्री जनार्दनराय नागर)

में कितना काम कर लेना चाहते हैं और करते हैं। मैं यह मानता हूं कि बजट के आंकड़े संतोषप्रद हैं, उनमें कोई बहस की बात नहीं है। मैं यह समझता हूं और सब भी यह मानेंगे कि राजस्थान की द्वितीय पंचवर्षीय योजना का खाका, नक्शा, बहुत अच्छा है, पहली पंचवर्षीय योजना में आप लोगों को मालूम होगा कि कितना पैसा था और दूसरी पंचवर्षीय योजना में कितना है। मैं यह मानता हूं कि सन् ५७–५८ में हमने २६ लाख रुपया खर्च किया है, मैं स्मृति से कह रहा हूं, इस वर्ष ३० लाख रुपया खर्च करना चाहते हैं विकास के कामों में। तो जाहिर बात है कि सन् ५२, ५३, व ५४ के अन्दर लगातार धीरे धीरे, मैं समझता हूं कार्य करने की शक्ति और अधिक रुपया खर्च करने की शक्ति बढ़ी। आज मेरी समझ में आता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तृतीय वर्ष में राज्य सरकार गत वर्ष से ज्यादा रुपया इस वर्ष खर्च करना चाहती है। तभी मैं सवाल यह उठाना चाहता हूं कि अब इसके साथ साथ राज्य सरकार यह निर्णय कर ले कि आपके विभागों में, आपके मंत्रालयों में जो रात दिन यह कागज़ पड़े रहते हैं, समय पर जो निर्णय नहीं होते हैं, समय पर स्वीकृति नहीं करते हैं, इस बात को निश्चित रूप से हमारी सरकार को दूर करने के लिए प्रभावशाली कदम उठाने चाहिएँ। मेरी बात का बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है हमारे वित्त मंत्री महोदय के लिए मैं यह कहना चाहता हूं, उनके हित में यह बात उनके सामने रखना चाहता हूं कि आपने बड़ी मेहनत और तबियत से लाखों करोड़ों रुपये बजट में रखे है, हम लोग जो अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों से आये हैं अपने अपने क्षेत्रों में जाकर उम्मीद के साथ कहेंगे कि अमुक सड़कें बनेंगी या अमुक बांध बनेगा, लेकिन जब हम देखते हैं कि उनकी स्वीकृति ही नहीं हुई है, कहीं टाइप राइटर के किसी फीते में कागज़ चल रहे हैं तो जाकर बड़ी निराशा होती है। मैं समझता हूं कि कुछ ऐसे अवसर थे कि यह बात चली राजस्थान के अन्दर। अब वह अवसर नहीं है कि इस बात को अधिक देर तक चलने दें। यह बात चाहे कटु लगे, लेकिन मैं मानता हूं कि उनके हित में कहा गया यह कडुवापन भी उनको हित में मानना चाहिए। मैं एक बात और विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि सरकारी तन्त्र की कुशलता का मापदण्ड होना चाहिए। क्या मायने हैं कि एक दो वर्ष तक कागज़ नहीं निकलते हैं। यह मामूली सी हालत नहीं है। ऐसा मालूम होता है कि यह स्वाभाविक-सा माना जा चुका है। आज यह कहा जाता है कि अगर कोई ६ महीने में कागज निकल जाता है तो जल्दी ही कागज निकला है। मैं समझता हूं कि इस बात से हमारे विकास में बहुत बड़ा रोड़ा है। इसीलिए मैं इतने जोर से और साथ ही यह मान कर कि मेरी बात कड़वी लगती है, मैंने कड़वी बात कहने का फैसला किया है। बजट में प्रस्तुत आंकड़ों से मुझे निराशा यही है कि निर्णय लेने की देरी। बराबर कागज़ चलते हैं, उसको यदि हुकूमत निर्मूल नहीं करना चाहती है, कुछ ऐसे कदम नहीं लेते हैं, कुछ ऐसे तौर-तरीके प्रारम्भ नहीं करती है तो मैं कहना चाहता हू कि यह जो व्यापक निराशा का प्रश्न धीरे २ हम लोगों में अनायास बिना कारण के घर करता चला जा रहा है उसे अनायास ही, मैं समझता हूं, क्रान्तिपूर्ण प्रोत्साहन मिलेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि बजट हमसे चाहे

(श्री जनार्दनराय नागर)

जितना मंजूर करवा लें, चाहे घाटे का बजट रखें लाभ न रखें, लेकिन आप आश्वस्त कर दीजिए कि जो काम आप करने वाले हैं उसको आगामी वर्ष में पूरा करेंगे और अनुकूल काम करेंगे।

अब इस बजट के इर्द-गिर्द कुछ नई शक्तियें राज्य के आर्थिक क्षेत्र के विकास में लक्षित होती हैं। सब से पहली यह है कि द्वितीय फाइनेन्स कमीशन ने हमारे लिए सिफारिश की है और उन्हीं की वजह से राजकीय आर्थिक हालत में, वित्तीय स्थिति में काफी प्रोत्साहन मिला है और वित्त मंत्रीजी ने अपने भाषण में कमीशन के अध्यक्ष को धन्यवाद दिया है। धन्यवाद क्यों दिया गया है यह समझ में नहीं आता। जो कमीशन कायम हुआ है उसने स्मृति पत्र को ध्यान में रखते हुए अपने कर्त्तव्य को सामने रख कर जिम्मेदारी के साथ हमारी कठिनाइयों को दूर करने के बारे में यदि ठीक निर्णय दिया है तो उसमें चेयरमेन महोदय को धन्यवाद देने की बात कहां से आती है? भारत सरकार ने कमीशन स्थापित किया था। उसका काम था कि यहां आकर राज्य की वित्तीय स्थिति की जांच करें। फिर भी सहृदयता की दृष्टि से धन्यवाद दिया है वह ठीक है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि स्मृति पत्र के जरिये शायद एक बात कमीशन के सामने नहीं रखी गई है उसका काफी भार राजस्थान के वित्तीय कंधों पर पड़ रहा है और वह यह है कि हम भारतीय गणराज्य के सबसे बड़ी सीमा की रक्षा करते हैं। भारत पाकिस्तान की सीमा सर्व विदित है, ७०० मील लम्बी है। उसकी रक्षा और खर्चे का सवाल राज्य सरकार और भारत सरकार के बीच चल रहा है। मेरी समझ में नहीं आता कि द्वितीय फाइनेन्स कमीशन के सामने यह मुद्दा उठाया क्यों नहीं गया? हम पौन करोड़ रुपया इस पर खर्च करते हैं। सबसे बड़ी भारतीय सीमा राजस्थान की है। आसाम और बम्बई की, भारत और पाकिस्तान की सीमा की रक्षा के लिए खर्चे की व्यवस्था भारत सरकार करती है। तो मेरी समझ में नहीं आता कि ७०० मील लंबी सीमा की रक्षा करने का व्यय भारत सरकार राजस्थान सरकार को क्यों नहीं देती? राजकीय सरकार इस केस को जितने जोर से भारत सरकार के सामने रखना चाहती है उतने जोर से रखना चाहिए। यदि रख दिया होता तो हमारे सामने वित्त मंत्रीजी के भाषण में इंगित होता। आप ख्याल करिये कि पौन करोड़ रुपया हमको इस पर खर्च करना पड़ता है। मैं यह मानता हूं कि राजस्थान की अंतर्भूत क्षमता नहीं है कि इतना बड़ा भार बर्दाश्त कर सके। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि वे इस मामले में भारत सरकार से मांग करें। यह ऐसा खर्चा है जिसको हम कर रहे हैं और करना पड़ता है लेकिन सही बात यह है कि यह खर्चा भारत सरकार को करना चाहिए।

आसाम की सीमा राजस्थान की तुलना में पाकिस्तान की सीमा से कम मिली हुई है। बम्बई की सीमा भी राजस्थान की सीमा की तुलना में बहुत कम है लेकिन वहां पर भारत सरकार उनकी मदद करती है, लेकिन हमको खुद को यह खर्चा करना पड़ता है। इसके लिए हमको प्रतिवर्ष १ करोड़ रुपयों का टैक्स लगाना पड़ता है, हम दूसरी रियासतों से पिछड़े हुए भी हैं और हमारी सीमा लंबाई-चौड़ाई में भी बहुत अधिक है। इतना होते हुए भी ७०,७५ लाख रुपयों में हम किस प्रकार इस सीमा की रक्षा ठीक तरह से कर सकते हैं? यह जिम्मेदारी भारत सरकार की है और हमें गंभीरता पूर्वक भारत सरकार से

(श्री जनार्दनराय नागर)

कहना चाहिए कि यह भार हमारे कंधों पर डाला जा रहा है या डाल रखा है उसमें कमी होनी चाहिए। लेकिन इस कमी के बावजूद भी मैं कहना चाहता हूं कि द्वितीय फाइनेन्स कमीशन की सिफारिश से राजस्थान के वित्तीय क्षेत्र को काफी मदद मिली है और यही कारण है कि आज लाभ का बजट हमारे सामने रखा गया है। अजमेर के लिए पहले ६०.६५ लाख रुपए मिला करते थे लेकिन एडहोकबेसिस पर हमको उसके लिए ३० लाख रुपए मिले हैं। मैं, इस प्रवृत्ति से सहमत नहीं होते हुए भी अपनी सहमति मिला देता हूँ लेकिन अजमेर की वजह से और दो-तीन दूसरी समस्याओं की वजह से जो दबाव हमारी वित्तीय स्थिति पर बढ़ रहा है वह धीरे धीरे द्वितीय फाइनेन्स कमीशन की सिफारिश से कम होगा ऐसी आशा करनी चाहिये।

सारे बजट को सरसरी तौर से देखने पर मुझे लगा कि यह विस्तृत बजट है और द्वितीय पंच वर्षीय योजना के द्वितीय साल के बचे हुए कामों को प्रारम्भ रखना पड़ेगा और कुछ नये काम इस वर्ष में शुरू करने का यह बजट है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि इस वर्ष नये कितने काम लिये गये? मेरा अन्दाज है कि नये बहुत कम काम लिये गये। ज्यादातर द्वितीय वर्ष के जो काम हैं उन्हीं को जारी रखा गया है और यह स्वाभाविक है क्योंकि आज आयोजन के पहले वर्ष को दूसरे वर्ष से अलग नहीं कर सकते और दूसरे वर्ष को तीसरे वर्ष अलग नहीं कर सकते और मेरी तो मान्यता बढ़ती जा रही है कि जिसप्रकार का ढांचा राजस्थान में द्वितीय पंच वर्षीय योजना का बना उसको देखते हुए जो रुपये रखे जायेंगे वे कम से कम होते जायेंगे और हमारी जो स्थिति है उसके अनुसार मान्यता यह है कि आज ३०-३५ लाख रुपयों के नये काम रखे गये हैं तो आगामी वर्ष में इस रकम में भी कमी करेंगे। इस आश्चर्यजनक चीज को देखते हुए राज्य सरकार का एक निश्चय मालूम होता है दूसरे वर्ष में यदि हमने २२ करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया था उससे कम खर्च कर पाये। इस वर्ष जितना लक्ष्य रखा है उसकी पूर्ति इस वर्ष करना चाहते हैं।

एक बात बताई गई है कि द्वितीय पंच वर्षीय आयोजना के कार्य को करने के लिये विस्तृत मशीनरी की आवश्यकता होने की वजह से कई विभागों में अतिरिक्त कर्मचारियों को रखा गया और मशीनरी को इस तरह से ढाला जा रहा है जिसकी वजह से सही तरीके से काम हो सके। मैं मानता हूं कि इसका कारण क्या है इसका विश्लेषण किया जाता तो हम अच्छी तरह से समझ सकते थे लेकिन इस विश्लेषण के अभाव में मैं मानता हूं कि पिछले चार वर्षों में राज्य के विकास क्षेत्र में भारी विकाद हुआ है। ५३-५४ के वर्ष में प्रथम पंच वर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष में २४ करोड़ में से ८, ६ करोड़ ही खर्च कर पाये थे और बाद में एक-दो साल में १५-१६ करोड़ रुपये खर्च कर सके और आज हम २० करोड़ से ऊपर औसतन प्रति वर्ष खर्च कर रहे हैं।

अब एक सवाल उठता है कि खर्चा ठीक तरह से कर रहे हैं या नहीं, उसका ठीक तरह से उपयोग हो रहा है या नहीं? मैं समझता हूं, माननीय मित्र जिन्होंने यह बात कही थी वे ज्यादा माहिर हैं। मैं इस प्रश्न को उनके लिये ही छोड़ता हूं लेकिन जब हम खर्चा करते हैं तो दो बातों का ध्यान रखना पड़ता है। एक तो यह कि वाकई जो खर्चा कर रहे हैं वह थोड़ा बहुत ठीक तरह से कर

(श्री जनार्दनराय नागर)

रहे हैं या नहीं ? हो सकता है कहीं काम नहीं हो । मैं भी पालीवालजी की तरह से शिकायत कर सकता था, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भी बहुत कम काम हुआ है । लेकिन यदि इस कसौटी पर हम चलेंगे तो भ्रम में पड़ेंगे । पहले सन् ५४ में हमारी क्या क्षमता थी और ५५ में कितना विकास हुआ और ५६ में हम कितने आगे बढ़े और ५७ में कितने बढ़े व ५८ में कितने आगे बढ़े और आज कितने आगे बढ़ते जा रहे हैं ? यह निरन्तर रूप से धीरे धीरे ही सही, लेकिन सावधानी के साथ विकसित होता मिलेगा । मैं समझता हूं यह सूक्ष्म बात है जिस पर मैं मानता हूं हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिये । मैं राज्य सरकार को इस मामले में मुबारकबाद देना चाहता हूं कि धीरे धीरे पंचवर्षीय योजना को सफल करने की एक शक्ति राज्य में थी उसको सरकार ने विकसित किया है । यह दूसरी बात है कि पंचवर्षीय योजना के बहुत सारे काम जो समय में होने चाहिए थे, वे नहीं हो सके । मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं उनमें अब जल्दी की जाती है । यदि किन्हीं जगहों में काम नहीं हो पा रहा है तो इस मामले में बैठ कर विचार किया जा सकता है । उपाध्यक्ष महोदय, हमारे राज्य का दूसरा पंचवर्षीय आयोजन है, वह आयोजन लघु और मध्यम कामों का नहीं है, वह कुल मिला कर राजस्थान के वृहत् कामों का है, दूसरे पंचवर्षीय आयोजन में कई वृहत् काम हैं । मेरी दृष्टि से दूसरे पंचवर्षीय आयोजन में एक कमी रह गई है और वह यह है कि आप पहले वृहत् कामों का एक आयोजन बनाते हैं और लघु कामों को भूल जाते हैं, इसका असर रात दिन के व्यावहारिक अनुभव पर पड़ता है । हम लोग सदन के सदस्य हैं, हम जनता के द्वारा चुने गये हैं और अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्रों से आये हैं । जाहिर है, उपाध्यक्ष महोदय, यदि हम मध्य और लघु काम अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्र में दूसरी पंचवर्षीय योजना में न करवा सकते तो जाहिर बात है कि हमें चुन कर भेजने के अन्दर जो विश्वास है, जो मकसद है, उसमें बराबर कमी आयेगी । राज्य के प्लान का वैज्ञानिक आधार मैं यह मानता हूं कि लघु काम, मध्यम काम और वृहत् काम में एक प्रकार की अन्विति होनी चाहिए, एक गति होनी चाहिए, समन्वय होना चाहिए लेकिन पंचवर्षीय योजना में वृहत् कामों के लिए काफी रुपया दिया गया है । अब दो दृष्टिकोण हो सकते हैं; एक दृष्टिकोण से तो कह सकते हैं कि मध्य और लघु कामों के लिए रुपया नहीं दिया गया और दूसरे दृष्टिकोण से कह सकते हैं कि आखिर राज्य में काम करके अन्य राज्यों के स्तर पर राजस्थान के स्तर को लाने के लिए वृहत् काम भी जरूरी है...

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य से आशा करता हूं कि वे दूसरे वक्ताओं के लिए भी कुछ समय रखेंगे ।

श्री जनार्दनराय नागर : आपकी आज्ञा हो तो बैठ सकता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : ऐसा नहीं है । मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, बैठने के लिये नहीं कह रहा हूं ।

श्री जनार्दनराय नागर : मैं महसूस करता हूं कि जब भी मैं बोलने के लिए खड़ा होता हूं तो समय की पाबन्दी मेरे ऊपर होती है ।

श्री उपाध्यक्ष : दुर्भाग्य से मैं ही उस समय आसन पर रहता हूं ।

(हंसी)

Page No.86

श्री भैरोंसिंह : माननीय उपाध्यक्ष, यह चेअर के ऊपर एक प्रकार का आक्रमण है, इसलिए माननीय सदस्य को चाहिए कि...

श्री उपाध्यक्ष : आक्रमण नहीं है, सीधा रास्ता बताया गया है । आप आरम्भ रखिये ।

श्री जनार्दनराय नागर : अब मैं भूल गया हूं उपाध्यक्ष महोदय....

(हंसी)

श्री उपाध्यक्ष : छोटे और बड़े कामों पर विचार हो रहा था, लघु और मध्यम कामों के बारे में । आप बोलना चाहते थे ।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : मैं मानता हूं राजस्थान की पंचवर्षीय योजना हर दृष्टिकोण से बनाई जानी चाहिए थी । एक ओर उसमें लघु स्तर होना चाहिए था, ऊपर से मध्यम कामों का स्तर जमना चाहिए था और ऊपर वृहत् कामों के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए थी लेकिन मैं मानता हूं दूसरे पंचवर्षीय आयोजन में वृहतर कामों का ही आयोजन है । ठीक है, इससे हम लोगों के दिल में थोड़ी कशिश रह जायगी, लेकिन हमें उसे सह लेना चाहिए क्योंकि हमें खुशी इस बात की है कि इधर चम्बल योजना है, उधर राजस्थान केनाल है, इधर यह है, उधर वह है ।

(हंसी)

पानी की धारा का अभी सही उपयोग नहीं हो रहा है, इस वजह से आधारभूत समस्या अभी हमारी समस्या है और राजस्थान आज गुलजार नहीं है लेकिन आनेवाले दिनों में पानी की धारा का उपयोग होने वाला है, उसे मैं देख रहा हूं उपाध्यक्ष महोदय । राजस्थान केनाल का काम, मैं समझता हूं, शुरू हो गया है और दूसरी पंचवर्षीय योजना में इसके लिए २२ करोड़ रुपया सरकार खर्च करेगी और कुल मिलाकर ६६ करोड़ रुपया खर्च होगा । इधर चम्बल का काम चल रहा है । मैं समझता हूं कि राजस्थान एक बड़ा राज्य है और इसमें जो नदियां हैं, उन्होंने राजस्थान की भूमि को सदियों से सींचा है और राजस्थान के अन्दर प्रेम और स्नेह से जीवन में उत्साह भरा है । मैं समझता हूं उन नदियों को शक्तिशाली करके राजस्थान में मानवता की मनोवृत्ति को गतिमय करवाने का काम शुरू हो रहा है । इसलिए जो निराशा होती है, जो चिन्ता है, वह प्यार में निराशा है........

श्री उपाध्यक्ष : मेरे रोकने से भाषण में खुशनुमापन आया है ।

श्री जनार्दनराय नागर : मैं समझता हूं यह प्रेम की निराशा है ।

हमको राज्य की जनता से प्रेम है तो कभी कभी मेरे मित्रों को निराशा हुआ करती है लेकिन निराशा की ऐसी क्या बात है ? जो नदियां सदियों से प्रवाहित होती रही हैं, उनको शक्तिशाली बना कर वारिदान का आश्वासन दिया गया है और आज समझ लीजिये, उपाध्यक्ष महोदय, जब राजस्थान केनाल बन जाती है, चम्बल प्रोजेक्ट बन जाता है, तो ख्याल कीजिये कि राजस्थान गुलशन गुलजार हो जायगा । इसलिए राजस्थान के बजट से किसी प्रकार निराश होने का प्रश्न नहीं उठता । जैसा मैंने कहा राजस्थान में मानवता है उसमें मनोवृत्ति कुछ निराश होने की है, इसका मेरे पास इलाज नहीं है । वही प्रेमग्रसित होकर निराश होगा जिसमें हौसला नहीं है, जिसमें साहस नहीं है, जिसके शरीर में स्टेमिना नहीं है, मैं कुल मिलाकर कह सकता हूं कि हमारे तीसरे वर्ष में सरकार एक निश्चय के साथ चलना चाहती है ।

(श्री जनार्दनराय नागर)

अब मैं दो एक बातों की ओर और ध्यान दिला देना चाहता हूं। एक बात तो यह है कि कुछ मदों में सरकार प्राप्ति नहीं कर सकी और इस मामले में बहुत कुछ घटती रकम सरकार के पास आई है। कुछ विभागों के द्वारा जितनी रकम सरकार प्राप्त करना चाहती थी उतनी नहीं कर सकी। मैं समझता हूं, सरकार को इस बार देखना चाहिये कि कहां क्या कारण है जिसकी वजह से वह रकम प्राप्त नहीं हुई और एक डिक्रीज़ आई। यह कह देना कि डिक्रीज़ेज़ हुई, ठीक नहीं है। मैं समझता हूं कि जिस रूप में इस भाषण में दिया गया है उससे हमें पूरा इत्मिनान नहीं होगा। आखिर जो घटौती आई, जो डिक्रीज़ेज़ आई, उनके बारे में वास्तविक कारण क्या थे? मैं चाहता हूं कि वित्तमंत्री जी थोड़ा प्रकाश डालें तो हमें इत्मिनान हो जाय। करीब ढाई करोड़ की डिक्रीज़ेज हमारे सामने रखी गई हैं। इसके मायने हैं कि १० साल के बजट में जो कूत की गई है, जो तखमीना मान लिया गया है, आवत के रूप में, या तो वह तखमीना ठीक तरह नहीं किया गया या तखमीना गलत था और तखमीने को तैयार करते समय यह नहीं सोचते कि उससे कितनी आय होगी, आवत का स्वरूप क्या होगा, कितनी आवत की सम्भावना है। मैं समझता हूँ इन चीजों को मद्दे नजर रखकर तखमीना करना पड़ेगा। मैं जानना चाहता हूं कि यह बात कहते हैं कि ढाई करोड़ की डिक्रीज़ रखी गई है, उसका क्या कारण है जिसकी वजह से यह घटौती हमारे सामने आई है; या तो जो अप्राप्त रकम थी उसको प्राप्त रकम मान लिया गया था? मैं नहीं कहता कि यह अकुशलता की वजह से हुआ है लेकिन कोई न कोई कारण होना चाहिए। या तो तखमीना उतना वैज्ञानिक आधार पर नहीं बना, या कूतने में कोई कमी बेशी रह गई, जिससे यह परिस्थिति पैदा हो गई ..

श्री तनसिंह : यह तखमीना क्या होता है?

श्री उपाध्यक्ष : आप आरम्भ रखिए, शब्द बहुत स्पष्ट है।

श्री जनार्दनराय नागर : दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इस डिक्रीज़ के साथ साथ, अप्राप्त रकम के साथ साथ हमारे विभागों के खर्चों में बढ़ोती भी हमारे सामने रखी गई है। मैं समझता हूं, एक बात इसमें बहुत दिलचस्प रखी गई है कि जो यह बढ़ौती हुई है वह गवर्नर की कार, गवर्नर के स्टॉफ आदि के कारण बढ़ौती हुई है, और भी कई चीजें हैं। मैं समझता हूं, कुल मिला कर कोई वित्तीय-कमी वास्तव में मालूम होती है, कई जगह इसमें कसर है, क्योंकि सारी चीजों को एक एक करके देखना पड़ेगा। गवर्नर की कार ..

श्री पी० के० चौधरी : On a point of order, Sir, the Hon. Member cannot refer to the Governor. It is a charged account. He cannot refer to it.

श्री तनसिंह : The words my be deleted.

श्री पी० के० चौधरी : They my be withdrawn,

श्री जनार्दनराय नागर : मैं कह रहा था....

श्री बी० एन० जोशी : Hon'ble Deputy Speaker, Sir, it is quite

(श्री बी० एन० जोशी)

inconsistent that the Head of the State or expenditure relating to him should be discussed here, and it is in the fitness of things that these words may be withdrawn.

श्री उपाध्यक्ष : My observations are that the Hon. Member will not refer to or make any observations about the Governor.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : on a point of order, Sir, the Hon. Member should be provided with a copy of the rules in order that he should read it and...

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order !! No suggestion...

श्री जनार्दनराय नागर : I am in possession of the floor of the House, Sir.

श्री तनसिंह : माननीय उपाध्यक्ष, जब आप खड़े होते हैं तो माननीय सदस्य को खड़े नहीं रहना चाहिए, यह संसदीय शिष्टाचार के विरुद्ध है।

(हंसी)

श्री जनार्दनराय नागर : मुझे अफसोस है कि मैंने गवर्नर के बारे में कुछ कहा।

श्री पी० के० चौधरी : Sir, copy of rules of the House is there. The Hon. Member should see that when somebody else is raising a point of order he should sit down...

श्री जनार्दनराय नागर : बैठ गया न भाई, अब क्या है ?

४ म० प०

श्री उपाध्यक्ष : Yes, you will continue.

श्री जनार्दनराय नागर : मुझे अफसोस है कि मैंने गवर्नर साहब का नाम ले लिया है, मेरा कहना है कि......

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : What about these words ?

श्री उपाध्यक्ष : He has expressed regret about this, and this is sufficient at this stage.

श्री जनार्दनराय नागर : एक्सपन्ज कर दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : (अश्रव्य)

श्री नरोत्तमलाल जोशी : May I draw your attention to Article 203 of the Constitution which says that discussion in the House can take place about charged account of the Head of State, but it is not voted upon. So the Hon. Member is perfectly within jurisdiction in discussing any expenses of the Governor, but the House cannot vote on it. This is the position.

श्री जनार्दनराय नागर : You have come to my rescue.

मैं यह कह रहा था उपाध्यक्ष महोदय, कि बहुत सारा खर्चा इस तरह बढ़ा कर रखा गया है कि हम राज्य सरकार से जानना चाहते हैं कि जो यह खर्चे बढ़ाये गये हैं उनके आधारभूत कारण क्या हैं ? केवल सरसरी तौर से जिक्र कर देने से उतना

(श्री जनार्दनराय नागर)

संतोष जितना हम प्राप्त करना चाहते हैं, उतना नहीं होता।

कुल मिला कर अन्त में, मैं कहना चाहता हूं कि हमारे राज्य के प्रतिवर्ष के बजट में काफी रुपया डुल जाता है, मैं वित्त मन्त्रीजी का ध्यान खास तौर से इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं, मेरी यह मान्यता है कि राज्य के बजट का बहुत सारा रुपया प्रतिवर्ष इसलिये डुल जाता है कि हम उसे खर्च नहीं कर पाते। अगर हर डिपार्टमेंट का तखमीना बनाया जाय कि प्रतिवर्ष उस डिपार्टमेंट का कितना रुपया लेप्स होता है, तो राज्य सरकार को पता चलेगा कि वह लगभग एक करोड़ रुपये की रकम होगी जो प्रतिवर्ष डुलती है, एक एक विभाग में २०—२२ लाख का लेप्स प्रतिवर्ष होता ही रहता है। हर विभाग में यदि औसतन १० लाख का लेप्स भी मान लें तो यह लेप्स की रकम ऐसी है जो हमारे लिये एक चिन्ता का विषय बन जाता है और जितना रुपया लेप्स होता है वह इस बात का प्रमाण है कि राज्य को चलाने में, शासन को सुचारु रूप से चलाने में जो कुशलता आवश्यक है उसकी कमी है, मैं इस ओर राज्य सरकार का और खास तौर से वित्त मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

इसके साथ ही साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि आर्थिक स्रोत जो हैं, उनमें फाइनेन्स कमिशन से जो हमें मदद मिली है, वहां हमने टैक्स लगाने की प्रणाली शुरू की है, और कर्जा लेने की प्रणाली शुरू की है, उससे राज्य की आय के स्रोतों में काफी विकास हुआ है। गत वर्ष यहां ८० लाख रुपया टैक्स लगाने का प्रस्ताव आया तो माननीय मित्रों को बड़ी परेशानी हुई, हमें भी थोड़ी परेशानी हुई। जितने टैक्स लगाये उनसे लक्ष्य से कम आमदनी हुई पर इससे साबित होता है कि राजस्थान की जनता पंच वर्षीय आयोजन के महत्व को समझती है, ऊपर स्तर के लोगों पर जो टैक्स लगा उससे आय हुई, उससे पंच वर्षीय आयोजन में में खर्चा किया गया उससे आम जनता पर असर पड़ा है। इस वर्ष में यों सीधी तरह से तो टैक्स का प्रस्ताव हमारे वित्त मंत्रीजी ने नहीं रखा पर टैक्स के जरिये द्वितीय पंचवर्षीय आयोजन को चलाने के लिये जो प्रणाली गत वर्ष प्रारम्भ की थी उसे जारी रखा है। हमारा द्वितीय पंच वर्षीय आयोजन में हिस्सा है कुल मिला कर २० करोड़ का, इन पांच वर्षों में भारत सरकार से हमें और अन्यान्य प्रान्तों को रुपया मिलेगा उसमें हमारा हिस्सा २० करोड़ रुपयों का है वह हमें अदा करना पड़ेगा।...

श्री तनसिंह : साहित्य अकादमी के बारे में भी कह दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : Order please! No suggestions to him. Hon'ble Member to continue the Debate.

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : तो मैं यह कह रहा था माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि इस २० करोड़ रुपये को आगामी दो–तीन वर्षों में पूरा करना है। हमें मालूम नहीं कि कितना रुपया टैक्सेज़ से वसूल किया है और कितना और सोर्सेज़ से मिला, जिससे दो साल तक पंच वर्षीय आयोजन के कार्य को चलाते रहे। पिछले दिनों थोड़े अर्से पहले हमें चिन्ता हो गई थी, हमें मालूम हुआ कि द्वितीय पंच वर्षीय आयोजन में जो निर्धारित रकम है उसमें कमी होने वाली है, तो

(श्री जनार्दनराय नागर)

उससे हमें चिन्ता हुई। जो है वह पहले से ही बहुत कम है, आखिर ६० करोड की रकम बड़ी रकम नहीं, राजस्थान जैसे बड़े प्रान्त के लिये मैं ६० करोड़ की रकम को कोई बड़ी रकम नहीं मानता, एक अरब रुपया भी अगर हमारे राजस्थान के लिये द्वितीय पंच वर्षीय आयोजन के लिये, जब कि हमारे वित मंत्रीजी ने राजस्थान को हिन्दुस्थान का दूसरा बड़ा राज्य माना है, ज्यादा नहीं है। बल्कि मेरी तो यह मान्यता है कि हमें कम रकम मिली है, हमारा प्रस्ताव था पौने दो अरब रुपये का। पर जब हमें यह मालूम हुआ कि जो रकम हमारे लिये निर्धारित की गई है उसमें भी कमी होने वाली है तो हमें बड़ी चिन्ता हुई। मैं राजस्थान सरकार से जानना चाहूंगा कि इस बारे में क्या संभावना है, बजट के रुपयों में जो चार्ज़ेज हैं, उसमें कमी की जा रही है, इसको मैं जानना चाहता हूं। यदि वित्त मंत्रीजी ने अपने भाषण में इस पर प्रकाश डाला होता तो ज्यादा अच्छा रहता।

(माननीय सदस्यों द्वारा परस्पर बातें करने पर)

श्री उपाध्यक्ष : मैं आशा रखता हूं कि आप डिस्टर्ब न करेंगे सदन को।

श्री **जनार्दनराय नागर** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसे एक महत्वपूर्ण बात मानता हूं, कई कठिनाइयों की वजह से द्वितीय पंच वर्षीय आयोजन की रकम में कमी की जा रही हैं, मैं जानना चाहता हूँ कि तीसरे वर्ष से प्रारम्भ होने वाला हमारा लक्ष्य है, उसके लिये जो खर्चा है हमको भारत सरकार से मिलने वाला है, उसमें कमी होने वाली है कि नहीं? अगर कमी होने वाली है तो क्या परिस्थिति है।...

श्री भोलानाथ (लक्ष्मणगढ़) : On a point of information, Sir, माननीय उपाध्यक्ष, क्या कल टाइम बढ़ाया जाने वाला है, और टाइम बढ़ाया जाने वाला हो तो टीक नहीं; तो टाइम में कर्टेल करके सब को बराबर मौका दिया जाय, इसमें और भी बहुत से माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं।

श्री तनसिंह : बहुत से मेम्बर बोलने के लिये खूंटे तोड़ रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मेरे ध्यान में है, किन्तु मेरे पास कोई उपाय नहीं है इसके अलावा कि संक्षेप में बोलने के लिये कहूं, to appeal to the good sense of the hon'ble members and which I have done.

श्री जनार्दनराय नागर : हमारे सामने बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं, हमारा द्वितीय पंचवर्षीय आयोजन.......

राजा श्री मानसिंह : On a point of order, Sir, you may use your discretion in placing time limit on the speeches. This is according to Rule 160 (3) of our Rules of Business.

श्री उपाध्यक्ष : I can understand this, but for those members who had spoken earlier no limit was fixed, so I do not want to fix it now at this stage. I would again appeal to the good sense of the hon'ble member if he (Shri Nagar) can concede to my request.

श्री भोलानाथ : माननीय उपाध्यक्ष, मेरी प्रार्थना दूसरी थी, एक दिन का टाइम और बढ़ा देना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : Order! Order please!!

श्री जनार्दनराय नागर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि वित्त मंत्रीजी इस बारे में हाउस को विश्वास में लें कि द्वितीय पंचवर्षीय आयोजन में हमारे लिये भारत सरकार की ओर से निर्धारित रकम में कमी होने वाली है कि नहीं !

इस बजट की दो ही कसौटियां हैं, सामाजिक सेवा और लोक कल्याण के मदों में इस बजट में कितना खर्चा किया जा रहा है ? मैं समझता हूं, गये वर्ष से अधिक रकम इस वर्ष रखी जाने वाली है और उस रकम में धीरे धीरे विकास नजर आता है। पहले पंचवर्षीय आयोजन में ७५.६०५ लाख रुपया था, इसमें २०८०५.० लाख रुपया है। करीब दूना ढाई गुना सामाजिक कार्यों और लोक कल्याण के कार्यों में सरकार की दृष्टि से खर्च किया जा रहा है।

(कुछ माननीय सदस्यों के परस्पर बात करने पर)

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order !!

श्री तनसिंह : He should have come to order when you had spoken 'order ! order !!'

श्री उपाध्यक्ष : I hope the Hon'ble member will not disturb and I also hope that Shri Nagar will now finish his speech.

श्री तनसिंह : यह बात आप पूछ लीजिये।

श्री मुक्तिलाल मोदी : माननीय उपाध्यक्ष....

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order.!!

श्री मुक्तिलाल मोदी : नहीं साहब, पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर पर अर्ज कर रहा हूं।

(अनवरत हंसी)

जब स्पीकर साहब चेयर पर थे तो मैंने निवेदन किया था कि एक दिन का टाइम और बढ़ा दीजिये। उन्होंने ऑर्डर दिया हाउस को कि एक सदस्य १५ मिनट तक बोलेंगे....

श्री उपाध्यक्ष : यह पोइन्ट ऑफ आर्डर नहीं है। माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

(श्री नागर से)

मैं फिर उम्मीद करता हूं कि आप अपने भाषण को संक्षिप्त करेंगे। yes, continue.

श्री जनार्दनराय नागर : (जारी) मैं आपसे यह निवेदन कर रहा था कि जो रुपया समाज सेवाओं तथा सार्वजनिक हित व कल्याण के विभागों पर खर्च किया जा रहा है उसमें काफी वृद्धि हुई है। इसका मतलब यह है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ३।। लाख रुपया समाज सेवाओं और लोक कल्याण के कार्यों में खर्च करने जा रही है। इससे यह सही है कि हम लोक कल्याण की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और प्रगति कर रहे हैं और जो खर्च उस पर हो रहा है उससे हमको संतोष होगा। अगला जो बजट आवेगा उसमें निश्चित रूप से इस मद में ज्यादा रकम मुकर्रर की जावेगी। इसके अलावा हमारा जो खर्चा इन कार्यों में हो रहा है उसके लिये मुझे संतोष है कि बजट द्वारा इस कर्जे को चुकाने के लिये निश्चित रूप से ऐजेन्सी राज्य सरकार द्वारा नियुक्त की जा रही है। इससे इस बात की उम्मीद होती है कि राजस्थान राज्य से कर्जा हटता चला जायगा। हमारा आर्थिक ढांचा एक–दो वर्ष तक खराब था इसलिये मुआवजे का रुपया चुकाने के लिये एक निधि रखने की आवश्यकता थी। इस वर्ष भी मैं समझता हूँ कि मुआवजा चुकाया जावेगा। मैं समझता हूं कि उसके लिये अलग रेवेन्यु में हैड खोला है और उसमें निधि रखी

(श्री जनार्दनराय नागर)

है। जो रकम रखी है वह एक करोड़ की है। अब प्रश्न यह है कि यह राज्य की रेवेन्यु से मुआवजा दिया जायगा या भारत सरकार से सहायता इस संबन्ध में ली जावेगी। मैं यह कहूंगा कि यदि आप इतनी भारी रकम को चुकाने के लिये सरकार पर भार डालना चाहते हैं तो इस सदन के लिये यह एक चिन्ता का विषय हो सकता है। जो मुआवजा लोगों को दिया जा रहा है वह न दिया जाए, यह तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि जो नीति राज्य सरकार ने निर्धारित की है उसके लिये, तो उन्हें मुआवजा देना ही होगा। लेकिन यदि यह रकम रोजमर्रा की आमदनी में से जो धन प्राप्त होता है उससे दी जावेगी तो मौजूदा परिस्थितियों पर इसका वजन पड़ेगा और मैं समझता हूं कि राज्य के प्रशासन के कार्य की कुशलता में भी इसका असर पड़ेगा। फिर मैं (शोर) (अश्रव्य) मैं यह कहूंगा कि कहीं भी रेवेन्यु सोर्सेज़ से ऋण नहीं चुकाया जाता। यह चाहिये कि रेवेन्यु सोर्स से ऋण नहीं चुकाया जाए क्योंकि हमारी परिस्थिति ऐसी नहीं है। हमको यह देखना है कि रोज़मर्रा की आमदनी से ऋण चुका सकें तो उसके लिये क्या तरीका होगा जिससे हम उसको चुकाने की बात सोच सकें। जिस समय हमारे यहां फाइनेन्स कमीशन आया उस समय हमने उसके सामने अपनी परिस्थिति रखी और राज्य सरकार ने मन्जूर किया तो हमें सोचना और समझना चाहिये कि वे अगले वर्ष में ऋण भार है वह कैसे चुकाना है। यह काफी भार है। इसकी कोई विधि हमारे सामने आवे तो हमें काफी संतोष हो सकता है।

आपने मुझे इस बारे में बहुत ही फरमाया... ...

श्री उपाध्यक्ष : But it has been fruitless.

श्री जनार्दनराय नागर : अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं, जैसा लोग कहते हैं कि यह आशा का बजट है, समाजवादी बजट नहीं है; इसको केवल वर्षा का बजट कह कर संबोधित नहीं करना है। इसका एक ही शब्द में परिचय है और यह कल्याणकारी राज्य का बजट है और जब हमारे कानों में जो जो काम जिन जिन क्षेत्रों में हो रहे हैं और होने वाले हैं और जिन जिन मदों में रुपया खर्च होता है, पड़ता है तो हमें कुल मिला कर देखना चाहिये कि आखिर राजस्थान ने तीन वर्ष में कितनी प्रगति की है और आगे बढ़ा है। यदि इसका कुछ वित्त मन्त्री जिक्र, करते तो हम कुछ निर्णय पर पहुंच पाते। स्वयं वित्त मन्त्री ने कहा है कि हम धीरज के साथ सार्वजनिक हित व कल्याण के कार्यों में प्रगति कर रहे हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं मानता हूं कि समाजवादी समाज का जो उन्होंने दृष्टिकोण बताया है वह मेरी समझ में कम बैठा। अच्छा होता उस पर वे कुछ ज्यादा प्रकाश डालते। यदि वे इस बारे में थोड़ा और प्रकाश डालते तो अच्छा रहता।

(हर्ष-ध्वनि)

अन्त में मैं यही कहूंगा कि हमारे वित्त मन्त्रीजी, जिन्होंने बड़ी अभिव्यक्ति के साथ भाषण दिया और काफी रुपया सार्वजनिक हित व कल्याण के विभागों में दिया और

(हँसी)

मैं यह कहना चाहता हूं कि अगले साल में और भी ज्यादा रुपया इस कार्य के लिये वे हमें देंगे।

(हर्ष-ध्वनि)

मैं यह निवेदन करूंगा कि आप मुआवजा देने की समस्या को साहस से दूर करते चलेंगे

Page No.93

(श्री जनार्दनराय नागर)

और जितना आप जनतन्त्र को आगे बढ़ाने के लिये कार्य करेंगे उसमें हम आपको हर कीमत पर योग देने के लिये तैयार होंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह ।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : माननीय उपाध्यक्ष, मुझे इस बात की खुशी है कि माननीय फाइनेन्स मिनिस्टर को मेरी आशा के विपरीत दुबारा इस सदन में बजट प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ । माननीय उपाध्यक्ष, पिछली बार मैं ऐसा समझे हुए था कि माननीय फाइनेन्स मिनिस्टर महोदय, जिस तरह कि अभी तक की सदन की परम्परा रही है, जो सदन में बजट प्रस्तुत करता है वह तो एक वर्ष में या एक वर्ष में नहीं तो दूसरे वर्ष में मन्त्री–मंडल से बाहर हो जाता है; यही आशा मैं उनसे लगाये हुए था लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि दूसरे वर्ष मे आने वाले माननीय सदस्य में से आप हैं ।

अब प्रश्न यह आता है कि हमारे सामने जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसमें जिस कारीगरी के कारण इस सदन के कई माननीय सयस्यों ने उसकी यहां तक तारीफ की है, जन-कल्याणकारी आदि बताया है, और खुले शब्दों में मैं कह दूं कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट में वित्तमन्त्री की जगह खाली है, शायद इन वित्त मन्त्री महोदय को वहां ले जाया जाय । कई माननीय सदस्यों ने दबे शब्दों में उनकी तारीफ की है लेकिन जब दूसरे माननीय सदस्यों ने तारीफ की तो मेरी यह इच्छा हुई कि उनके इस भाषण को एक बार नहीं जितनी बार समय मिले पढ़ूं ताकि इसमें जो कारीगरी दिखाई है उसको मैं सदन में प्रस्तुत करूं ।

माननीय उपाध्यक्ष, मैंने इस भाषण को एक सिरे से लेकर अन्त तक पढ़ा और इस सम्बन्ध में यदि मैं यह कहूं कि यह सारी कारीगरी माननीय वित्त मन्त्रीजी की नहीं बल्कि जो हमारी सरकारी मशीनरी है, ओफिसरों को रखा है, उस सारे दल की है और बजट हमारे सामने सरप्लस में आया है । उनके लिए तो मैं यह कह सकता हूँ कि उन्होंने पेज २२ पर खास तौर से एक पेरा रखा है वह हमारी सरकारी मशीनरी का नहीं हो सकता । वह निश्चित रूप से हमारे वित्त मन्त्रीजी का है, और वह है भूदान आन्दोलन भी राज्य में सन्तोषजनक प्रगति कर रहा है । इसके लिए मैं प्रेज़ कर सकता हूं क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत उनका भी हाथ है, इसलिये मैं ऐसा समझता हूं कि वे निश्चित रूप से धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने सरकारी मशीनरी में इस प्रकार का एक पेरा जोड़ा और उनको जोड़ने में सफलता मिली । उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट में जितने भी आंकड़े रखे हैं और बजट को सरप्लस में प्रस्तुत किया है और मैं समझता हूं कि जो आंकड़े माननीय सदस्यों के सामने पेश किये गये हैं वे सदस्यों के लिए चकाचौंध करने वाले आंकड़े हैं । इसके लिए यदि यह कहा जाये कि आंकड़ों का सिर्फ समन्वय ही हो सकता है; यदि आंकड़े सूक्ष्म रूप से समझाने के लिए दिये होते तो ज्यादा अच्छा था लेकिन जो आंकड़े दिये हैं उनका दृष्टिकोण समझाने का नहीं, वस्तु स्थिति को प्रस्तुत करने का नहीं राजस्थान राज्य में क्या हो रहा है यह दिग्दर्शन कराने का नहीं । इन आंकड़ों की चकाचौंध में सदन के माननीय सदस्यों को राजस्थान की वास्तविक स्थिति से अवगत कराने का नहीं लेकिन स्वरूप वैसा है जैसा कि स्वरूप का जिक्र एक समय लोक सभा में भी हुआ

(श्री भैरोंसिंह)

था। इन आंकड़ों की हालत की तुलना लिपिस्टिक से की गई थी, यदि ज्यादा लगाते हैं तो सुन्दरता में कमी आ जायगी और जितनी लिपिस्टिक की आवश्यकता होती है उतनी लगायी जाय तो सुन्दरता बढ़ेगी। न मालूम हमारे वित्त-मंत्री महोदय ने लिपिस्टिक का ज्यादा प्रयोग क्यों किया ? उनके लिए नहीं बल्कि बजट के लिए कह रहा हूं।

प्रश्न यह आता है कि यह सुन्दरता अगर थोड़े से आंकड़ों में प्रस्तुत की जाती तो निश्चित रूप से जो भाषण आपने दिया उस पर हम गंभीरता से विचार करते। मैं तो इस बारे में कुछ नहीं कह सकता कि यह सरप्लस बजट है या घाटे का, किन्तु किशनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जैसा कि कल कहा कि यह बजट ऐसा है कि इसको जो घाटे का समझना चाहे वह घाटे का समझ सकता है और जो नफे का समझना चाहे वह नफे का समझ सकता है। तो जब इस बजट की ऐसी स्थिति है तो मैं इस बजट को किसी भी हालत में सरप्लस नहीं समझ सकता। कारण स्पष्ट है कि बजट में घाटा है इसीलिए नए टैक्स लगाने का प्रस्ताव किया गया है और नए टैक्सेज़ से जो आमदनी आने वाली है उस आमदनी को सामने रख कर बजट को सरप्लस बनाने की कोशिश की गई है। सारी बजट स्पीच को देखने से पता लगता है कि चाहे प्रथम पंचवर्षीय योजना में जितना काम हुआ हो या द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दो वर्षों में जितना विकास का काम हुआ हो और भविष्य में जो काम होने वाले हैं उन सब में हमारी राज्य सरकार ने अपनी प्रशासनिक ढिलाई को स्वीकार किया है। जिन जिन मदों में खर्चा बढ़ा है उन सब मदों के लिए एक लाइन लिख दी गई है; वह यह कि एरियर्स जो थे वे वसूल नहीं हो सके, या जिन कारणों का एन्टीसिपेशन था वह नहीं हुआ। जब हम बजट में ऐसी स्थिति देखते हैं कि प्रशासनिक ढिलाई के कारण वसूली नहीं होती तो हमें इस प्रश्न पर गंभीरता पूर्वक विचार करना पड़ेगा। एरियर्स इतने एकुमुलेट होते क्यों हैं ? वे वसूल क्यों नहीं होते, एरियर्स की वसूली करने का काम पंचायतों का नहीं, डिस्ट्रिक्ट बोर्डस् का नहीं, म्युनिसिपल बोर्ड का यह काम नहीं, यह काम है राज्य सरकार का। उनके पास पुलिस है उनके पास कलेक्टर हैं, कमिश्नर्स हैं, जिस राज्य सरकार के पास जुडिशियल आफिसर्स हैं, रेवेन्यु ऑफिसर्स हैं उनके पास किस चीज की कमी है ? यदि किसी के नाम समन जारी किया जाय तो चपरासी ले जाकर उसको दे सकता है, उस समन की तामील न हो तो पुलिस उसे गिरफ्तार कर सकती है। गिरफ्तारी के बाद सजा देने वाले मजिस्ट्रेट भी आपके पास मौजूद हैं, तो ऐसी हालत में वसूली क्यों नहीं होती ?

उपाध्यक्ष महोदय, पिछले चार वर्षों में एक पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी के मेम्बर की हैसियत से मैंने इस बात का अनुभव किया है कि इस वसूली के पीछे जबर्दस्त रहस्य है। वसूली इसलिए नहीं होती कि वसूली कर नहीं सकते बल्कि वसूली इसलिए नहीं होती कि कई राजनैतिक कार्यकर्त्ता उसमें अड़चनें पैदा करते हैं। सब के लिए मैं नहीं कहता अपवाद स्वरूप उसमें कुछ न हो...

श्री मुरलीधर व्यास : किस पार्टी के कार्यकर्त्ता होते हैं, यह बता दीजिये।

श्री भैरोंसिंह : (जारी) अपवाद स्वरूप अपन बाहर निकल सकते हैं। मैं किसी पर

Page No.95

(श्री भैरोंसिंह)

आक्षेप लगाना नहीं चाहता कि किसी भी जिले की लिस्ट को उठा कर देख लीजिए, रेवेन्यू, एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट ले लीजिए, तकावी को देख लें ग्रोमोर फूड के अन्तर्गत जो तकावी दी गई हैं उसको देख लें। खेद होता है यह, कहते हुए कि उन जिलों के बड़े बड़े कार्यकर्ताओं के नाम उसमें हैं। उनकी ओर से एरियर वसूली को ससपेन्ड किया जाता है। राजस्व मंत्री चाहे इस बात को स्वीकार करें या न करें मैं उनको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि वे चाहे उदयपुर डिवीजन को ले लें, पाली, जालोर या मेरा जिला सीकर ले लें जिन लोगों की वसूली को ससपेन्ड करते जा रहे हैं उनमें गरीब काश्तकार नहीं, गरीब हरिजन नहीं, साधारण श्रेणी का व्यक्ति नहीं बल्कि वे सारे के सारे राजनैतिक कार्यकर्त्ता हैं। उनको गरीबी के कारण नहीं बल्कि वे अपना राजनैतिक अनड्यू इनफ्लुएन्स के कारण सरकारी अधिकारियों पर रोब जमाकर वसूली को स्थगित करवाते जाते हैं। अगर सरकारी अधिकारी ऐसा नहीं करते हैं, ऊपर से ऑर्डर्स लाये जाते हैं यानि मिनिस्टर महोदय से ऑर्डर्स लाये जाते हैं। राजस्व मंत्री शायद यह चाहते होंगे कि किन किन की वसूली स्थगित की गई बतायी जाय। मैं उनको वे आंकड़े भी देने को तैयार हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि कुछ माननीय सदस्यों के नाम इस सदन की फ्लोर पर बताऊं। लेकिन राजस्व मंत्री अगर यह चाहते हैं तो मैं एग्ज़ाम्पलस की तौर पर आपको बता दूं। आप उदयपुर की इलक्ट्रिसिटी और वाटर चार्जेज़ की लिस्ट उठाकर देख लें, उससे आपको पता चल जायगा कि किस श्रेणी के कार्यकर्ताओं में कितना कितना रुपया बाकी है! क्या हम इस प्रकार के कार्यकर्ताओं से वसूल नहीं कर सकते? कौन कौन सी संस्थायें हैं। अगर हमारे में वीकनेस हैं, वसूली नहीं कर सकते तो यह राज्य सरकार की कमजोरी है। इस प्रकार की वसूली नहीं होती है तो यह जिम्मेदारी एक व्यक्ति की नहीं, उस स्थान के कलेक्टर की नहीं, कमिश्नर की नहीं, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेन्ट की नहीं बल्कि यह जिम्मेदारी हमारे मंत्रियों की है। वे इस बात का प्रयत्न करें कि जिन लोगों में बकाया है उनको अपनी पार्टी में सम्मिलित न करें। ऐसा अगर कर दिया जाय तो बिना सरकार के यत्न किये ही सारी वसूली हो जायगी। सारे राजनैतिक दलों को अपने विधान के अन्दर इस प्रकार की व्यवस्था कर देनी चाहिये कि जिस किसी में सरकारी रुपये की बकाया है वह किसी राजनैतिक दल का सदस्य नहीं होगा। इससे यह तो अवश्य होगा कि सदस्य तो कम हो जायेंगे लेकिन सरकारी बजट के अन्दर पैसे की वृद्धि होगी। हमारी राजस्थान की सरकार का बजट कोई मामूली चीज़ नहीं। जिस समय बजट प्रस्तुत नहीं हुआ था उस समय मैं सेक्रेटेरिएट के अन्दर गया, वहां के चपरासी लोग मेरे चारों ओर इकट्ठे हो गये और मुझसे पूछने लगे कि बजट तीन चार रोज में पेश होने वाला है, क्या उसमें हमारे वेतन वृद्धि का भी कोई जिक्र है? मुझे शायद इस बारे में गलत सूचना थी, मैंने उनसे कह दिया कि पांच रुपये की वृद्धि हो रही है। हो सकता है मैंने अहंकार स्वरूप यह कह दिया हो, लेकिन यह ठीक है कि जानकारी के अभाव के कारण ऐसा आश्वासन मैंने उनको दिया था कि हमारी राज्य सरकार के सामने आपकी वेतन-श्रृंखला विचाराधीन है और मुझे भी यह आशा थी कि जब बजट प्रस्तुत किया जायगा तो इनके वेतन बढ़ाने के सम्बन्ध में जरूर कुछ विचार व्यक्त किये जायेंगे। लेकिन

(श्री भैरोंसिंह)

बजट प्रस्तुत होने पर मैंने देखा कि सबसे ज्यादा इस बजट के कारण निराशा इन अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों को हुई। हमारी राज्य सरकार ने व्यवस्था की है कि जो महंगाई भत्ता लोगों को मिल रहा है उसका आधा भत्ता पे में मिला दिया जायगा। इस बात की मैं सराहना करूंगा कि यह भी मांग इन कर्मचारियों की थी जो सरकार ने स्वीकृत कर ली, इसकी मैं सराहना किये बिना नहीं रह सकता। यह अवश्य है कि इससे राज्य कर्मचारियों को तात्कालिक लाभ नहीं हुआ हो, लेकिन जिसको दस वर्ष बाद पेंशन मिलने वाली है उसकी पेन्शन पर इसका असर जरूर पड़ेगा। लेकिन आज के युग में जहां एक गरीब आदमी को अपने पेट को पालने की मुसीबत है वहां इस प्रकार की योजना से कोई फायदा नहीं होने वाला है। जिस समय राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद-विवाद हो रहा था मुख्य मन्त्री महोदय ने हमसे सुझाव मांगने की बात कही थी लेकिन वह लेट स्टेज़ थी। उस समय तक बजट स्पीच तैयार हो गई थी और प्रेस में छपने जा चुकी थी; ऐसी परिस्थिति में अगर हम सुझाव कुछ भी देते तो वे उसे स्वीकार करने की स्थिति में नहीं होते। वित्त मंत्री महोदय अगर इस स्थिति में हों कि वे लो पेड एम्पलोईज़ की वेतन-श्रृंखला में वृद्धि कर सकते हैं तो मैं उनको सुझाव दे सकता हूं। मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि यह बजट चाहे किसी भी तरह का हो किन्तु वित्त मंत्री महोदय मुझे यह कह सकते हैं कि मैं लोगों को भड़काने के लिये यहां इस प्रकार का भाषण दे रहा हूं मुझे इस प्रकार के इल्जाम की परवाह नहीं, मैं इस असेम्बली में यह कहने की स्थिति में हूं और राजस्थान के अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों से कहना चाहता हूं कि अगर उनका वेतन सरकार नहीं बढ़ाती है तो उनको राज्य सरकार के विरुद्ध विद्रोह कर देना चाहिये, क्योंकि उनका पेट भूखा है, उनको हम कहे जा रहे हैं कि वेतन आपका बढ़ाया जायगा; आप पेन्शन की व्यवस्था करते जा रहे हैं लेकिन इस प्रकार की व्यवस्था करने से काम नहीं चलेगा उनकी तनख्वाहें बढ़ानी पड़ेंगी। इस बजट को देखने से यह पता चलता है कि हम इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। स्टूडेन्टस की एजीटेशन के समय इस व्यवस्था में कुछ चेन्ज आया, चाहे वह किसी भी तरह से आया हो, किसी के दबाव के कारण आया हो। इतना सरकार ने अवश्य कर दिया कि २५० रुपये से कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों के बच्चों से शिक्षा शुल्क माफ कर दिया है। लेकिन चिकित्सा सुविधाओं में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, बाकी की मांगों के बारे में कोई व्यवस्था नहीं है, केवल एक बात जरूर है कि इस प्रकार की जो ५) प्रति वर्ष के अन्दर हमने एड-हॉक बेसिस पर वृद्धि की थी तो उसके कारण एक करोड़ का अतिरिक्त खर्चा हुआ है। मैं समझता हूं कि कोई भी योजना बनी हो, पहली या दूसरी, उस योजना में जहां हमारा दृष्टिकोण समाजवादी समाज की रचना का है वहां हमें कम से कम यह सोचना चाहिये कि एक राजस्थान के कर्मचारी में और केन्द्र के कर्मचारी में जो भेद है वह समाप्त होना चाहिये। पर इस ओर राज्य सरकार की ओर से कोई कोशिश नहीं की गई। वह कह सकते हैं कि उनकी वित्तीय स्थिति खराब है। पर तब भी कम से कम उन्हें भारत सरकार से निवेदन करना चाहिये था कि उनके कर्मचारियों और हमारे कर्मचारियों की तनख्वाहें के अन्तर को मीट आउट करने के लिये स्पेशल ग्रान्ट इन एड वे दें। पर हमारी सरकार इन बातों पर

(श्री भैरोंसिंह)

कतई विचार नहीं करती । मैं समझता हूं कि ये सारी व्यवस्थाएं इस युग के अनुकूल, कर्मचारियों की स्थिति के अनुकूल नहीं है। यदि सरकार को सुझाव नहीं है केन्द्र की तरफ से तो मेरा यह सुझाव है कि राज्य सरकार तुरन्त कर्मचारियों के लिये एक पे कमीशन नियुक्त करे जो सारे सर्विसेज़ के बारे में विचार करे और फिर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करे और जब तक वह प्रतिवेदन न आए तब तक राज्य सरकार के बजट मद में जितना भी घाटा हो उसकी पूर्ति किसी और ढंग से करे पर छोटी तनख्वाह पाने वाले उन तमाम राज्य कर्मचारियों को मदद देने के लिये कम से कम पांच रुपये की वृद्धि और करने की घोषणा इस सदन में इसी सैशन में कर देनी चाहिये ।

(करतल ध्वनि)

मैं समझता हूं इसके लिये सरकार तैयार नहीं होगी और इस के कारण स्वरूप उनके पास काफी बहाने हो सकते हैं । वे कह सकते हैं कि उनके इकोनोमिक रिसोर्सेज़ लिमिटेड हैं, उनको अगर तनख्वाहों के बढ़ाने में खर्च कर देंगे तो प्लानिंग का कम सारा अधूरा रह जावेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न कल इस सदन में आया था कि हमारी सरकार ने टैक्स बढ़ाया शराब पर और शराब पर टैक्स बढ़ाया इसलिये कि राज्य सरकार की ऐसी नीति बतलाई जाती है । मैं समझता हूं कि ऐसी बात है नहीं, पर ऐसा कहा जाता है कि हमारी सरकार शराब बन्दी के पक्ष में है । मैं, यदि इस प्रकार की कोई नीति है तो, उसका निश्चित् रूप से स्वागत करूंगा । पर प्रश्न यह आता है कि नीति का स्वागत करूं या जो कार्य वे करते हैं उससे नफरत करूं ? तो मुझे ऐसा लगता है कि स्वागत की आवश्यकता नहीं। इस नीति को कार्यरूप में परिणित करने की इस सरकार की जो व्यवस्था है उसको देखते हुए निश्चित रूप से इसको नफरत करना चाहिये और मैं तो सदन से निवेदन करूंगा कि इससे नफरत ही नहीं घृणा करके वित्तमंत्री पर यह दबाव डालना चाहिये कि राजस्थान में तुरन्त शराब बन्दी लागू की जावे । पर हमारी सरकार उल्टी चल रही है । वित्तमंत्री ने अपने भाषण में बताया कि शराब के अन्दर अतिरिक्त खर्चा क्यों हुआ । इसका कारण बड़ा लचकीला है । कारण में बताया गया है कि एन्टीस्मगलिंगफोर्स के कारण काफी नाजायज शराब पकड़ी गई और इसलिये हमारी शराब ज्यादा खर्च हुई और हमारी शराब ज्यादा खर्च हुई इसलिये केन्द्र से मंगानी पड़ी और इस तरह इसका अतिरिक्त खर्चा हुआ । एक तरफ आप कहते हैं टैक्सेज़ से कमी होगी और दूसरी तरफ कहते हैं एन्टी-स्मगलिंग फोर्स के कारण शराब की बिक्री बढ़ी है तो उनमें कौनसी बात सही है । जो अन्दाज लगाकर कहते हैं कि इतनी शराब आई है इससे ज्यादा अगर खर्च होती है तो इसका बहाना यह लिया जाता है कि एन्टी स्मगलिंग फोर्स के कारण ऐसा हुआ है, तो मैं समझता हूं कि यह वृद्धि इस कारण से नहीं हुई । आज भी आप किसी गांव में चले जावें आपको छोटी छोटी भट्टियां हर जगह मिलेंगी बल्कि चूल्हों पर मिलेंगी । तो इतनी वृद्धि इस एन्टी स्मग्लिंग के कारण से नहीं, बल्कि लोग अभी तक इसके आदी हैं इस कारण से हुई है और अब इसको छुड़ाने के लिये वे कहते हैं टैक्स कम नहीं कर सकते । इसके लिये हमें हाथ सख्त बनाना पड़ेगा अपने फाइनेन्सेज़ को कन्ट्रोल करना पड़ेगा और निश्चित रूप से

(श्री भैरोंसिंह)

घोषणा करनी पड़ेगी कि राजस्थान में शराब जैसी चीज नहीं रहेगी। इसके लिये सजा दी जा सकती है। ऐसा अगर हुआ तो मैं विश्वास से कह सकता हूं कि सच्चे अर्थों में राजस्थान में, जहां सबसे ज्यादा शराब पी जाती थी, शराब बन्दी हो सकेगी और इस तरह से राजस्थान सारे देश के लिये उदाहरण प्रस्तुत कर सकता है कि जहां शराब बन्दी पूर्ण माने में सफल हुई हो। पर हमें तो पैसा चाहिये। हमारे सामने कोई दृष्टिकोण नहीं। आज जो सरकार गरीब मजदूरों की भलाई की बात करती है उसको इस पर सोचना चाहिये। मैं तो समझता हूं कि उसे एक कमेटी अपोइन्ट करनी चाहिये कि जो जांच करे कि शराब पीने वाले कौन हैं? वे हैं कौन? वे ऊंची श्रेणी के व्यक्ति नहीं, कैपिटिलिस्ट नहीं बल्कि, उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहूंगा वे ज्यादा ये ही मजदूर लोग हैं जिनको हम राहत पहुंचाना चाहते हैं, जिनकी भलाई का दम भरते हैं। वे अपने गम को मिटाने के लिये, अपनी भूख-प्यास और गरीबी से ग्रस्त खाली पेट को कुछ देकर चुप करने के लिये, मिलों या फैक्ट्रियों से, थकान से चकनाचूर होकर जब निकलते हैं या रिक्शा चलाकर अपने थके शरीर को विश्राम देना चाहते हैं तब शरीर यह अनुभव करता है कि तुम्हारे कारण हम रिक्शा चलाकर भी, इतना परिश्रम करके भी जब पूरा पेट नहीं भर सकते तो उस शरीर को भुलावा देने के लिये, उस पेट को भुलावा देने के लिये उस वक्त वे चेष्टा करते हैं कि पाव डेढ पाव पी आओ। तो गम को भुलाने के लिये और अपने खाली पेट को भुलावा देने के लिये, गम गलत करने के लिये शराब पीते हैं इसके लिये हमारी यह सरकार कहती है कि टैक्स बढाया जावे और इससे आये पैसे को दूसरी मद में खर्च किया जावे। मैं चाहता हूं कि सरकार जांच करे। ज्यादा शराब मजदूरों में बिकती है या नहीं। अगर ऐसा है तो फिर चिन्ता नहीं इससे आमदनी दो करोड़ की होती है या डेढ़ करोड़ की इसे तुरन्त बन्द कर देना चाहिये। पर हमारी सरकार यह नहीं करेगी यह मैं जानता हूं और इसलिये मुझे वहम भी हो रहा है कि यह प्रचार धीरे धीरे बढ़ेगा, बढ़ रहा है। इसको रोकने के लिये इस तरह की ढिलमिल नीति से काम नहीं करना होगा। हमें गांधीजी के सिद्धान्तों को स्वीकार करना पड़ेगा। उन्होंने कहा था यह पूछने पर कि स्वराज्य मिलने पर सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, 'आजादी आने के बाद जो काम मैं तुरन्त करूंगा उनमें एक होगा शराबबन्दी का और दूसरा होगा गोहत्या बन्द करने का।' सौभाग्य से राजस्थान में गोहत्या नहीं होती पर पहली चीज़ निरन्तर जारी है। शराब हमारी आमदनी का सोर्स रहे यह शरम की सी बात होगी हमारे लिये भी और सरकार के लिये भी।

इस सारे बजट भाषण में चार पैरेग्राफ विशेष तौर से दिये हैं। एक है कि पहली पंचवर्षीय योजना में हमने प्रोडक्शन बढ़ाने की व्यवस्था की। दूसरी में इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट के लिये व्यवस्था की। उस इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट का एक उदाहरण मैं दूं। मैं मानता हूं पिछले पांच सालों में एग्रीकल्चर डेवलपमेन्ट हुआ उसको नगण्य नहीं गिना जा सकता। यह नहीं कहा जा सकता कि तरक्की नहीं हुई। पर यह विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जितने की अपेक्षा थी उतना नहीं हुआ। इसी कारण से आज भी राजस्थान में सरप्लस अनाज नहीं रहता। आज भी कई जगह घाटे की स्थिति पैदा हो जाती है और दूसरी जगह से इम्पोर्ट करना पड़ता

(श्री भैरोंसिंह)

है । पर यह प्रश्न में बाद में लेने वाला हूं । मैं इस समय इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट का नमूना प्रस्तुत करूंगा । उपाध्यक्ष महोदय, जिस समय सरकार के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव आया था मैंने कहा था कि इस सरकार की कोई इन्डस्ट्रियल पॉलिसी नहीं है । माननीय मुख्यमन्त्री महोदय ने इस पर बताया कि हमारी पॉलिसी केन्द्रीय सरकार की जो इन्डस्ट्रियल पॉलिसी है वही है और उसी के अन्तर्गत हम काम करते हैं और उसी से हम गाइडेड हैं । इसलिये सेपेरेट पॉलिसी बनाने की हमें आवश्यकता नहीं है । पर मैं समझता हूं कि अगर हमारे प्रान्त का इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट करना है तो हमें इसके लिये अपनी अलग से नीति निर्धारित करनी पड़ेगी फिर वह भारत सरकार की नीति से अनुकूल पड़ने वाली हो । यह उस समय नहीं कर सके और किसी तरह बात को टालने की कोशिश की । पर इसका प्रभाव प्रतिकूल पड़ा । उपाध्यक्ष महोदय, उस दिन या राज्यपाल महोदय के भाषण के दिन मैंने सूचना दी थी कि हमारे राजस्थान सरकार ने जयपुर उद्योग लिमिटेड को ६० लाख रुपये का लोन दिया है । पर वह ६० लाख रुपया बजट में नहीं था । उस वर्ष के बजट में नहीं था । सदन से पर्मिशन भी नहीं ली । लोन कन्ट्रोल बोर्ड से पर्मिशन नहीं ली । उसने ओब्जेक्शन किया । मैं समझता हूं कि इसके उत्तर में ट्रेज़री बेन्चेज़ से इस पर कहा जावेगा । पर अफसोस है जवाब नहीं दिया गया । इसलिये ये बातें आगे प्रस्तुत करनी पड़ती हैं । उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि यह एक अप्रिय बात होगी यदि इस सदन में मैं यह कहूं कि इस ६० लाख के पीछे एक जबर्दस्त रहस्य था और वह रहस्य यह था कि उन दिनों इलेक्शन होने वाले थे । राज्य सरकार को पैसे की आवश्यकता थी, पैसे की आवश्यकता कैसे पूरी हो उसके लिए उन्होंने एक जाल फैंका और चाहा कि किसी तरह जाल में आजांय, वे जाल में फंस जायं । बदकिस्मती समझिये या खुश किस्मती समझिये उस मिल के मालिक शान्तिप्रसादजी जैन उनके जाल में फंस गये और जाल में फंस गये इसका कारण क्या हुआ, इसका कारण यह हुआ कि कांग्रेस के इलेक्शन फन्ड में दो लाख रुपया दिया । इसका सबूत मेरे पास है । मैं सबूत भी देना चाहूंगा जिसके आधार पर जयपुर उद्योग लिमिटेड से चैक इश्यू हुये और वे कांग्रेस की अलग अलग डिस्ट्रिक्ट कमेटियों को दिये गये और उनको सिकराया गया । यदि आप चैक के नम्बर चाहेंगे तो वे भी मैं आपको दूंगा और जिन २ डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटियों को वे चैक भेजे गये हैं इनके नाम भी मैं बताना चाहूंगा और कितनी-कितनी रकम दी गई है यह भी बताना चाहूंगा :

१.	उदयपुर डिस्ट्रिक्ट	२५,०००)
२.	चित्तौड़ ,,	१५,०००)
३.	भीलवाड़ा ,,	१०,०००)
४.	नागौर ,,	१०,०००)
५.	बांसवाड़ा ,,	१०,०००)
६	पाली ,,	१०,०००)
७.	डूंगरपुर ,,	१०,०००)
८.	अलवर ,,	१०,०००)
९.	सवाई माधोपुर	१०,०००)
१०.	कोटा	१०,०००)
११.	भरतपुर	१०,०००)

(शेम-शेम की आवाज)

मैं समझता हूं कि यदि मैं इस सदन को यह भी सूचना दे दूं कि उन रुपयों को रिसीव करने वाले कई सदस्य इस सदन की शोभा बढ़ा रहे हैं तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी ।

Page No.100

श्री ज्वालाप्रसाद : On a point of order, Sir, as a matter of fact, the facts are...

जो बातें बहुत दूर की हैं उनका सम्बन्ध लगा कर झूठ को सत्य से मिलाया जा रहा है। दो लाख का सम्बन्ध ६० लाख से सम्बन्धित करना सदन में एक गलतफहमी फैलाने वाली बात है। इस सदन में इस तरह की चर्चा करना कतई इर्रिलेवेन्ट है और मुगालता देना है। इस तरह पैसा लेना कोई पाप नहीं है।

(घंटी, हंसी, शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : You will state the point of order in brief. You will not deliver a speech please.

श्री ज्वालाप्रसाद : Whether it is in order that an irrelevant factor and extraneous circumstance on the basis of a quite different thing can be agitated about a party.

श्री उपाध्यक्ष : I have understood the point of order. My observations are that no aspersions on the hon. Members will be cast.

श्री ज्वालाप्रसाद : Or on the party.

श्री भैरोंसिंह : पार्टी पर आयगा।

श्री ज्वालाप्रसाद : No, Sir.

श्री भैरोंसिंह : मैं आपको स्पेयर कर सकता हूं लेकिन पार्टी को स्पेयर नहीं कर सकता।

(हंसी)

श्री ज्वालाप्रसाद : मेरी कॉन्स्टिटुएन्सी का नाम भी नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : Hon. Members please not to address directly, not to address directly.

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य को नाराज होने की आवश्यकता नहीं है और न नाराज ही होना चाहिए था। बल्कि आवश्यकता तो यह है कि यदि मैंने कुछ गलत कहा है तो वे चुनौती देते। लेकिन मुझे खुशी है कि कुछ अंशों में उन्होंने स्वीकार किया है।

श्री ज्वालाप्रसाद : मुझे कोई जानकारी नहीं है।

(हंसी एवं शोरगुल)

(कुछ सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : The Chair is on its legs. Yes, hon. Member order! order please! Hon. Member to continue the debate.

श्री भैरोंसिंह : तो मैं निवेदन कर रहा था, उपाध्यक्ष महोदय, कि इन दो लाख रुपयों का सम्बन्ध ६० लाख रुपयों से है या नहीं, यह एक पोइन्ट एट डिस्प्यूट है और मैं समझता हूं कि यह आपत्ति नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य की थी। मैं कुछ बातों का पहले से ही उल्लेख नहीं करना चाहता था क्योंकि वे कुछ अप्रिय सी बातें होंगी, कुछ व्यक्तिगत आक्षेप भी होंगे इसलिए मैं पहले से ही उनको छोड़ना चाहता था कि यह सारा ट्रान्जेक्शन किस प्रकार हुआ और इसका सम्बन्ध क्योंकर है? मैं समझता हूं कि इन सब के लिए जो रेस्पोन्सिबिल हैं, जो इसके लिए अपना उत्तर-दायित्व समझते हैं, सदन में उत्तर देंगे, मैं

Page No.101

(श्री भैरोंसिंह)

तो फिलहाल इतना ही कह देना पर्याप्त समझता हूं कि इलेक्शन फन्ड के नाम पर रुपया लेना, वह चाहे दान हो, चाहे कांग्रेस पार्टी को सहायता हो, वह चाहे कांग्रेस पार्टी की किसी प्रकार की परवरिश हो, यह सारी परवरिश उन ६० लाख रुपयों से सम्बन्ध रखती है। इस सदन में, मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैंने स्वयम् ने इस विषय में आवाज उठायी थी कि हमारा जयपुर उद्योग लि० में जो रुपया है, जो इन्वेस्टमेन्ट है वह सुरक्षित नहीं है और चूंकि सुरक्षित नहीं है इसलिये राज्य सरकार को चाहिये कि सुरक्षा का प्रबन्ध करें। मैंने इसका काफी विरोध भी किया था। उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो कहूँगा कि यदि इन्वेस्टमेन्ट सुरक्षित हो, अच्छा रिटर्न मिलता हो, जितने शेयर होल्डर्स हैं वे अपनी रकम को सेफ समझते हों तो उस स्थिति में यदि राजस्थान सरकार ६० लाख का ही लोन नहीं, यदि वह राज्य के हित में है तो ६ करोड़ का लोन दे तो हमें कोई आपत्ति नहीं हो सकती। जिस दिन लोन दिया गया, उपाध्यक्ष महोदय, उस दिन से आज तक बराबर यह विरोध प्रकट होता रहा है, इसके कागजात तैयार हैं, असेम्बली की प्रोसिडिंग्स उठा कर देख लिया जाय, पब्लिक अकॉउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट में इसके उद्धरण दिये गये हैं, हर तरह से विरोध हुआ है कि इनको रुपया नहीं दिया जाय, जो रुपया दिया गया है, जो इन्वेस्टमेन्ट हुआ है वह सुरक्षित नहीं है. कई सदस्यों ने इसका विरोध किया, लेकिन फिर भी दिये गये। भारत सरकार की राय नहीं थी इनको देने की, न भारत सरकार से राय पूछी गई, बिना भारत सरकार की राय पूछे, लोन कन्ट्रोलर के बिना पूछे सीमेन्ट फेक्टरी को रुपया दे दिया गया। इसलिए यह भावना अपने आप पैदा होती है कि रुपया देने के पीछे इन्टेन्शन अच्छा नहीं था और यदि मैं यह कहूं कि इन्टेन्शन मेला–फाइडी था तो कोई अत्युक्ति नही होगी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि कई सदस्य हैं जिन्होंने जयपुर उद्योग लि० के नाम से चैक हासिल किये हैं, जिनको चैक सीधे कांग्रेस के कार्यालय से प्राप्त नहीं हुए लेकिन उनको उसी फर्म से डिस्ट्रिक्ट वाइज़ डिस्ट्रिब्युशन हुआ है। मैं कहे बिना नहीं रह सकता कि इसके पीछे क्या रहस्य है। मूंदड़ा काण्ड में श्री मूंदड़ा ने स्टेटमेन्ट दिया था जिसमें उन्होंने कहा था, उन्होंने कांग्रेस फन्ड में १ लाख रुपया दिया है और जिस ओर छागला कमीशन ने भी इशारा किया था। मूंदड़ा ने रुपया दिया, इसलिए दिया कि कांग्रेस सर्किल के जो आदमी हैं उनसे फायदा उठाया जाय। मैं भी कह सकता हूं और कह ही नहीं सकता किन्तु यह तो स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि सीमेन्ट फेक्टरी पैसा लेना चाहती थी लोन का और बैक ग्राउन्ड में यह था कि कांग्रेस फन्ड में पैसा देकर राज्य सरकार का मुंह बन्द कर दिया जाय और इसमें वे सफल भी हो गये। यदि राज्य सरकार यह कहे कि यह गलत है तो मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं कि आप माननीय वित्त मंत्री महोदय स्वयम् जानकारी कर लें, एक इक्वायरी इसके लिए होल्ड की जाय और वे स्वयं इसकी जानकारी करें, उसका उनको चेयरमैन कर दिया जाय। मैं जुडिशियल इन्क्वायरी की भी नहीं कहता, एक पब्लिक इन्क्वायरी होल्ड की जाय जिसके चैयरमेन वे हों, तो आपको मालूम हो सकेगा कि इन दो लाख रुपया का ६० लाख से किस तरह से सम्बन्ध है, मैं साबित करने को तैयार हूँ। कोई इन्क्वा-

(श्री भैरोंसिंह)

यरी होती नहीं, कई बातें सदन में आती हैं, हम लोग रखते हैं, इस प्रकार लेन-देन, बार-गेन की बातें सदन में आती रहती हैं लेकिन कोई उसकी इन्क्वायरी होती नहीं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप इसकी जांच करायें। आज हम चाहे अल्प मत में हों, और सत्ता रूढ़ दल यह चाहे कि हम बहुमत में हैं इसलिए इसको टुकरा देते हैं, लेकिन अल्प मत में होते हुए भी हम विरोधी पक्ष के सदस्य राज्य सरकार की कमजोरियों को रखेंगे, उनके द्वारा की हुई खराबियों को रखेंगे, बड़े जोरों के साथ रखेंगे, हमारी आवाज और भावना को कुचला नहीं जा सकता, चाहे कोई भी सत्ता हो, हम अपनी भावना को व्यक्त करने से डरने वाले नहीं है।

(विरोधी पक्ष द्वारा करतल-ध्वनि)

उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह आता है कि यदि मैं यह कहूं तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी कि इसी प्रसंग में जब राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जयपुर उद्योग लिमिटेड के बारे में चर्चा की गई थी तो उस समय जयपुर उद्योग लि० के रिप्रेज़ेन्टेटिव्ज़ यहां आये थे और इसी सदन के बाहर वे सदन के सदस्यों से मिले थे और उन्हें कहा था कि १७ तारीख को सवाई माधोपुर में एक पार्टी की व्यवस्था की गई है और उनको रणथम्भोर और फेक्ट्री भी दिखायी जावेगी। तो कई सदस्यों ने वहां जाने के लिए नाम दिया। मुझे इससे कोई रस नहीं था कि मैं पार्टी में जाऊं अथवा भ्रमण करूं, लेकिन मुझे लगा कि आखिर यह आयोजन किस कारण से किया गया है? पता लगा कि इस पार्टी का आयोजन, रणथम्भोर के किले का भ्रमण, केवल यह भ्रमण एक ही बात को ध्यान में रख कर कराया जा रहा है, वह कोई प्रेम के कारण नहीं, सीमेंट फेक्ट्री को दिखाने के कारण नहीं, केवल मुंह बन्द करने के नाम पर यह आयोजन किया गया था। ("शेम—शेम" की आवाज) इसलिए मैं उन सदस्यों से निवेदन करूंगा कि १७ तारीख को जाने वाली पार्टी यह समझ कर जावेगी तो राज्य सरकार के लिए लाभदायक बात होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसमें दो—चार छोटी इन्डस्ट्रीज़ की भी बातें कहूंगा। वह कुछ शुभ प्रसंग हो, इसलिए अभी न कह कर केवल एक बात प्रस्तुत करना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : वह समय कब आ जायगा?

श्री भैरोंसिंह : कल आ जायगा। नागर साहब को भी टाइम दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : मेरा ख्याल है माननीय सदस्य इस तरह से नहीं कहें।

श्री भैरोंसिंह मैं उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी राज्य सरकार ने कुछ अर्थ-संग्रह करने की व्यवस्था की है और उस व्यवस्था के अन्दर काश्तकारों के ऊपर बोझ डालने की कोशिश की गई है। मैं इस बात में अधिक जाना पसन्द नहीं करता। जो कल फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने इस सदन में कहा कि बैकडोर से काश्तकारों के ऊपर टैक्स लगाने की व्यवस्था की है। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, एक बात कहूंगा कि हम बैटरमेंट लेवी के नाम से, इर्रिगेशन चार्जेज़ के नाम से और केश क्रोप पर भी टैक्स लगाना आदि तरह—तरह के टैक्स काश्तकारों के ऊपर इम्पोज़ करना

(श्री भैरोंसिंह)

चाहते हैं और यह सूझ कोई राजस्थान सरकार की नहीं है बल्कि हमारे प्लानिंग कमीशन के सामने यह प्रसंग आया और प्लानिंग कमीशन ने राज्य सरकार को खुले शब्दों में तो नहीं बल्कि अस्पष्ट शब्दों में यह धमकी दी है कि यदि इर्रिगेशन लेवी रियालाइज़ नहीं की गई तो इस मद में जितनी सहायता राज्य सरकार को मिलती है वह नहीं मिल पायेगी। यह उसी का नतीजा है कि हमारी राज्य सरकार ने टैक्स लगाने की एक व्यवस्था बनाई और उसको हमारे बजट में रखा और आगे वह कैसे लागू किया जायेगा, इसके बारे में राज्य सरकार विचार कर रही होगी। लेकिन इसमें एक बात खास तौर से आपत्तिजनक मालूम होती है और वह है कैश क्रोप पर टैक्स लगाने की बात। राज्य सरकार यह चाहती है कि जितनी भी कैश क्रोप हैं उन पर टैक्स इम्पोज़ किया जाय। राज्य सरकार ने सोचा कि डाइरेक्टली तो इसे इम्पोज़ नहीं किया जाय बल्कि फाइनेन्स कमीशन की आड़ लेकर या उनकी सलाह से किया जाय। इर्रिगेशन के ऊपर एक रुपया फी बीघा बढ़ा दिया जाय। यह बहुत ही आपत्तिजनक बात है। हम काश्तकारों से लगान लेते हैं, उनसे एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स लेते हैं, बैटरमेंट लेवी लेते हैं, पंचायत टैक्स उनसे वसूल करते हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड टैक्स वसूल करते हैं और जितने भी सेन्टर के और राजस्थान सरकार के इन्डाइरेक्ट टैक्सेज़ हैं वह सब काश्तकारों से वसूल करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले यह देखना होगा कि क्या आज के काश्तकार की ऐसी स्थिति है कि वह इतना टैक्स दे सकता है। हम हर हालत में अपने फाइनेन्सेज़ को मीट आउट करने के लिए राजस्थान के काश्तकारों से और ज्यादा रुपया लें यह कहां तक उचित है।

मैं समझता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार चाहे इस बात के लिए अभिमान करती हो और कर भी सकती है जैसा कि माननीय मुख्य मन्त्री जी ने अभी थोड़े दिन पहले कहा था कि इतिहास में सोने के अक्षरों से यह लिखा जायेगा कि मेरे काल में जागीरदारी समाप्त हुई। यह हो सकता है बशर्ते कि बाकी के सारे कारनामे यदि अच्छे हों। अगर बाकी के और कारनामे अच्छे हुए तो वह सारी बातें सुनहरी शब्दों में लिखी जायें लेकिन उन सुनहरी शब्दों के पीछे अगर आप राजस्थान के किसान का शोषण करना चाहेंगे और तरह तरह के कर लगाना चाहेंगे तो काश्तकार इस बात से राजी नहीं हो सकता और ऐसी स्थिति में जब कि अनेक कर उसे देने पड़ेंगे वह अपनी स्थिति को कभी सुधार नहीं सकता। चाहिए तो यह था कि आज काश्तकारों के ऊपर जो खालसा एरिया के अन्दर या जागीरी एरिया के अन्दर इर्रिगेशन के ऊपर जो रेट्स हैं और उनमें जो डिसपैरिटी है वह खास तौर से खत्म करें। उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर स्टेट की किसी भी तहसील में जाइए, उसमें जो पहले सैटलमेंट हो गया और जो आज का सैटलमेंट है इन दोनों में अन्तर है। जहां पहले का सैटलमेंट है और वहां स्टेट का पहले सैटलमेंट हुआ उसका पैसा कहीं ज्यादा है तो कहीं कम है। बल्कि नये सैटलमेंट में काफी अन्तर है। तो प्रश्न आता है कि एक ही किस्म की जमीन के ऊपर, काश्त करने वाले व्यक्तियों से, एक ही तहसील के अन्दर बसने वाले व्यक्तियों से, एक ही जगह दो खेत बोने वाले व्यक्तियों से एक को तो कम देना पड़े और दूसरे को ज्यादा देना पड़े मैं समझता हूं कि हमारी राज्य सरकार को इस

(श्री भैरोंसिंह)

सारी टैक्सेशन पॉलिसी के संबन्ध में जो कि खासकर के काश्तकारों से टैक्स वसूल किया जाता है एक कमेटी बैठा कर विचार करना चाहिये। वह देखें कि काश्तकार आज का कितना टैक्स दे सकता है, क्या उसकी आज आर्थिक स्थिति है, उसके ऊपर कितनी बैटरमेंट लेवी इम्पोज़ की जा सकती है और इस तरह के टैक्स इम्पोज़ करने के बाद में उसकी क्या स्थिति रहेगी, इन सारी बातों पर गम्भीरता से विचार करना होगा। इन सारी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक इस प्रकार की कमेटी अपोइन्ट करनी चाहिये जो काश्तकारों में घूमकर उनकी सारी स्थिति का ज्ञान प्राप्त करे और सरकार को यह सलाह दे कि आज के काश्तकार की क्या स्थिति है और कितना टैक्स वह दे सकता है। लेकिन उन सारी बातों पर ध्यान देते हुए फाइनेन्स कमीशन ने जो सुझाव दिया है कि एक रुपया प्रति बीघा काश्तकार से कैश क्रोप पर टैक्स के रूप में ले लिया जाय उपयुक्त नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, इन बहुत से टैक्सों से काश्तकारों की स्थिति खराब हो जायेगी और वह दूसरी जगह चले जायेंगे। ऐसी स्थिति में हम काश्तकार के ऊपर बैटरमेंट लेवी इम्पोज़ करें या कैश क्रोप में लगान बढ़ाने की व्यवस्था करें इससे पहले राजस्थान सरकार को चाहिए कि उनकी वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए एक कमेटी अपोइन्ट करे।

अब मैं ट्रान्सपोर्ट के बारे में कहूं कि ट्रान्सपोर्ट विभाग के बारे में बोलते हुए कल फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि ट्रान्सपोर्ट का नेशनेलाइज़ेशन होना चाहिये। मैं कहता हूं कि उन्होंने बोलते हुए यह भी कहा था कि ट्रान्सपोर्ट विभाग के परमिट सिस्टम को खत्म कर दिया जाय। तो उन जैसे व्यक्ति का सुझाव और जब कि उनको सिरोही ट्रान्सपोर्ट सर्विस का सारा ज्ञान है; जो जो हमारे नेशनलाइज्ड रूट्स थे उनका क्या हाल हुआ। बल्कि यह कहना चाहिये कि टोंक में ट्रान्सपोर्ट के लिए परमिट इसलिए दिये गये कि घाटे की पूर्ति हो जाये और इसलिए वह एक प्राइवेट आदमी को दिया। तो ऐसी राष्ट्रीयकरण की स्थिति में मैं समझता हूं कि यदि सरकार ने ट्रान्सपोर्ट को नेशनलाइज़ किया तो कोई फायदा नहीं होगा। बल्कि फायदा तो होगा जब कि आप परमिट सिस्टम को तोड़ दें और जो व्यक्ति जहां मोटर चलाना चाहे चलाये सिर्फ वह सरकार से उसकी इजाजत ले ले कि मैं फलां फलां जगह इसे चलाना चाहता हूं। यदि परमिट सिस्टम को तोड़ दिया जाय तो मैं समझता हूं कि राज्य सरकार की ट्रान्सपोर्ट की मद में आमदनी बढ़ेगी। जो लोग ट्रान्सपोर्ट में विकास करना चाहते हैं या उसमें वृद्धि करना चाहते हैं वह सब व्यक्ति गाड़ियां खरीद कर जहां चलाना चाहें चला सकेंगे। इससे सरकार को काफी आमदनी होगी और लोगों को भी इससे काफी राहत मिलेगी। लेकिन हमारी राज्य सरकार की ओर से दलील दी जाती है कि जितने भी मालदार आदमी हैं वह गाड़ियां खरीद लेंगे और गरीबों को इस धंधे में से निकाल देंगे। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज भी बता दूं कि जोधपुर के अन्दर एक-एक आदमी के पास बीस बीस गाड़ियों के परमिट हैं। जो पैसे वाले हैं वह तो आज भी मन चाहे जितने परमिट ले लेते हैं। मैं उस बात का हवाला नहीं देते हुए कि किस प्रकार से इन परमिटों को प्राप्त करने के लिए पैसा दिया जाता है अपनी ही बात कहना चाहूंगा। वैसे वे सारी बातें सदन

(श्री भैरोंसिंह)

में कई बार आई हुई हैं और यदि सदन इस पर कुछ सुनना चाहेगा तो जब डिमाण्ड्स का समय आयेगा तो ये भी बातें कही जायेंगी। लेकिन प्रश्न इतना नहीं है। प्रश्न यह है कि आज का जो पर्मिट सिस्टम है उससे राजस्थान सरकार की आय बढ़ती है या नहीं? मैं समझता हूँ कि इस पर्मिट सिस्टम को तोड़ दिया गया तो राजस्थान सरकार की इन्कम बढ़ेगी। इसके अलावा इसमें जो आज भ्रष्टाचार फैला हुआ है वह बढ़ता है या कम होता है, अगर इसकी ओर भी देखें तो, अगर यह तोड़ दिया जाय तो भ्रष्टाचार कम होगा।

एक माननीय सदस्य : इससे तो बंगले बनते हैं।

श्री भैरोंसिंह : बंगले बनाने के लिए पर्मिट की आवश्यकता नहीं है, उनके लिए तो पर्मिट देने पर आये हुए पैसे की जरूरत होती है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं सदन की कार्यवाही कल तारीख १४-३-५८ के ११ बजे तक के लिए स्थगित करता हूं। बंगले वगैरह के बनाने की बात कल करेंगे।

(हंसी०)

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायं ५ बजे कल दिनांक १४ मार्च, १९५८ के म. पू० ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

संक्षिप्त-विवरण

(गुरुवार, १३ मार्च, १९५८)

	स्कम्भ		स्कम्भ
तारांकित प्रश्नोत्तर	३३२४	ट्रैक्टरों का रजिस्ट्रेशन ।	
भूस्वामियों के जब्त के लिए गये हथियार ।		राजस्थान को प्रदत्त लोहे और फौलाद की मांग ।	
यातयात विभाग की मंत्रियों के नाम बकाया रकम ।		पुलिस ऑफिसर, भीम ।	
पंचायतों के हिसाब का निरीक्षण ।		जंगलों के ठेके ।	
पहाड़ी क्षेत्र में चराई की दरें ।		राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर ।	
सड़क निर्माण ।		प्रिवेन्शन ऑफ फूड एडेल्ट्रेशन एक्ट, १९५४ के अन्तर्गत ली जाने वाली लाइसेन्स रिन्युअल फी ।	
सरपंच, हमीरवास, त० राजगढ़ (चूरू) ।		सहकारी समिति ।	
जिला बोर्ड, जयपुर द्वारा अग्नि पीड़ितों को दी गई सहायता ।		नेत्र चिकित्सालय, नवलगढ़ ।	
बंदियों को दी जाने वाली भोजन सामग्री ।		सड़क निर्माण ।	
भेड़ व बुनाई कताई समिति, ग्राम तेना (शेरगढ़) ।		लघु सिंचाई योजना ।	
नगरपालिका, बीकानेर ।		पशु चिकित्सालय ।	
चलते-फिरते चिकित्सालय ।		सड़क निर्माण ।	
हरिजनों को सार्वजनिक जलाशयों से पानी न भरने देने संबंधी मामले ।		हत्यायें—जिला पाली ।	
जल बोर्ड ।		भरतपुर के किले और नहर की चारदीवारी की मरम्मत ।	
महिला डाक्टर ।		अनुपस्थिति के लिये अनुमति	३३७६
बस सर्विस ।			
जेल अधिकारी, सीकर ।			
जल बोर्ड ।			
विद्युत् व्यवस्था ।			
नगरपालिका, भरतपुर ।			
प्रसूतिगृह, चित्तौड़ ।			
जुए सम्बन्धी मामले ।			
नगरपालिका की स्थापना ।			

निम्नलिखित सदस्यों को सभा की बैठक से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की गई :—

(१) श्री मोडूलाल
दिनांक १२-३-५८ से १३-३-५८ ।

(२) श्री नारायणसिंह मसूदा
दिनांक १०-३-५८ से १५-३-५८ ।

(३) श्री रावतराम
दिनांक १३-३-५८ से ५-४-५८ ।

Page No.107

स्कम्भ

आय व्ययक भाषण पर सामान्य वाद-विवाद

आय-व्ययक, १९५८-५९, पर आज भी सामान्य वाद-विवाद जारी रहा जिसमें निम्नांकित सदस्यों ने भाग लिया :—

(१) श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा।
(२) श्री टीकाराम पालीवाल।
(३) राजा श्री मानसिंह।
(४) श्री बरकतुल्लाह खां।
(५) श्री मदनसिंह दांता।
(६) श्री जनार्दनराय नागर।

३३८० श्री भैरोंसिंह (१४) का भाषण जारी था कि सदन की बैठक स्थगित की गई।

स्कम्भ

शुक्रवार, दिनांक १४ मार्च, १९५८ की कार्य-सूची

आय व्ययक पर अग्रेतर सामान्य वाद-विवाद।

परिशिष्ट १

(कृपया प्रश्न संख्या ५४२ का उत्तर देखिये)

LIST 'A'

BAYANA-BHUSAWAR-MANDAWAR.

1. Shri Yogesh Chandar Puri.
2. ,, Devi Prasad Babu Lal.
3. ,, Pritam Kaur w/o Rameshwami.
4. ,, Mohindar Kumar s/o Shri Bijnath.
5. ,, Kishori Lal Pooran Mal.

BHARATPUR-PAHARI.

1. Shri Girraj Prasad Goswami.
2. ,, Pritam Singh.
3. ,, Ram Chandar, S. Nankani.
4. ,, Gopal Das Goyal s/o Badri Prasad.
5. ,, Smt. Pratap Kaur.
6. ,, Kr. Jagmohan Singh.
7. ,, Jagmohan Singh.
8. ,, Veerbarain Raghuvir Singh.
9. ,, Kr. Jagmohan Singh.
10. ,, Sanwal Prasad Chaturvedi.
11. ,, Devi Prasad Babu Lal
12. ,, Babu Lal Bhonia mal
13. ,, M/S Deep Chand Chhuttan Lal.
14. ,, Uma Shankar Agarwal Fakir Chand.
15. ,, M/S Chaman Singh Pratap Singh.

BHARATPUR-NADBAI.

1. Shri Chhatar Singh.
2. ,, Gyasi Ram.

DEEG-NADBAI.

1. Shri Heera Lal.
2. Motor Workers Co-operative Society.

BHARATPUR-BHUSAWAR.

1. Shri Babu Lal Gupta.
2. ,, Hari Ram Gopal Das.
3. ,, Ram Chandra Kedar Nath
4. ,, Ram Ratan Sharma.

BHARATPUR-BAYANA.

1. Shri Hari Shankar Gurdayal.
2. „ Devi Prasad Babu Lal.
3. „ Sardar Sarwan Singh.
4. „ Manohar Lal.

MATHURA-KAMA-KOSI.

1. Jain Transport & Gen. Trading Co.
2. Shri Brij Lal.
3. „ Deep Chand.
4. Janta Co-op. Tr. Society.

DHOLPUR-AGRA.

1to 4. Dholpur Motor Transport Association.
5. Shiv Narain Agarwal.
6. Ch. Khajan Singh.
7. Ramesh Chand
8to. 9. Dholpur Co-operative Society,
10. Mohan Lal Sharma. } Not Countersigned.
11. Raghuver Saran Rastogi }

AGRA-DHOLPUR-GWALIOR.

1. Tikam Singh.
2. Radhey Lal Sarin.

YEAR. 1954.

RAJAKHERA-SIDAKAPURA.

1. Shri Chabi Ram.

BASERI-ROOPBAS.

1. Shri Girraj Singh Brijpal Singh.
2. Smt. Dayawati Pandey.

BHARATPUR-AGRA.

1. Shri Panch Bus Service.
2. „ Virendra Pal Singh Balramanand.
3. „ Devi Sahai Gusain.
4. Bharatpur Motor Workers Co-operative Socy.

YEAR 1955.

DHOLPUR-BASERI VIA BARI.

1. Shri Jagdish Prasad S/o Ram Lal.
2. Dholpur Motor Transport Assn.
3. Sri Ram Lal S/o Babu Ram.
4. „ Ganga Chandra.
5. „ Kishan Gopal Misra.
6. „ Kishan Singh.

7. Shri Swami Saran.
8. „ Siya Ram Pandey.
9. „ Shiv Singh.

DHOLPUR-BHARATPUR-VIA BASERI.

1. Shri Ch. Khajan Singh.
2. „ Chhatarpal Singh.

DHOLPUR-RAJAKHERA UP TO RAJASTHAN BORDER.

1. Shri Raghuvir Saran.
2. „ Munna Khan.
3. „ Tikam Singh (S. T. A.)
4. „ Rajni Kant.
5. Smt. Kshama Devi.
6. „ Brijendra Singh.

BAYANA-RUPBAS VIA BRAHMABAD, SUFA, JHAMILA, RUDAWAL.

1. Shri Sarad Kumar.
2. „ Lalta Prasad.

BAYANA-BAGREN VIA SIKENDRA, GAZIPURA.

1. --

BASERI-RUPBAS.

1. Smt. Daya Wati Pandey.
2. Shri Girraj Singh Brij pal Singh.

DEEG-NAGAR-SIKRI.

1. Shri Suresh Chandra Jagdish Prasad.
2. „ Chandra Shekhar.

DHOLPUR-NAWABKIBASSI VIA SAPAU.

1. Shri Hardeo Parsad.
2. M/s Dholpur Motor Transport Co.
3. Shri Sahzada Prasad Sarin.

DHOLPUR-NAWABKIBASSI VIA MALANA.

1. Shri Kishan Lal.

SIRMATHURA-KARAULI.

1. Shri Mohan Lal Sharma.
2. Smt. Janki Devi W/o Shri Nathu Lal.

BHARATPUR-RUPBAS.

1. Shri Mithan Lal Niranjan Lal.
2. „ Gopal Das Radharaman,

YEAR 1956

BAYANA-BHUSAWAR extended upto Mandawar.

1. Shri M/s Kishori Lal.
2. ,, Yogesh Chandra Puri.
3. ,, Pritam Kaur.
4. ,, Mahendra Kumar.

BHARATPUR KAROLI VIA Bayana, Hindaun.

1. Shri Niranjan Lal.
2. ,, Kamal Singh.
3. ,, Tej Singh.
4. ,, Chhatra Pal Singh.
5. ,, Madhoprasad (By S. T. A.)
6. ,, Pooran Chand Govind Ram (S. T. A.)
7. ,, Deen Dayal Sharma.
8. Verma-Motors (S. T. A.)

BHARATPUR-MATHURA.

1. Shri Friends Bus Service.
2. ,, Nathu Lal Sharma
3. ,, Hira Lal.

SAPAU-BASREI.

—

BHARATPUR-GOVERDHAN.

1. Shri Lalta Prasad.
2. ,, Prakash Chandra Bansal.

BHARATPUR NAGAR VIA DEEG.

1. Shri M/s Kamal Singh Pritam Chand.
2. ,, Ram Prasad.
3. ,, Ramesh Chand.
4. ,, Manmohan Lal.
5. ,, Motor Workers Co-op. Socy.
6. ,, Laxmi Kant.
7. ,, Beni Ram.
8. ,, Dhani Ram.
9. ,, Babu Lal Gupta.
10. ,, Girraj Prasad.
11. ,, Sampuransingh.
12. ,, Manak Chand Remesh Chand.
13. ,, Jagmohan Singh
14. ,, -do-
15. ,, Ranjit Singh.

DHOLPUR-SIRMATHURA

1. Shri Mohan Lal.
2. „ Daya Sagar.
3. „ Manohar Nath.

NAGAR-NADBAI.

1. Shri BeliRam

BHARATPUR-KATHUMAR VIA KUMHER. SINSINI.

परिशिष्ट २

(कृपया प्रश्न संख्या ५४५ का उत्तर देखिये)

जिला बीकानेर में अपूर्ण कामों की सूची

तहसील नोखा

१.	बन्धाला	नया कुआ
२.	लालमदेसर बड़ा	नया कुआ
३.	नाथूसर	कुआ मरम्मत
४.	जागलू	नया कुआ
५.	दावा	नया कुन्ड
६.	बूंधड़ा	नया कुआ
७.	टींगसरी	नया कुआ
८.	कुचौर अगूणी	नया कुआ
९.	गट्टू	नया कुआ
१०.	कूदसू घोरेवाला	नया कुआ
११.	थावरिया	नया कुआ

तहसील मगरा

१.	राणासर	नया कूप
२.	नगरासर	नया कुआ
३.	मिठडिया	नया कुन्ड
४.	खाडूसर	नया कुआ
५.	मंडाल चारनान	नया कुआ
६.	संभु का बुर्ज	नया कुआ
७.	लाडालाना	नया कुआ
८.	विजयसिंहपुरा	नया कुआ
९.	लम्बाना मूलवान	नया कुआ
१०.	रणजीतपुरा	कूप मरम्मत

तहसील बीकानेर

१.	लालूसर	नया कुन्ड
२.	शोभासर	नल कूप
३.	हिम्मतासर	कूप मरम्मत
४.	रामसर	नया कुआ
५.	खारा	नया कुआ
६.	बरजू	नया कुआ
७.	रामसर पूंगलपट्टी	नया कुआ
८.	लणखा	नया कुआ

९.	खींचिया	नया कुआ
१०.	आम्बासर	नया कुआ
११.	गोगलीवाला	नया कुआ

तहसील लूणकरणसर

१.	फलेजी	नई डिग्गी
२.	सोढवाली	नव कूप
३.	शुभालाई	नई डिग्गी
४.	कूजटी	नया कुआ

जिला चूरू में अपूर्ण रहे कामों की सूची

तहसील राजगढ़

१.	बींजाबास	कुआ मरम्मत
२.	नांगाल बडी	,,
३.	गालड	,,
४.	ग्वालीसर	नव कूप
५.	इन्दासर	कुन्ड

तहसील श्री डूंगरगढ़

१.	उदरासर	अधूरा कुआ
२.	घोलिया	नया कुआ
३.	ढुकरियासर	पक्का तालाब
४.	बिग्गा	अधूरा कुआ

तहसील सुजानगढ़

१.	अमरसर	अधूरा कुआ
२.	बम्बू	कुआ
३.	हनुमानपुरा	अधूरा कुआ
४.	लूडी (हरिजन)	,,
५.	बागसरा आथूना	,,
६.	गेडाप	नया कुआ
७.	ढिंगरिया	अधूरा कुआ
८.	घोटाल बखडी	नया तालाब
९.	आसीना	पम्प फिटिंग
१०.	स्थानण	नया कुआ

तहसील चूरू

१.	दूधवा खारा	नया कुण्ड
२.	सहजसर	अधूरा जौहडा
३.	चल कोई	नया कुण्ड

तहसील रतनगढ़

१.	घुमान्दा	कूप मरम्मत
२.	हरदेसर	अधूरा कुआ
३.	बछरारा	नया कुआ
४.	खुडेरा बडा	नया कुण्ड
५.	ऋषिकुल	कूप मरम्मत
६.	जान्दवा	कुआ मरम्मत
७.	बरजांगसर	कुआ मरम्मत

तहसील तारानगर

१.	बिगरान	कुन्ड मरम्मत
२.	अलायला	नया कुन्ड
३.	झांझनी	,,
४.	कुम्हारों की ढाणी	,,
५.	मदास	,,
६.	डाबडी	,,
७.	पडेरेऊ ताल	,,
८.	ढाणा भाकरान	,,

तहसील सरदारशहर

१.	सावर	नया कुआ
२.	धीरासर	नया कुण्ड
३.	बेजासर	कुआ मरम्मत
४.	गोमटिया	नया कुआ
५.	म्हेरी	नया कुआ
६.	बोगराबास दिखनादा	,,
७.	भोजासर	,,
८.	जेतसीसर	,,
९.	आसासर	अधूरा कुआ
१०	रायपुरा	कुआ मरम्मत
११	फोगा	कुआ मरम्मत
१२	सिंगडी	,,

३५४६

परिशिष्ट ३

(कृपया प्रश्न संख्या ५५५ का उत्तर देखिए)

ठेका जिला जयपुर

नं०शु०	नाम रेंज	नाम कूप	नाम ठेकेदार	रकम
१	जमवा रामगढ़	छोटा बड़ा सायका डिगोता	श्री रहमी बख्श	२०४००)
२	जमवा रामगढ़	कूप दहाना डिगोता	श्री वजीर मोहम्मद	१६७००)
३	जमवा रामगढ़	कूप मरदा लकड़ी गोपाल गढ़	श्री अब्दुल रहीम	२६०००)
		१६५३-५४		
४	जमवा रामगढ़	कूप कुंवाड़ की डिगोता	श्री अब्दुल गफूर	२०४२२)
५	जमवा रामगढ़	कूप खोरा सन्त्या नाथ जी डिगोता	श्री वजीर मोहम्मद	१८१०५)
		१६५४-५५		
६	जमवा रामगढ़	कूप काला दांता डिगोता	श्री रामकृष्ण	१००२६)
७	जमवा रामगढ़	कूप चांदारी पाज	श्री मानसिंह	१६५०१)
		१६५५-५६		
८	जमवा रामगढ़	कूप वामनी वाला नं० १	श्री राम प्रकाश राजेन्द्र सिंह	१८००१)
६	जमवा रामगढ़	कूप धामनीवाला नं० २	श्री रामप्रकाश राजेन्द्रसिंह	१३८०५)

अ—वन विभाग द्वारा दिये गये ठेकों की सची

ब—जागीर जंगलों के ठेकों की सूची

ठेके जिला सवाई-माधोपुर

न०शु०	नाम रेंज	नाम कूप जंगल	नाम ठेकेदार	रकम
१	२	३	४	५
		१६५२-५३		
१	सवाई माधोपुर	नाल घाटी फूटा कोट	श्री जयसिंह, भैरूंसिंह	२६,१११
२	सवाई माधोपुर	सतपोल बनी किला	श्री सरदार अहमद	८५००
३	सवाई माधोपुर	जामौदा बंदीपाल	श्री सरदार अहमद	१५,०१०
४	सवाई माधोपुर	नीमली न० २	श्री अब्दुल गफूर	१३१५१
५	सवाई माधोपुर	मदलाव न० १	श्री भगवान दास	११६०१

१	२	३	४	५
६	सवाई माधोपुर	मदलाव नं० २	श्री भगवान व रामजीलाल	२००३१
७	खंडार	कूप छंदाली	श्री आत्माराम शमशेरसिंह	३७००१
८	कराकोट	कूप दरा कोट	श्री मौरीलाल	१३५४५
६	एजन	लंगड़ी माताजी	श्री अलूखां	१८४०७
		१६५३-५४		
१०	सवाई माधोपुर	नाल घाटी फूटा कोटा	श्री सम्मतसिंह, पूरनसिंह	२३००१
११	खंडार	कूप बालाजी वाली	श्री शमशेरसिंह मौरीलाल	२३००१
१२	खंडार	मींडकी खोह	श्री अमीन हुसेन	१६६११
१३	खंडार	कूप भैरूजीवाली	श्री अलूखां अलादीन	१७१६७
		१६५४-५५		
१४	सवाई माधोपुर	मदलाव नं० ३	श्री अमीर हुसेन	२३६७१
१५	सवाई माधोपुर	महाको नं० २	श्री आत्माराम मोतीसिंह।	११११०१
१६	सवाई माधोपुर	नाल घाटी नं० ३	एजन	२२७०१
१७	सवाई माधोपुर	नीमली कला नं०२	श्री भूरामल नाथूमल	१६१०१
१८	खंडार	कूप बासोली नं० ३	श्री सम्मपतसिंह पूरनसिंह	३४००२
१६	खंडार	कूप किरोडा खेडा	श्री अलादीन मोहम्मद इस्माइल	८१५५
२०	खंडार	कूप करोंदी कुई	श्री रामजीलाल भूरामल	१७१५५
२१	खंडार	कूप बासोती नं० ३	श्री सम्मतसिंह पूरनसिंह	२४०७१
		१६५५-५६		
२२	सवाई माधोपुर	नाल घाटी नं० ४	श्री सम्मतसिंह पूरनसिंह	२६६४१
२३	सवाई माधोपुर	नीमली से बालाबास	श्री मौरीलाल ओमप्रकाश	१०७५०
२४	सवाई माधोपुर	मदलाव नं० ४	श्री अब्दुल रहमान जहूर मोहम्मद	१७००१
२५	खंडार	कूप बासोली नं० ४	श्री सम्मतसिंह पूरनसिंह	१५००५
२६	खंडार	कूप बासोती नं० ५	श्री अमीर हुसेन	६३०००
२७	खंडार	अंदाली औदी की खोद	श्री आत्माराम मोतीसिंह	१३३११
२८	खंडार	बाजनी डूंगरी	श्री भूरामल नाथलाल	२६७११
		१६५६-५७		
२६	सवाई माधोपुर	नीमली नं० ६	श्री भूरामल	१२१०१
३०	सवाई माधोपुर	कुन्डाला	श्री शहाबुद्दीन	२६००१

१	२	३	४	५
३१	सवाई माधोपुर	नाल घाटी	श्री सम्मतसिंह पूरनसिंह	३५०११
३२	सवाई माधोपुर	मदलावा न० ५	श्री मोतीसिंह आत्माराम	२१००१
३३	सवाई माधोपुर	औंरज के पेड	श्री कमरूद्दीन	६७३२
३४	सवाई माधोपुर	छागन इमारत लकड़ी	श्री गुलाबखां	१७२५
३५	सवाई माधोपुर	लकड़ी पटाल की डूंगरी	श्री सरदार अहमद	१४११
३६	सवाई माधोपुर	कुवाड मेरु	श्री हमीर हुसेन	२०११
३७	खंडार	बांसोती न० ६	श्री अमीर हुसेन	२०११६
३८	खंडार	छुंदालो ओदी की खोह	श्री सम्मतसिंह पूरनसिंह	२००७५
३९	खंडार	कूप बाजनी डूंगरी लकड दी	श्री रफीक मोहम्मद इब्राहीम	३२६०१
४०	खंडार	मीना खांड न० २	श्री सलावतखां	२०००१
४१	खंडार	दरख्तान खैर छागन	श्री जगदीशकुमार	४०००१
		१९५७–५८		
४२	सवाई माधोपुर	मदलाव	श्री फजल अहमद	३७०१२
४३	सवाई माधोपुर	नालघाटी	श्री सम्मतसिंह	६२००२
४४	खंडार	बासोती न० ७	श्री अमीर हुसेन	२४०११
४५	खंडार	नील डूंगरी	श्री सम्मतसिंह	४११०१
४६	खंडार	पुरानी पानी बेरदा	श्री अमीर हुसेन	३२५११

सूची (ब)

क्र० सं०	नाम रेंज		नाम जागीर जंगल	नाम ठेकेदार	राज्य आज्ञा संख्या व दिनांक	विशेष विवरण
१.	सवाई माधोपुर	जिला	जंगल भैरूंपुरा ठि० इसरदा	श्री भैरोंसिंह	१६८३७।एफ।१६।६३।एग्री।५५ ता० २०-१०-५६	से ठेके जागीरों से संबंधित हैं। न कि वन विभाग से इस कारण ये ठेके संबंधित जागीरदारों ने उक्त ठेकेदारों को बाला बाला दिये हैं। और कुल मामलों में बाकायदा पट्टे भी हैं। जिसके अनुसार ये जंगल बेचे गये हैं। इन पट्टों में ठेके की रकम भी लिखी होती है। लेकिन पट्टे इस कार्यालय में नहीं हैं। क्यों कि ठेके की रकम की वसूली जागीरदार ने ही की है ऐसी स्थिति में रकम नहीं बतलाई जा सकती राज्य आज्ञा में अंकित शरायतों के अनुसार कटाई की आज्ञा दी गई है।
२.	सवाई माधोपुर	सवाई मा	जंगल इसरदा की लाभाल और लोड की डूंगरी	श्री गुलाबखां	बी।१४२।एफ१५।२२३।रैव०।एफ।५६ ता० २४-१-५७	
३.	सवाई माधोपुर	धो	जंगल भैरूंपुरा	श्री केशव मोहनलाल	१६८३७।एफ।१६।६३।एग्री।५५ ता० १६-१०-५६	
४.	सवाई माधोपुर	पुर	जंगल भैरूंपुर ठि० इसरदा	श्री सरदारअहमद	१६८३७।एफ।१६।६३।एग्री।५५ ता० २०-१०-५६	
५.	जमवारामगढ	जि ला	जंगल नीमी ठि० दूनी	श्री इन्दूखां कमरूद्दीन	एफ १५।१२५।रैव०।ए।५६ ता० ३१-१०-५६ (पुनर्ग्रहित नहीं हुई)	
६.	जयपुर	जय	जागीर नींदड जयपुर	श्री रावल सुरेन्द्रसिंह	१४६१८।एफ।१६।२८।एग्री। ता० १४-६-५६ (पुनर्ग्रहित नहीं हुई)	
७.	बैराठ	पु	मिश्रावास	श्री माफीदार मिश्रावास	डी ४६७६।एफ।३४।२७४।रैव।५३ ता० १२-५-५५	
८.	जयपुर	र	कूकस	श्री अब्दुल गफूर	एफ १६ (१०) रेव० ५३ ता० १०-५-५४	
६.	खंडार	जिला	बसी	श्री आशिक अली मुबारिक अली		
१०.	सवाई माधोपुर	सवाई	मंदरेडी	श्री फरारतअली गोकुलचन्द	।डी।६० फोर।५२ ता० ७-१-५२	
११.	,, ,,	माधो	बलवन	श्री रामनाल छीतरसिंह		
१२.	,, ,,	पुर	पटाल की डूंगरी	श्री मोतीसिंह रामजीलाल	एफ १ (१४६) फोर ५१ ता० २४-६-५१	

परिशिष्ट ४

(कृपया प्रश्न संख्या ५६१ का उत्तर देखिये)

सूची

क्रम संख्या	संख्या समितियां	किस्म समितियां	मुख्यतः जो कार्य कर रही हैं
१.	१	केन्द्रीय सहकारी बैंक	समितियों को कर्जा देने का कार्य करता है।
२.	६६	बचत व साख समितियां	सदस्यों को कर्जा देने का कार्य व उनमें बचत की भावना उत्पन्न करना।
३.	१००	बहुधन्धी सहकारी समितियां	सदस्यों को कर्जा देना व बीज, खाद व कृषि यन्त्रों का वितरण करना व सदस्यों की पैदावार को बेचने का प्रबन्ध वगैरह करना।
४.	१४	बृहत् /बहुउद्देशीय सहकारी समितियां	सदस्यों को कर्जा देना, उनकी उपज को एकत्रित करने व बेचने का प्रबन्ध करना, बीज खाद व कृषि यन्त्रों का वितरण करना वगैरह।
५.	३	केन्द्रीय फेडरेशन व क्रय विक्रय संघ	सूत वितरण करना, समितियों से व बाहर से माल क्रय करना व सुरक्षित रखने का प्रबन्ध करना व अग्रिम ऋण देना व माल को बेचने का प्रबन्ध करना।
६.	३	कृषि सहकारी समितियां	कृषि कार्य करना, सुधरे हुए बीज, खाद एवं औजारों का प्रयोग करना।
७	२	घास सहकारी समितियां	घास खरीदने व बेचने का प्रबन्ध करना।
८.	२२	क्रय-विक्रय सहकारी समितियां	वस्तुओं का क्रय-विक्रय करना।
९.	२	डेयरी सहकारी समितियां	दूध उत्पादन व क्रय-विक्रय करना।
१०.	४	श्रमिक सहकारी समितियां	सामुहिक रूप से कार्य करना व ठेके पर अन्य कार्य करना।
११.	२	स्कूल सप्लाई सहकारी समितियां	विद्यार्थियों में क्रय-विक्रय की भावना पैदा करने को क्रय-विक्रय कार्य करना।
१२.	५	भेड़ पोषण सहकारी समितियां	अच्छी नस्ल की भेड़ पालना व ऊन से कम्बल वगैरह बनाना आदि।
१३.	६	समाज सुधार व अन्य प्रकार की	समाज सुधार की भावना पैदा करना।
१४.	४	समितियां लोहार समितियां	कृषि यंत्र बनाकर बेचना व अन्य आवश्यक सामान ट्रंक, बाल्टी वगैरह बनाना।

१	२	३	४
१५.	११	चर्म उत्पादक सहकारी समितियां	चमड़े को कमाना व उससे जवे व बूट बनाना, फुटबॉल व वालीबाल तैयार कर बेचना ।
१६.	२	नमक व शीरा उत्पादक समितियां	शीरा बनाने का कार्य करती हैं ।
१७.	३२	बुनकर सहकारी समितियां	कपड़ा बुनने व बेचने का कार्य करती हैं ।
१८.	१	तेल उत्पादक सहकारी समिति	तिल पेरना व शुद्ध तेल बेचने का कार्य ।
१९.	५	इन्डस्ट्रीयल सहकारी समितियां	टोकरी बनाना, झाड़ू बनाना व अन्य कार्य करना ।
२०.	३	उपभोक्ता सहकारी समितियां	कर्मचारियों को ऋण देना ।
२१.	२	मोटर ट्रान्सपोर्ट सहकारी समितियां	यातायात वाहन का कार्य करना-इस समय बन्द हैं ।
कुल योगः—	२८६		

परिशिष्ट ५

(कृपया प्रश्न संख्या ५६३ का उत्तर देखिये)

Statement showing length of pucca road mileage District-wise (State Sector).

S. No.	Name of District.	First Five Year Plan. Target,	Achievement.	Proposed target IInd Five Year Plan
1.	Jaipur.	237	174	342
2.	Sawaimadhopur.	144	105	142
3.	Tonk.	58	41	112
4.	Jhunjhunu.	45	35	102
5.	Sikar.	82	25	254
6.	Alwar.	224	182	171
7.	Bharatpur.	158	119	172
8.	Kotah.	190	144	157
9.	Bundi.	29	29	65
10.	Jhalawar.	69	37	114
11.	Jodhpur.	226	162	195
12.	Nagour.	195	158	237
13.	Pali.	162	148	138
14.	Jalore.	89	95	144
15.	Sirohi.	44	47	66
16.	Barmer.	192	161	181
17.	Jaiselmer.	70	46	95
18.	Bikaner.	9	7	100
19.	Ganganagar.	73	57	298
20.	Churu.	62	44	105
21.	Udaipur.	194	175	316
22.	Chittorgarh.	145	70	216
23.	Bhilwara.	122	95	821
24.	Banswara.	73	52	92
25.	Dungarpur.	50	29	82

परिशिष्ट ६

(कृपया प्रश्न संख्या ५६४ का उत्तर देखिये)

DISTRICT WISE STATEMENT OF M. I. WORKS. (FIRST FIVE YEAR PLAN)

Name of Works. District.	Estimated Cost.	1952-53. Bud.	Exp.	Lapse.	1953-54 Bud.	Exp.	Lapse	1954-55 Bud.	Exp.	Lapse.	1955-56 Bud.	Exp.	Lapse
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Udaipur.		0.12	0.34	0.22	7.39	6.70	0.69	7.49	8.12	0.63	6.87	5.16	1.71
2. Banswara.		—	—	—	2.18	2.79	0.61	1.05	1.02	0.03	1.01	0.63	0.38
3. Chittor Garh.		0.12	0.12	—	1.15	1.156	—	0.60	0.58	002	4.65	2.013	2.64
4. Dungarpur.		0.60	0.50	0.10	6.03	6.05	0.02	0.81	0.56	0.25	0.34	0.25	0.09
5. Bhilwara.		0.20	0.30	0.08	2.59	2.61	0.02	2.77	2.40	0.37	4.49	3.99	0.50
6. Nagaur.		0.10	0.10	—	0.90	0.89	0.01	0.07	0.07	—	—	—	—
7. Pali.		0.02	—	—	0.53	0.66	0.13	0.07	0.39	0.32	—	—	—
8. Sirohi.		—	—	—	0.04	0.02	0.02	0.10	0.14	0.04	3.62	3.31	0.31
9. Barmer.		—	—	—	—	—	—	0.40	0.12	0.28	0.20	0.18	0.02
10. S. Madhopur.		0.09	0.09	—	1.90	1.87	0.03	2.11	1.75	0.36	3.25	3.12	0.13
11. Jaipur.		0.27	0.27	—	3.91	3.35	0.56	0.82	0.62	0.20	0.44	0.15	0.29
12. Tonk.		—	—	—	1.97	1.73	0.24	3.20	2.95	0.25	3.20	2.60	0.60
13. Alwar.		0.09	0.09	—	2.15	2.13	0.02	9.43	6.27	3.16	3.45	3.19	0.26
14. Bharatpur.		0.17	0.09	0.08	7.67	7.51	0.16	2.25	1.66	0.59	2.58	1.72	0.86
15. Bundi.		—	—	—	1.30	1.22	0.08	1.83	1.96	0.13	4.71	5.07	0.36
16. Jhalawar.		—	—	—	0.66	0.64	0.02	—	—	—	0.23	—	0.23
17. Kota.		0.06	0.06	—	4.13	3.35	0.78	0.76	0.86	0.10	1.78	1.29	0.59

परिशिष्ट ७

(कृपया प्रश्न संख्या ५६७ का उत्तर देखिये)

FIRST FIVE YEAR ROAD PLAN (SIKAR DISTRICT.)

	Estimated Cost.	Proposed Expenditure Firsrt Plan.	Actual Expenditure First Plan.
1. Metalled Road from Chomu to Sikar Via Reengus.	9,10,000/-	9,10,000/-	5,31,000/-
2. -do- Sikar to Lachmangarh Fatehpur Ratangarh.	13,00,000/-	2,00,000/-	99,000/-
3. Metalling unmetalled road Shahpura Nim-ka-Thana to Singhana Chirawa-Jhunjhunu.	2,83,100/-	2,83,100/-	2,15,000/-
4. Metalled road from Jhunjhunu to Sikar.	4,30,000/-	1,26,500/-	73,000/-
5. -do- Didwana to Sikar up to Khud Via Losal.	3,60,000/-	1000/-	-
6. -do- Maroth to Danta Ramgarh Sikar.	9,00,000/-	26,000/-	15,000/-
7. -do- Sikar to Salesar.	8,25,000/-	7,85,000/-	2,36,000/-
८. -do- Kanwat to Khandela.	3,50,000/-	61,000/-	10,000/-
9. -do- Patan to Nimkathana.	4,20,000/-	65,000/-	29,000/-
10. Approach Road from Fatehpur Railway Station to Town.	27,297/-	27,297/-	27,297/-
11. -do- Palsana -do-	14,263/-	14,263/-	14,263/-
12. -do- Lachmangarh -do-	14,200/-	14,200/-	8,000/-
13. Metalled road from Ajitgarh to Amarsar.	1,00,000/-	1,00,000/-	1,000/-
Total:--	Rs. 59,33,860/-	Rs. 26,13.360/-	Rs. 12,58,560/-

परिशिष्ट ८

(कृपया प्रश्न संख्या ५६६ का उत्तर देखिये)

New Constructions in Bharatpur District.

S. No. NAME OF THE ROADS.

1. Construction of Bayana Agra Road.
2. Restoring old Imperial Road from Bayana Road to Hindaun mile 9 to 104.
3. Construction of Kaman to Jurhera Road (Kaman to).
4. Construction of Pahari to Jaipur-Agra Via Sikri Nagar Kathoomar Kherli & Halena.
5. Construction of Bhusawar Ballabhgarh road with link road to Nithar from Paisawala. (Pipal to Bhallbhgarh and Nithar Miles 7½ to 10½ from Bhusawar to Talchiri).
6. Metalled road from Nagar to Nadbai.
7. do Bari to Saipau Road.
8. -do- Kherli Sinsine Road near Gordhan Via Kumbher.
9. -do- Basai Dang linking Dholpur Soneka Gurja Road Via Basipura & Birpur.
10. Bitumen treatment of road from Bayana to Bharatpur.
11. -do- -do- to Bhusawar.
12. -do -do- Nagar to Jaipur Bharatpur.

List of existing Roads in Bharatpur District.

S. No. NAME OF THE ROADS.

1. Seola Baretha Road.
2. Bayana Weir Road.
3. Bayana City Road.
4. Weir Bhusawar Road.
5. Bharatpur Jaipur Road.
6. Jhilkawara Road.
7. Akhad Saligram Road.
8. Bharatpur Mathura Road.
9. City Circular Road.
10. Civil Lines Road.
11. Main Bazar Road.

12. Road inside City.
13. Sewar Uchhain Road.
14. Bayana Uchhain Road.
15. Bharatpur Deeg Road.
16. Deeg Kaman Road.
17. Deeg Nagar Road.
18. Kaman Pahari Road.
19. Deeg Goverdhan Road.
20. Deeg City Road.
21. Kaman Nandgaon Road
22. Kaman Bazar Road.
23. Baretha Bayana Road.
24. Nagar Semli Road.
25. Chonkarwala Road.
26. Weir Vallabgarh Road.
27. Nagar Bye-Pass Road.
28. New Mandi Road.
29. Jurhera School Road.
30. Nadbai Bazar Road.
31. KeolaDev ghana Road.
32. Dholpur Rajakhera Road.
33. Rajakhera Utanjan Road.
34. Dholpur Bharatpur Road, Via Rupwas.
35. Dholpur Pahari Road.
36. Dholpur Gurja Road.
37. Bari Baseri Road.
38. Magajipur Ramsagar Road.
39. Much Kund Road.
40. Dholpur City Road.
41. Ondela Road.
42. Chamani Road.
43. Gurja Sir Mathura Road.
44. Barman Baseri Road.
45. Mania Bazar Road.
46. Kharajpur Mauronch Road.
47. Ondela Saipur Katheri Road.
48. Bari Sir Mathura Road.
49. Sir Mathura to Karauli Border.
50. Saipau Baseri Road.
51. Bari Ram Sagar Road.
52. Gajpura Tal Shai Road.
53. Kesarbagh Bhilgam Road.

54. Kakpur Road.
55. Baikhasi Road.
56. Keshar Bagh Garalpura Road.
57. Approach road from Railway Station to Gummat Mohalla at Bari.
58. A road in Sweeper Muhallah at Dholpur.
59. Approach road from Railway Station to Bazar at Baseri.
60. Approach Road from Railway Station to Bazar at Sir Mathura.
61. A link road from Barman Baseri to Bhuteshwar temple
62. Talshai Road.
63. Kesarbagh Maguli Road.
64. Fairweather Road from Manta to Moranga.
65. Baseri Bazar Road.

शुद्धि-पत्र

(कार्य-विवरण सोमवार, १३ मार्च, १९५८)

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
३३२६	१	(श्री तनसिंह)	—
३३३३	२१	केस सेक्शन हुई है।	केस सैंक्शन हुई है।
३३४४	१३	श्री दमोदरल ल व्यास	श्री दामोदरलाल व्यास
,,	अन्तिम से २ री	स्वावत्त शासन मंत्री	स्वायत्त शासन मंत्री
३३४७	१७	to meet the deficciency ?	to meet the deficiency ?
३३५४	अन्तिम से ७ वीं	सरकार के विचारधीन रहेगा ?	सरकार के विचाराधीन रहेगा ?
३३७१	८	श्री भरोंसिंह :	श्री भैरोंसिंह :
३३७५	अन्तिम पंक्ति	मामला अनडिटेक्टिव रहा है।	मामला अनडिटेक्टेड रहा है।
३४०७	१६	कॉनिस्टट्यूएन्सी	कॉंस्टिट्युएन्सी
,,		कान्स्टिीट्युन्सीज़	कॉंस्टिट्युएन्सीज़
३४१३	१	who ! esom healthy	whole some healthy
३४२४ से ३५३३	शीर्ष पंक्ति	आय व्ययक भाषण पर सामान्य वाद-विवाद	आय-व्ययक पर सामान्य वाद विवाद
३४२५	अन्तिम से ७ वीं	वह फाइल सेक्रेटरी के पास	वह फाइल सेक्रेटरी के पास
३४३०	अन्तिम पंक्ति	(नाथ द्वारा)	(नाथद्वारा)
३४३३	१	has been appcnite	has been appointed
३४३७	२२	क्लियर करमे वाली	क्लियर करने वाली
३४४१	१०	aro now told	are now told
,,	१७	it becoms apparent	it becomes apparent
,,	अन्तिम पंक्ति	nine departmets	nine departments
३४४३	२७	easily of-set the	easily off-set the
३४५१	अन्तिम से २ री	१५ पर्सेंट वोलेटेरी कट	१५ पर्सेंट वोलेन्टेरी कट
३४६४	,, ,, २ री	काण्ड की इन्क्वयारी	काण्ड की इन्क्वायरी
३४७५	११	तो किर वे लोग	तो फिर वे लोग
३४८७	अन्तिम से ६ ठी	मैं कहना चाहता हु	मैं कहना चाहता हूं
३४८८	२	जितना मंजूर करवा लें,	कितना ही मन्जूर करवा लें,
३४९४	१६	आयोजन में वृहतर कामों	आयोजन में वृहत्तर कामों
३४९५	१५	मैं समझत	मैं समझता
३४९७	२७	The words my be	The words may be
,,	२९	They my	They may

१	२	३	४
३४६८	२	ineonsistent that	inconsistent that
३५०२	अन्तिम से १० वीं	मैं आशा रखता हूं कि	मैं आशा रखता हूँ कि
३५१०	३, ५ व ८	लिपिस्टिक	लिपस्टिक
३५१२	३२	की इलक्ट्रिसिटी और	की इलेक्ट्रिसिटी और
३५१५	११–१२	एजीस्टेशन के समय	एजीटेशन के समय
३५१७	१४	एन्टीस्मगलिंगफोर्स के	एन्टीस्मग्लिंग फोर्स के
३५३४	४	जब्त के लिये गये	जब्त किये गये
,,	६	यातयात विभाग की	यातायात विभाग की
३५३६ से ३५३७	शीर्ष पंक्ति	–१२ मार्च, ५८–संक्षिप्त विवरण	–१३ मार्च, ५८–संक्षिप्त विवरण
३४४७	२६-कालम ४	श्री भूरामल नाथलाल	श्री भूरामल नाथूलाल
३५४६	१-आइटम् ४	नाम ठेकोदर	नाम ठेकेदार
,,	आइटम५, पंक्ति स. १	से ठेके जागीरों से	ये ठेके जागीरों से
३५५०	१३–१४	समाज सुधार व अन्य प्रकार की	समाज सुधार व अन्य प्रकार की
	आइटम ३	समितियां लोहार समितियां	समितियां लोहार समितियां
३५५१	१-आइटम ४	उससे जते व बूट बनाना	उससे जूते व बूट बनाना